C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XXV, Tenth Session, 2012/1934 (Saka)
No. 28, Monday, May 14, 2012/Vaisakha 24, 1934 (Saka)

S U B J E C T	**P A G E S**
REFERENCE BY THE SPEAKER	**2**
Maoist attack on CISF personnel in Chhattisgarh on 13th May, 2012	
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 521 to 523	4-34
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.524 to 540	35-83
Unstarred Question Nos.5981 to 6210	84-436

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE **436-444**

MESSAGE FROM RAJYA SABHA **445**
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA

STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT **445**
20th Report

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE **445**
38th Report

STATEMENTS BY MINISTERS **446**

(i) (a)Status of implementation of the recommendations contained in the 19th Report of the Standing Committee on Labour on Demands for Grants (2011-12), pertaining to the Ministry of Labour and Employment 447

(i) (b) Status of implementation of the recommendations contained in the 17th Report of the Standing Committee on Labour on Welfare of Beedi Workers, pertaining to the Ministry of Labour and Employment 448

Shri Mallikarjun Kharge

(ii) Alleged delay in formal letter of approval in the Aircel limited-Maxis Communications deal 478-479

Shri Pranab Mukherjee

PUBLIC PROCUREMENT BILL, 2012 **448**

SUBMISSION BY MEMBERS
Re:Cartoons published in school textbooks brought out by NCERT

MATTERS UNDER RULE 377 **483-500**

(i) Need to review defence preparedness and to address the problems in Defence Services

Shrimati Botcha Jhansi Lakshmi 483-484

(ii) Need to give priority in army to youth hailing from Rajsamand Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri Gopal Singh Shekhawat 485

(iii) Need to include Narikoravan *alias* Kuruvikaran community in the Scheduled Tribes list in Tamil Nadu

Shri S.S. Ramasubbu 486-487

(iv) Need for inclusion of any language spoken by more than 20 per cent population of any State in the School curriculum

Shri Jai Prakash Agarwal 488

(v) Need to start the process of registration of properties in Delhi particularly in the West Delhi Parliamentary Constituency

Shri Mahabal Mishra 489

(vi) Need to fill up vacancies in National Fertilizers Limited Vijaipur, Guna District , Madhya Pradesh

Shri Narayan Singh Amlabe 490

(vii) Need to amend the Motor Vehicles Act to provide assistance to the victims of road accidents within the seven days of occurrence of accident

Shri Arjun Ram Meghwal 491

(viii) Need to amend article 371 of the Constitution for securing public employment, educational opportunities and special development for the backward regions of Karnataka

Shri Shivrama Gouda 492

(ix) Need to conserve and preserve the Swarngiri fort in Jalore district, Rajasthan

Shri Devji M. Patel 493

(x) Need to develop S.N. Medical College, Agra, Uttar Pradesh on the lines of AIIMS, New Delhi

Prof. Ram Shankar 494

(xi) Need to establish an AIIMS in Chandauli district, Uttar Pradesh

Shri Ramkishun 495

(xii) Need to expedite construction of National Highway No. 28 connecting Lucknow and Muzaffarpur

Shri Arvind Kumar Chaudhary 496

(xiii) Need to ensure electrification of all the villages in Jhanjarpur Parliamentary Constituency, Bihar

Shri Mangani Lal Mandal 497

(xiv) Need to conserve the historical sites in and around Plassey and turn these into a heritage-cum-tourism circuit.

Shri Tapas Paul 498

(xv)	Need to extend Yelarigi Express (train no. 16089-16090) upto Salem with stoppage at Morappur, Buddireddipatti and Bommidi of Dharmapuri Parliamentary Constituency, Tamil Nadu	
	Shri R. Thamaraiselvan	499
(xvi)	Need to make suitable amendments in the law for issuance ST certificates to all the eligible persons irrespective of his/her place of residence	
	Shri P. Lingam	500

THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (SECOND AMENDMENT) BILL, 2011	**501-538**
Motion to Consider	501
Shri V. Kishore Chandra Deo	501-502
Shri Pralhad Joshi	503-506
Shri K. Jayaprakash Hegde	507-509
Shri Shailendra Kumar	510-511
Shri Dhananjay Singh	512-513
Shri Bhudeo Choudhary	514-515
Shri K .Shivkumar *alias* J.K. Ritheesh	516-518
Shri Baju Ban Riyan	519-521
Shri P. Lingam	522-524
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	525-527
Shri Nishikant Dubey	528-530
Shri R. Dhruvanarayana	531
Dr. Ratna De	532
Shri Nama Nageswara Rao	533-534
Shri Ramkishun	535-536
Dr. Sanjeev Ganesh Naik	537
Shri Hasan Khan	**538**

DISCUSSION UNDER RULE 193 **539-574**

Steps taken to protect the river Ganga from pollution and the Himalayas from the ruthless exploitation

Shri Rewati Raman Singh 539-548

Shri Satpal Maharaj 549-552

Yogi Aditya Nath 553-559

Shri Vijay Bahadur Singh 560-562

Shri Sharad Yadav 563-567

Shri Lalu Prasad 568-572

Dr. Ratna De 573-574

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 595

Member-wise Index to Unstarred Questions 596-600

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 601

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 602-603

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, May 14, 2012/Vaisakha 24, 1934 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

REFERENCE BY THE SPEAKER

Maoist attack on CISF personnel in Chhattisgarh on 13th May, 2012

MADAM SPEAKER: Hon. Members, on 13th May, 2012 in a cowardly Maoist attack, six CISF personnel and a civilian jeep driver were reported to have been killed in the Kirandul town of Dantewada District of Chhattisgarh.

The House expresses its profound sorrow on this tragedy which has brought pain and suffering to the bereaved families.

The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the departed.

11.01 hrs.

The Members then stood in silence for a short while.

… (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मैडम, यह बड़ा गंभीर मामला है। सी.बी.एस.ई. बोर्ड की क़िताबों में जो है, उसका असर हमारे बच्चों पर बहुत बुरा पड़ेगा।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : नोटिस है हमारे पास। वह बारह बजे उठाएंगे।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : सी.बी.एस.ई. बोर्ड में अगर इस तरह के कार्टून छपेंगे तो बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा? हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि सरकार इस पर जवाब दे।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इसे शून्य प्रहर में उठाएंगे। अभी बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Q. No. 521. Shri Baijayant Panda - Not present.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri T.R. Baalu.

Nothing else will go on record.

(Interruptions) … *

---

* Not recorded.

(Q. 521)

SHRI T.R. BAALU : Madam Speaker, the Government should work on the updated figures. Actually, the figures given by the National Sample Survey for the construction workers is 257 lakhs, whereas according to the hon. Minister's statement, it is only 83 lakhs. There is a vast difference between these figures of 257 lakhs and 83 lakhs. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : मैं कह रही हूं कि इसे शून्य प्रहर में उठा लीजिएगा। अभी बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

SHRI T.R. BAALU : Moreover, the money collected for the Welfare Fund is about Rs.4,912.86 crore, but the money extended to the Labour Welfare Board is like this.

अध्यक्ष महोदया : शून्य प्रहर में उठाएं। Please sit down. Please take your seats.

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सुन लीजिए। सुन लीजिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। I know that it is a serious matter; let the Question Hour go on. Please raise it during the 'Zero Hour'.

SHRI T.R. BAALU : The money collected from the workers of the construction activities is Rs.4,912.86 crore as per the hon. Minister's reply. At the same time, the money spent is only Rs.631.50 crore. It is not even about 25 per cent that has been extended to the labour force for the cause of labour welfare. So, neither the Central Government nor the State Governments is implementing the Building and Other Construction Workers Act of 1996, in letter and spirit.

MADAM SPEAKER: Shri Baalu, please sit down. Hon. Minister wants to say something.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Please take your seats. The hon. Minister.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam Speaker, before the matter was raised here, the matter had come to the notice of the Minister of Human Resource Development and he immediately directed that that particular cartoon be removed. … (*Interruptions*) But after that, … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam, all objectionable materials in the book, if necessary the whole book, should be withdrawn.… (*Interruptions*) I am just telling that whatever has been circulated will be withdrawn as far as possible and those books will not be prescribed as the textbooks. The entire publication will be withdrawn. What actions have further been taken in the context of the assurances the HRD Minister or myself will be giving, we will inform the House as soon as those actions are being taken.

अध्यक्ष महोदया: सुन लीजिए।

…(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं। इसे वापस लेना ही जरूरी नहीं है, बल्कि जिम्मेदार लोगों को पनिश करना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं, उनको दण्ड देना चाहिए।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: The responsibility will be fixed and appropriate action against those who indulge in these things will also be taken.… (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU : Madam, shall I repeat my question?

MADAM SPEAKER: Yes, you may please repeat it.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: ठीक है।

SHRI T.R. BAALU :Madam, the Government should work on updated data and latest figures. The Minister in his reply has said that as per the National Sample Survey 2004-05 – which means seven years old data – the total number of construction workers are 2.571 crore, whereas, as per his own figure the total number of workers are 83 lakh only. This shows the Government's casual attitude

towards the building workers. As per his reply the total cess collected is about Rs.4912.86 crore and the money spent for the welfare activity is Rs.631 crore, which means only 25 per cent is spent on the welfare activities.

The most important issue is, as per sub-Section 2 of the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996, the Government of India is collecting one per cent welfare cess from the owners of the construction activities. We do not know where this money is lying and for what programme the money has been spent. I would like to know the total money collected State-wise and how much of that has been spent through the Welfare Boards of various State Governments.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, I am very happy and I congratulate the hon. Member for seeking clarification on this Question. First of all, I would like to clarify that the hon. Member, Shri Panda had asked for only three years figure which I have given in the reply. Now, as the hon. Member is asking the latest census figure as also the total cess collected and the money spent in each State….

SHRI T.R. BAALU : You have not updated the figures. You have not mentioned the exact period as to from which year to which year it is applicable. The Government should give the updated data.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: If you read it, it says, "the total amount collected as construction cess during the last three years". It means, I am giving this figure for the last three years. I will give you the total figure also. As per 2001 census, there were1.41 crore building and other construction workers in the country and as per the National Sample Survey 2004-05 there were about 2.57 crore building and other construction workers.

As per the latest National Sample Survey 2009-10, there are 4.46 crore building and construction workers. But persons who have been registered in the Board are only 82,94,605 and the total Cess collected is Rs. 6,616 crore. Out of that, I am sorry to say, all the State Governments put together have spent only Rs.

965 crore which is only 14 per cent of it. If I read all the collection and the expenditure of all the States, only four States have spent to some extent. They are Kerala, Tamil Nadu, partly Puducherry and Madhya Pradesh. Rest of the States have not taken interest to spend the money. This Act is implemented by the State Governments. According to the Act of 1996, states are collecting the Cess.

SHRI T.R. BAALU : You have collected one per cent.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: This is one per cent cess collected by the States.

SHRI T.R. BAALU : It is 0.3 per cent collection from the States.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: No, it differs. They can levy one per cent. less on construction cost. Your State levied 0.3 per cent.

SHRI T.R. BAALU : As per the Act, the Government can collect two per cent Cess but they have fixed one per cent. Outer limit is two per cent. How much money has been collected from the public sector undertakings and Government of India's construction activities?

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: This is what I am telling. This is under the States' sphere. If the construction takes place, the money goes to State Government. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let him give the reply.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: The State Government collects and spends it. We can only direct them. We have got the model Act and we are requesting all the State Governments to spend the money because nearly Rs. 6,600 crore are lying with various States and they have spent just Rs. 965 crore. Therefore, I have written a letter to all the State Governments in this regard and the Labour Secretary has also written letters to all the Chief Secretaries to spend the money.

श्री नामा नागेश्वर राव : महोदया, मिनिस्टर ने जिस तरह से रिप्लाई दिया है, एक तो लिखित उत्तर दिया है, दूसरा अभी मंत्री जी ने खड़े होकर बताया, हम लोगों ने सोचा कि लिखित उत्तर में तो पूरी गलती है, कम से कम वे यहां खड़े होकर बतायेंगे, पूरा क्लियर कट बात करेंगे, ऐसी हमें आशा थी। पहले तो हम आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से कहना चाहते हैं, मिनिस्टर साहब आप तो अपने हाथ झाड़ रहे हैं।

आप बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी है? 3 साल से 6 हजार करोड़ रूपए, वह भी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर के फंड में कलेक्ट कर दिया। वेलफेयर फंड को, इवेन कंसट्रक्शन वर्कर्स को देने की पोजीशन में नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स से इतना पैसा लेने के बाद आपका रोल क्या है? 3 साल से आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? आपको वह इनसिस्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? उसको कम से कम लेबर को दे देते, कोई सुनने वाला नहीं है। इसमें आप फेल हो गए।

दूसरा, नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार 2.57 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ऐसा आपके डाक्यूमेंट में है। उसमें नीचे कहते हैं कि रजिस्टर्ड बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट ने 82 लाख को रजिस्टर किया। आपकी गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी क्या है? आपके आफीसर्स क्या कर रहे हैं? टोटल 2 करोड़ 57 लाख लोग हैं, उसमें से सिर्फ 82 लाख लोगों को रजिस्टर्ड किया। इतने लेबर्स का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है और इसके लिए आप लोग क्यों जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं? इसका थोड़ा-बहुत, फाइव परसेन्ट, थ्री परसेन्ट गैप है तो अलग बात है। जितने लोग काम कर रहे हैं इवन ट्वेन्टी परसेन्ट भी रजिस्टर में एन्टर नहीं हुआ है। आप तीसरे पैरे में क्या लिख रहे है, आप क्या बोलते हैं, एक साल में अगर कोई 90 दिन काम करे तो वह फोर द वेलफेयर फंड के लिए एलिजिबल है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव : अगर कोई भी 12 महीनों में 90 दिन काम करे तो वह वेलफेयर फंड के लिए एलिजिबल है। उतना एलिजिबलिटी है तो पैसा क्यों नहीं स्पेन्ड कर रहे हैं? मैं मिनिस्टर साहब से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि जितना स्टेट गवनर्मेन्ट ने कलेक्ट किया है, मुख्य रूप से आंध्रप्रदेश में 468 करोड़ रूपये का वर्कर्स के वेलफेयर फंड के लिए सेस कलेक्ट कर दिया है उसमें केवल 31 करोड़ रूपये स्पेन्ड कर दिया। आप उसके ऊपर क्या ऐक्शन ले रहे हैं? वह एमाउंट वर्कर्स के लिए स्पेन्ड नहीं कर रहे हैं तो उस पर क्या ऐक्शन ले रहे हैं? अभी तक जो एमाउंट पड़ा है...(व्यवधान) एमाउंट के बारे में मंत्री जी बता दें।

अध्यक्ष महोदया : आप अपना सवाल पूछिए।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, if the hon. Member reads the Act, he will be clear. उनको मालूम होगा कि किस की जिम्मेदारी क्या है? यह तो स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट कलेक्ट करती है और स्टेट ही इसको स्पेन्ड करती है। ये तीन साल में, उनको तो मुझे कन्ग्रैचुलेट देना

चाहिए था क्योंकि पहले दस साल में सिर्फ बीस लाख लोगों को रजिस्टर किया गया था। यह पांच साल में हमने एडीशनल सिक्सटी लाख को रजिस्टर कर दिया है। क्या यह मामूली बात है? ...(व्यवधान) मैं आपको बताता हूं। आप जरा गौर से सुनिए। क्योंकि मैं हर स्टेट का फीगर देता हूं कि स्टेट वाले कलेक्ट करते हैं। वहां का जो बोर्ड होता है वह बोर्ड ही यह पैसा स्पेन्ड करती है। आन्ध्रप्रदेश ने साढ़े सोलह साल में 625 करोड़ रूपये कलेक्ट किया है और 34 करोड़ रूपये खर्च हुए हैं यानी फाइव परसेंट पैसे खर्च हुए हैं। ...(व्यवधान) मैं हर स्टेट का पैसा बताता हूं। आप असम आइए। वहां 82 करोड़ रूपये कलेक्ट हुए और 35 लाख रूपये खर्च हुए हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया सुन लीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : बिहार को आइए। वहां 144 करोड़ रूपये कलेक्ट हुए और सिर्फ 14 करोड़ रूपये खर्च हुए हैं यानी दस परसेंट। उसके बाद गुजरात आइए। वहां 190 करोड़ रूपये कलेक्ट हुए हैं और 41 लाख रूपये खर्च हुए हैं यानी 0.2 परसेंट। ...(व्यवधान) यही स्थिति हर स्टेट की है। केरल एक अच्छा किया है। केरल ने 546 करोड़ रूपये में से 453 करोड़ रूपये यानी 82 परसेंट खर्च किया है। ...(व्यवधान) ओडिसा में, जिस सदस्य ने क्वैश्चन पूछा है उनके स्टेट में स्टेट गवनर्मेन्ट ने 167 करोड़ रूपये कलेक्ट किया है और 8 लाख रूपये खर्च किए हैं यानी 0.04 परसेंट। ...(व्यवधान) यह ओडिसा की हालत है। तमिलनाडु, ने थोड़ा कुछ किया है जो 463 करोड़ रूपये में उन्होंने 202 करोड़ रूपये खर्च किया है वह 43 परसेंट तक आता है।

स्पीकर मैडम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, मध्यप्रदेश ये चार स्टेट छोड़ कर बाकी स्टेट्स में पैसा खर्च नहीं हुआ। यह उनकी जिम्मेदारी है। जो बोर्ड को करनी चाहिए और बोर्ड द्वारा बेनिफिट देना चाहिए। माननीय सदस्य, मैं लेटेस्ट फीगर दे रहा हूं। उन्होंने तीन साल का पूछा था इसलिए मैंने तीन साल का फीगर्स दिया। ...(व्यवधान) अब जो टोटल फीगर्स दिया है। ...(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव : अभी भी आप स्टेट की जिम्मेदारी बोल रहे हैं? ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। मंत्री जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

* Not recorded.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : मैंने अप्रैल महीने में सारे चीफ मिनिस्टर्स को लिखा है कि आपके पास इतना पैसा है, इसे खर्च कीजिए। बोर्ड बुलाकर वैल्फेयर स्कीम फार्मुलेट कीजिए। इसी तरह हमारे सैक्रेटरी ने सारे चीफ सैक्रेटरीज़ को सितम्बर 2010 में लैटर लिखा है। आज तक इस एक्ट के तहत 21 मीटिंग्स हो चुकी हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करे, नई-नई स्कीम्स बनाए। सरकार की गरीब लोगों को मदद करने की जो मंशा है, उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। भारत सरकार को ब्लेम करना ठीक नहीं है। एक्ट के मुताबिक आपकी जिम्मेदारी है, आपको उसे निभाना चाहिए।

श्री चंद्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने बहुत बड़ा उत्तर दिया है, लेकिन मैं कहूंगा कि यह सैंट्रल गवर्नमैंट का एक्ट है। सैंट्रल गवर्नमैंट ने यह राज्य सरकारों को इम्प्लीमैंट करने के लिए दिया है। जो राज्य सरकारें उसे इम्प्लीमैंट नहीं करतीं, आपको उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आप एक्शन नहीं लेते। हमारे महाराष्ट्र में तीन साल की फिगर 269 करोड़ रुपये है और उन्होंने 70 लाख रुपये खर्च किए हैं। हम उनसे जवाब मांगेंगे, लेकिन आपको भी अपने सैक्रेटेरिएट से पूछना चाहिए। मैं केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का अभिनन्दन करता हूं। महाराष्ट्र में लेबर वैल्फेयर फंड है। उसके माध्यम से जो कलैक्शन होती है, उससे अनेक कामगारों के बच्चों की पढ़ाई, खेल के लिए वैल्फेयर एक्टीविटिज चलती हैं। वैसी एक्टीविटिज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए क्यों नहीं होती? मैं जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में इतना कम सैस क्यों वसूल हुआ? कर्नाटक में 811 करोड़ रुपये वसूल हुए, हरियाणा में 407 हुआ, भले ही खर्च कुछ नहीं हुआ होगा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टीविटिज चलती हैं। वहां ज्यादा क्यों नहीं हुआ, इस बारे में आपको अपने सैक्रेटेरिएट से पूछना चाहिए। मेरे ख्याल से आपका सैक्रेटेरिएट थोड़ा सा लूज़ पड़ा है, वह कुछ काम नहीं करता। ईएसआई कार्पोरेशन में भी वही हालत है। मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारों पर सख्ती कीजिए कि वे एक महीने के अंदर यह बताने की कोशिश करेंगे कि सारे पैसे का खर्च कैसे करेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : अध्यक्ष महोदया, ये भी ईएसआई के मैम्बर हैं और हमेशा ट्राइपार्टाइट में हिस्सा लेते हैं। इनके राज्य में क्या हो रहा है, इसका पूरा ब्यौरा इनके पास है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार ने कलैक्ट नहीं किया या इम्प्लीमैंट नहीं किया तो इसके लिए हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, जिसके तहत हम डायरैक्टली वसूल कर सकें। इसीलिए हम अमैंडमैंट प्रपोज़ कर रहे हैं। अगर आप सब मेरी मदद करेंगे...(व्यवधान) बाद में आप बोलते हैं कि सैंट्रल गवर्नमैंट स्टेट में कलैक्शन के लिए इंटरफियर कर रही है। अगर राज्य सरकार ने वसूल नहीं किया, मैंने अमैंडमैंट सजैस्ट किया है, लेकिन हम देखेंगे। हमारे 7-8 अमैंडमैंट्स आने वाले हैं। अगर उन्हें मान्यता मिली, रिकगनाइजेशन हुआ, अगर राज्य सरकार फेल हो गई तो निश्चित रूप से हम उसे वसूल करके एक मॉडल स्कीम बनाकर हर राज्य को भेजेंगे, तो वे

उसे इम्प्लीमैंट करेंगे।...(व्यवधान) आप मदद कीजिए। सिर्फ सैंट्रल गवर्नमैंट को ब्लेम करना कि आपने क्या किया, मैंने पहले ही कहा कि हमने चिट्ठी लिखी है, हमारे सैक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी है। हमने मीटिंग बुलाकर उन्हें कहा है कि यह आपका फर्ज बनता है कि आप इसका अच्छा इस्तेमाल कीजिए। फिर भी चार-पांच राज्यों को छोड़कर बहुत से राज्य रिस्पौंड नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे। मैं सारे लेबर मिनिस्टर्स की एक कॉन्फ्रैंस भी बुला रहा हूं और एक बार फिर सैक्रेटरी को बुलाकर इस बारे में स्पैशल एजेंडा रखकर हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना पैसा आता है, वह ठीक ढंग से खर्च हो।

(Q. 522)

श्रीमती रमा देवी : अध्यक्ष महोदया, प्रदूषण से प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे कृषि एवं मानव जीवन के लिए खतरनाक हैं। विश्व के कई देशों में इसे काफी गंभीरता से देखा जा रहा है। परन्तु भारत सरकार प्रदूषण हटाने में पूरी तरह से असफल रही है। कई प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग केन्द्र सरकार की मंजूरी से चल रहे हैं एवं उन पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। दूसरी ओर केन्द्र सरकार प्रदूषण के नाम पर विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को नये उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दे रही है। बिहार एवं गुजरात में अच्छे माहौल के कारण अप्रवासी भारतीय और देश के उद्योगपति वहां उद्योग लगाना चाहते हैं, परन्तु इन राज्यों का विकास न हो, इसके लिए केन्द्र सरकार प्रदूषण के कानूनों का सहारा ले रही है। बिहार में बिजली की कमी को दूर करने के जो प्रयास हो रहे हैं, उससे देश के उद्योगपति बिहार में उद्योग लगाना चाहते हैं, परन्तु केन्द्र सरकार के असहयोगात्मक रवैये के कारण बिहार के विकास में अवरोध खड़ा करके वहां की लोकप्रिय सरकार को बदनाम किया जा रहा है, जबकि बिहार में औद्योगिक प्रदूषण की उतनी समस्या नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, केन्द्र सरकार के चलते मेरा संसदीय क्षेत्र शिवहर एवं अन्य जिले उद्योग विहीन हैं। बिहार में जल आधारित सिंचाई योजना को मंजूरी नहीं दी जा रही है, जबकि उत्तर बिहार हर साल बाढ़ की चपेट में आता है। जिस राज्य में कच्चा माल प्रचुर मात्रा में है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : रमा देवी जी, आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्रीमती रमा देवी : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रश्न ही पूछ रही हूं। उस कच्चे माल पर आधारित उद्योग बड़े शहरों में न लगाकर जहां कच्चा माल उपलब्ध होता है, वहां क्यों नहीं लगाये जायें? इससे देश का सन्तुलित विकास होगा और प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिलेगी एवं रोजगार के चलते पलायन भी रुकेगा। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने देश में प्रदूषण कानूनों के तहत गत तीन वर्षों के दौरान कितने नये उद्योग स्थापित करने से मना कर दिया है और आज की तारीख में कितने ऐसे मामले लंबित हैं और उनमें गुजरात एवं बिहार की कितनी संख्या है?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I am just trying to understand what the hon. Member was asking, whether she was asking as to how many industries have been set up. As far as this Question is concerned, I would like to inform her as to what measures we are taking for environmental protection.

As far as her State of Bihar is concerned, as many as 1,137 Red category, industries are there, which are critically polluting; there are 4,458 Orange category

industries, which are severely polluting; and there are also 1,836 Green category industries, which are not so polluting.

As far as moratorium on establishing industries in Bihar is concerned, there is only one part of Bihar, which is the East Singhbhum District, where a moratorium has been established by the Ministry of Environment and Forests. Apart from that there is no moratorium as far as the Ministry of Environment and Forests is concerned to set up industries anywhere in Bihar.

Industries are classified as 'A' and 'B' categories, depending upon the size of the industry and the polluting potential of the industry. For 'A' category industries, one has to apply to the Central Government; and for 'B' category industries, one has to apply to the State Government.

As far as 'A' category industries for the State of Bihar is concerned, not even one application is pending for clearance by the Ministry of Environment and Forests, at the Central level. So, if there are any questions for setting up of industries at the 'B' category level, I would suggest to the hon. Member that she ask the Chief Minister of Bihar why those industries are not coming.

श्रीमती रमा देवी : अध्यक्ष महोदया, देश में 17 श्रेणी के उद्योगों को प्रदूषित श्रेणी में रखा गया है एवं देश के 88 औद्योगिक कलस्टर्स में से 43 उद्योग अति प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। केन्द्र सरकार उनको क्षमादान करती रही है और उन्हें बंद करने के बाद पुनः शुरू कर देती है। खनन क्षेत्रों में अवैध खनन से वहां पर गंभीर प्रदूषण के कारण मजदूरों में सिकोलिस जैसी बीमारी हो रही है। वहां सरकार चुप है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जिस काम के लिए बनाया गया है, यह उससे उल्टा चल रहा है। उद्योगविहीन क्षेत्रों में उद्योग खोलने के स्थान पर उन क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं जहां पहले से उद्योग प्रदूषण पैदा कर रहे हैं। केन्द्र सरकार ने देश में ऐसे कितने उद्योगों को स्पेशल मंजूरी दी हुई है जिनके खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध किया है या राज्य सरकारों ने उनको बंद करने की सिफारिश की है? कृपया मंत्री जी इसके बारे में बताएं।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, once again, I would like to go back to the statement which has been laid on the Table of the House – 88 identified industrial clusters on the basis of Comprehensive Environmental Pollution Index (CEPI) criterion have been identified; 43 are severely polluted

which are above the scores of 70; the number is given between one and hundred. Above 70s critically polluted and between 60 and 70, there are 32 industrial clusters and there are 13 industrial clusters which are between scores of 50 and 60.

Madam, it is completely wrong to say that the Central Government is not taking steps at all. Madam, before this, there were no scientific parameters by which a critically-polluted area could have been identified. This was purely done on the basis of perhaps public complaints or complaints from local people on a purely localised basis. However, Madam, after the UPA Government took Office, a scientific method of assessing pollution has been laid down. It is a very specific method which I would like to share with the hon. Member. The first step is that the status of the area is assessed based on the ground information. The framework proposed is as follows: the source of the pollution, the pathways through which the pollution reaches and the receptor, viz., the public.

The second step is by which various environmental indicators are assessed and the status of environmental resources such as land, vegetation, air, and water are investigated. Spatial and temporal data/information shall be used for this purpose including satellite.

The third step is the structured consultation with all stakeholders, local stakeholders, experts and policy makers. A purely scientific method for the first time in 2009 establishing these parameters is being monitored by 174 local units all over the State by the Central Pollution Control Board and also monitored by the State Control Boards. This was the basis on which these clusters were identified. Thereafter, Madam, because of continuous monitoring moratorium was also lifted when the environmental indicators have improved. Moratorium was lifted five times –in October, 2010, in February, 2011, in March, 2011, in May, 2011 and July, 2011. So, not only has this Government introduced scientific method of measuring the index of pollution in all areas with established moratoriums where there is critical pollution, we also constantly review it scientifically. We lift the

moratorium wherever the environment pollution improves and we thereafter critically assess it at every level. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go in record.

(Interruptions) ... [*]

SHRI S. ALAGIRI : Madam, Cuddalore is my Constituency which is a District Headquarter. There are more than 100 industries in the SIPCOT area. They are under the Comprehensive Environmental Pollution Index (CEPI) system. They are not maintaining the standards to recycle its waste. These companies are classified as not only critically polluted but also severely polluted companies.

Pollution means an undesirable change in the physical, chemical or biological characteristics of air, water and soil. In that area there was a beautiful sea-shore and backwater. But now that beauty turns into ugly because the polluted waste water mingles with the backwater and the sea water. The Authority does not take any action against those companies. We welcome the companies to start the industries in the backward areas but they should not destroy the atmosphere and the livelihood of the people.

Also, one of the most important questions, the major question is this. Manali is a basic industrial cluster in Chennai. About the Manali Petro-Chemical Project, they have cleared all the queries raised by the Pollution Department. But till now, they have not received the clearance from the Government of India. About the Manali and the Cuddalore Projects, the Ministry of Environment and Forests should take action and check the pollution problem and do everything needed. May I know about this?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: As far as the hon. Member's constituency Cuddalore is concerned, on the CEPI Index, particularly the Environment Index, Cuddalore stands at 77.45. However, the moratorium on Cuddalore was lifted. That was lifted in February, 2011 but it is still being constantly monitored and reviewed to find out if the parameters improve or the

---

[*] Not recorded.

parameters deteriorate. The State has actually prepared an Action Plan as far as the State of Tamil Nadu is concerned. It is being constantly monitored.

As far as Manali, which is in the City of Chennai, is concerned, the Index is 76.32. Manali is a special area which is a heavily populated area right in the Northern part of the City. It is a continuous on-line surveillance that is being carried on in Manali.

As far as Manali is concerned, although steps have been taken to reduce the pollution, the reduction has not yet reached the desired levels. Therefore, the moratorium on Manali continues. It is a heavily populated area. Right now, it is 76.32 in the Index. As soon as there is some improvement in the Index, then, we will reconsider the lifting of the moratorium on Manali.

SHRI S. SEMMALAI : Madam, the primary cause of industrial pollution is prevalence of outdated and inefficient technologies that generate a large amount of waste.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Member, I just want to make an observation. When a Member is speaking, no other Member is supposed to cross between the Member who is speaking and the Chair. I just now observed that the Leader of the House has very respectfully observed it. I would request other Members to be very very particular about this.

Shri Semmalai, please proceed on.

SHRI S. SEMMALAI : Most of our industries do not come forward to modernize and update their technologies. In the written Statement given by our hon. Minister, she stated that the Central Pollution Control Board had conducted a survey in collaboration with the IIT for assessment of pollution load of industrial areas only. I think no special study has been conducted so far in this regard. This is what I understand from the reply. Will the Ministry undertake a study to evolve the impact of industrial pollution caused by the use of outdated technology in certain major industries? May I ask the hon. Minister to state about this categorically?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: A comprehensive survey has been undertaken. We have a comprehensive list which I can read out to the hon. Member. That again is based upon what I said earlier the orange, red and green categories. We even have a study based upon the type of effluent whether it is sulphur dioxide, nitrogen dioxide and particulate matter. So, comprehensive studies are carried out. There are specific limits placed upon this. For example, sulphur dioxide, in a context of 24 hours, it should not be more than 80 concentration in a given number in the atmosphere.

So, we have an entire list of 12 starting from sulphur dioxide to nickel which is monitored constantly using scientific parameters. It is not as if a study is carried out. Extensive study and a very scientific study is being carried out by the CPCB; these studies are communicated also to the State Pollution Control Boards. It is a very technical algorithms, by which the evaluation is arrived at. We also have a construction process of assessing the environment index, which is first defining the environment system, then, the variable levels of selection and classification, data collection and processing, data application, then, imposing the CEPI, then performance comparisons, decision making and policy making. Then, algorithms are also there. I can share with the hon. Member, if he wishes.

The methodology is also used to indicate the presence of toxin, organics that are possible carcinogens, known carcinogens, and also the ways by which they reach the people who are affected. So, there is scientific and specific methods by which we determine it. These are constantly monitored. We share the information from time to time with the State Pollution Control Boards. Finally, we have group `B' which are probably human carcinogens, a list of about 50 and where they actually occur. For example, high temperature firing, household combination; we have group `C', which is known human carcinogens, that is an entire list, including where it occurs. And also industries which are highly polluted. Therefore, it is a very scientific study. We share it with the State Pollution Control

Boards. In between, there is an exchange of information which is also being constantly monitored.

SHRI MOHAN JENA : As per the answer given by the hon. Minister, the total number of Red category industries in Odisha is 3,127. similarly, out of 88 major industrial clusters in the country, 43 industrial clusters have been identified as critically polluted. Madam, I do not know as to how many industries and mines of my Lok Sabha constituency, Jajpur, are coming under this unwanted category. But I can say emphatically that due to industries and mines, the air, the rivers - Bramhani, Baitarani and Birupa- are being polluted seriously and the groundwater and forest depletion is visible in my district. So, my question is this. Will the hon. Minister enlighten me about this and provide me data about the degree of pollution or damage and action taken in this regard?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: As far as Odisha is concerned, among the 43 clusters, three of them are critically polluted. Three are found in Odisha – Angul Talchar, Ib Valley, Jharsiguda, which is 82, 74 and 73 respectively in the pollution index. Severely polluted fall under the orange category. Paradip alone is 69.26. As far as hon. Member's constituency is concerned, I don't have the details over here. In green category, 13 are polluted but not severely polluted. As far as Odisha is concerned, they come under orange category.

As far as the hon. Member's constituency is concerned, I will get the details. If there is any specific projects that he would like details about, I would be happy to share with him, Madam.

श्री यशवंत सिन्हा : मैडम, मैं आंकड़े देख रहा था जो मंत्री जी ने सप्लाई किये हैं। जहां तक झारखंड राज्य का सवाल है, रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज में 4400 इंडस्ट्रीज हैं, ऑरेंज में 140 इंडस्ट्रीज हैं और ग्रीन में 35 हैं। उसी के ठीक नीचे महाराष्ट्र है जिसमें रेड कैटेगरी में 12184 इंडस्ट्रीज हैं, ऑरेंज में 15656 इंडस्ट्रीज हैं और ग्रीन में 47251 इंडस्ट्रीज हैं। बाकी राज्यों के बारे में भी मैं देख रहा था, लगभग यही स्थिति है कि रेड कम हैं बाकी ज्यादा हैं। लेकिन झारखंड में बहुतायत जो है रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज का है। इसे जब मैं जमीन पर देखता हूं और जिस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व में इस लोक सभा में करता हूं वहां कोयले की बड़ी-

बड़ी खानें हैं। कोयले से बहुत प्रदूषण होता है, न केवल खनन से, बल्कि कोल पर आधारित उद्योगों से और ज्यादा होता है। झारखण्ड में दामोदर नदी है, जो कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरती है। दामोदर नदी अंतिम सांसे ले रही है। It is in the verge of extinction. क्योंकि दामोदर नदी के दोनों तरफ कोयले की खाने हैं और सारा पोल्यूशन नदी में जाता है। मेरे यहां कोल पर आधारित उद्योगों में अगर आप जाएंगे तो आपने जो उजला कपड़ा पहना हुआ है, वह शाम तक बिलकुल काला हो जाता है, क्योंकि कोयले की राख उस पर आकर गिरती है। इसके कारण खेती-बाड़ी नष्ट हो चुकी है। पूर्ववर्ती मंत्री श्री जयराम रमेश से मैंने टेलीफोन पर बात की थी, एक पत्र भी लिखा था और उनसे आग्रह किया था कि आप एक स्पेशल टीम हमारे क्षेत्र में भेजिए, जो आकर जांच करे। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वे चले गए हैं। उस जांच का कुछ नतीजा नहीं निकला है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि सैन्ट्रल पोल्यूशन बोर्ड की एक स्पेशल टीम हजारीबाग और रामगढ़ जिले में भेजें। मैं स्वयं उन्हें लेकर जाऊंगा और दिखाऊंगा कि वहां इतने उद्योग हैं और इतना पोल्यूशन है कि लोगों का जीवन दूभर हो गया है। उससे हम लोगों को कैसे मुक्ति मिले? इसके लिए वह स्टेट पोल्यूशन बोर्ड के साथ मिलकर एक योजना बनाएं। यही मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, I am happy to assure the hon. Member that we will, in consultation with him, send a team from the Ministry of Environment and Forests to study the conditions in Jharkhand. We are aware of the conditions in Jharkhand. As the hon. Member himself observed, it is basically a coal mining area and unfortunately, this is the eternal conamism. Coal is a major part of our energy needs and because of coal mining, there is a tremendous impact upon the environmental integrity of the country as far as the air quality is concerned. Even the ambient air quality that we use is much higher for coal bearing areas. The tolerable air quality limits are fixed at a much higher level for these areas than for residential areas. This is a problem which we are looking at very seriously and the steps which we are taking in a general way are that we are insisting that, for example, if the transport of coal is beyond 500 kms., it should be only of beneficiated coal, that is, washed coal which does not have an impact upon the environment.

We are taking measures to see, as far as possible, that this is not thrown into the rivers. As far as the Damodar River is concerned, the Damodar Valley Corporation is a public sector undertaking. Even so, we are imposing the strictest conditions upon even this undertaking with regard to the Damodar River and there are other industries also, mostly coal industries over there. Therefore, this is a problem. I acknowledge that this is an ongoing problem. But this is something that, I think, we can only sort out after consultation with all stake holders. But so far as the immediate steps are concerned, I assure the hon. Member that, in consultation with him, we will send a team there to see what we can do to find instant amelioration of the conditions.

श्रीमती अन्नू टण्डन : अध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं जो सवाल पूछना चाहती हूं, यह केवल प्रदूषण का ही नहीं है, यह मेरे संसदीय क्षेत्र में जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में जो भूमिगत पानी है, वह अत्यधिक ज़हरीला और प्रदूषित हो गया है, क्योंकि यहां के लैटर टैनिंग यूनिट्स औ स्लॉटर हाउसिज़ बेधड़क प्रदूषित पानी यहां फेंक रहे हैं और रिवर्स बोरिंग करके प्रदूषित पानी एक्वाफायर्स तक पहुंचा रहे हैं। इस बात की पुष्टि मार्च, 2012 के सैन्ट्रल वॉटर बोर्ड की रिपोर्ट में दोबारा आयी है। पिछली रिपोर्ट में भी यह आया था। स्थिति यह हो गई है कि सैन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर बोर्ड द्वारा उन्नाव प्रशासन को पीने के पानी के हेण्डपम्प को सील करने का निर्देश दे दिया गया है। गम्भीर बात यह है कि अधिकतम स्रोत घनी आबादी वाले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है। मैं आपके माध्यम से माननी मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या राज्य सरकार के स्टेट पोल्यूशन बोर्ड के अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के टैनिंग यूनिट्स और स्लॉटर हाउसिज़ के लिए कोई नई केन्द्रीय स्तर पर कानून या स्कीम लाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि जल प्रदूषित करने वालों को दण्डित किया जा सके? इस पर कृपया विवरण दें।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, it is absolutely true, the hon. Member's constituency of Kanpur has an index of 17.09 on SEPI and as the hon. Member pointed out, it is largely due to the tanning industries. The situation, as far as discharge of effluents due to the tanning industries is concerned, is extremely serious.

One attempt was made in an attempt to change the technology used, that is, to use a cryogenic procedure for the tanning of the hides, but then again we ran into difficulties because it was not practical to implement it at a much wider scale. So, the old methods of tanning and the old methods of effluents still continue.

As far as the State Pollution Board is concerned, Madam, we have a general action plan by which the survey is conducted; there is a consultation with the State Pollution Control Board; sets up committees with local stakeholders, technical experts and convene meetings on a bi-monthly basis. This has been done in Kanpur as well. Local representatives and Government Departments are also… (*Interruptions*)

SHRIMATI ANNU TANDON : Madam, I have asked the question regarding Unnao. Kanpur is different. In Unnao, nothing has been done. I am not talking of the State Pollution Control Board, I am talking of the Central Pollution Control Board.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, the same issues that are there in Kanpur also apply to Unnao as well… (*Interruptions*)

Madam, I do agree that it is an important issue. We will take it up, in fact, we are taking it up in a very serious way.

The issue of effluents due to tanning is something that is similar in Unnao as well and therefore, this can be done only in consultation with the State Pollution Control Boards. We are working along with them. The role of the Central Pollution Control Board, Madam, I would like to inform the hon. Member, is only to assist and advise and to guide the State Boards. The work of the State Boards cannot be done by the Central Board, but I would like to say that till now, all these years, the Central Board has played a very pro-active role in setting parameters, scientific guidelines, etc.… (*Interruptions*) The work of the State Boards cannot be done by the Central Board. The work of the State Boards has to be done by the State Boards only. We are giving them technical advice, guidance, setting parameters, workshops, helping them to deal with issues, providing even training

and deciding on general policy guidelines. But the work of the State Boards has to be done only by the State Boards.

श्री तापस पॉल : माननीय अध्यक्ष महोदया, 20 मई को 'माँ माटी मानुष' सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक साल पूरा करने जा रही हैं। 34 साल में जो सीपीएम सरकार नहीं कर सकी, ममता बनर्जी की सरकार ने एक साल में कर दिया। अगर केंद्र मेरा साथ दे, मुख्यमंत्री का साथ दे तो बंगाल और आगे बढ़ेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बांकुरा, पुरुलिया, झाड़ग्राम में स्पंज आयर्न की प्राब्लम है, because I was the MLA and also the member of the Pollution Department. स्पंज आयर्न की काफी प्राब्लम हो रही है, पाल्यूशन हो रहा है। यहां की पब्लिक बहुत प्राब्लम में है। बांकुरा, पुरुलिया, झाड़ग्राम में काफी इंडस्ट्री है। मैं यही विनती करूंगा कि यहां किसी टीम को भिजवाएं और स्पंज आयर्न के बारे में कुछ करें ताकि पब्लिक प्राब्लम फेस न करे।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, if the hon. Member gives me details, it is my duty and I will certainly make sure that a team is sent there.

अध्यक्ष महोदया : श्री अधलराव शिवाजी पाटील - उपस्थित नहीं। श्री धर्मेन्द्र यादव, आप बोलिये।

(Q. 523)

श्री धर्मेन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदया, इस सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी ने जो ब्यौरा प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि वह ब्यौरा पूरी तरह से अपूर्ण है। सरकार और मंत्रालय ने अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से मुक्त होते हुए केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मंदी आई है, उसके लिए केवल निर्यात में कमी को जिम्मेदार माना है। जबकि मेरा अपना मानना यह है कि आज जो निर्यात में कमी आई है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय मंदी तो एक कारण हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंदी के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा तमाम लघु उद्योगों को लेकर लगातार उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। जैसे आज यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कालीन उद्योग, हथकरघा उद्योग, कांच उद्योग, रेशम उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर खेती, किसानी के बाद यदि सबसे ज्यादा कहीं रोजगार है तो लघु उद्योगों में है और इतने ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले इस क्षेत्र की सरकार इतनी उपेक्षा कर रही है कि उत्तर प्रदेश का कालीन उद्योग आज पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। कांच उद्योग भी बर्बाद हो गया और बुनकर भी आज बर्बादी के कगार पर हैं। सरकार ने ऐसी कोई नीति, ऐसे कोई कार्यक्रम के बारे में अपने जवाब में नहीं बताया, जिसके माध्यम से इन उद्योगों को पुनः स्थापित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया हो, कोई निर्यात की नीति, कोई बुनकरों के लिए सहायता, सब्सिडी या बिजली की कोई सुविधा देने का जिक्र नहीं किया है, जिसके माध्यम से मैं यह मान लूं कि सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए गंभीर है। मेरा अपना मानना है कि भारत सरकार ने आज जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में तमाम हमारे देश के लोगों को खड़ा किया है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में उदारीकरण की नीति अपना ली, लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देश हमारे बुनकरों, छोटे व्यापारियों को जो लाभ दे रहे हैं, उन्हें कम ब्याज पर ऋण दे रहे हैं, उन्हें सब्सिडी दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम अपने पड़ोस के देश चीन की बात करें तो चीन में आज वहां के निर्यातकों को बहुत कम ब्याज पर ऋण मिल रहा है, भारत की तुलना में वहां उन्हें बहुत सहूलियतें दी जा रही हैं, जिनके कारण आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात के मामले में पर चीन नम्बर एक पर जा रहा है। हमारे घरेलू बाजारों में भी आज चीन का माल, चीन का सामान पूरी तरह से हावी हो रहा है। लेकिन भारत सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में हमारे छोटे बुनकरों, व्यापारियों और छोटे उद्योगों को कैसे उबारने का काम कर रहे हैं, यही मैं जानना चाहता हूं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, मेरे सांसद भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। आज जब विश्व स्तर पर आयात-निर्यात की बात की जाती है तो विश्व स्तर की जो स्थिति है, उसके माध्यम और

उसके वातावरण में ही हम चर्चा कर सकते हैं। आज मैं अपने निर्यातकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं और सलाम करना चाहता हूं कि भीषण अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भी हर वर्ष जो कीर्तिमान इस मंत्रालय और इस देश ने स्थापित किये थे, उस हर कीर्तिमान को हमारे निर्यातकर्ताओं ने तोड़ा है। इस साल हमने तीन सौ बिलियन डालर्स का लक्ष्य रखा था और 303-304 बिलियन डालर्स तक हम लोगों का निर्यात हो चुका है। इसमे मैं अपने सहभागी को यह भी सूचित करना चाहूंगा कि इन 303 बिलियन डालर्स से करीब 210 बिलियन डालर्स रोजगार से जुड़े हुए क्षेत्रों का है। जहां 20-22 प्रतिशत वृद्धि इस वर्ष में भी आई है। हमें केवल निर्यात के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि निर्यात से जुड़े हुए रोजगार के अवसरों के बारे में भी हमें चिंता करनी चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले तीन क्वार्टर्स में भारत में हमने करीब-करीब 7.31 लाख नये रोजगार के अवसर उत्पन्न कराये हैं। यह बात भी की गई कि निर्यात के क्षेत्र में ज्यादा इन्सैंटिव्स देने चाहिए और बात बिल्कुल ठीक है। 2009 से जब हमारी सरकार दोबारा आई तो जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमने वातावरण देखा तो केवल लेबर इन्सैन्टिव सैक्टर्स पर हमने अपना ध्यान केन्द्रित किया और इसी की बदौलत अगर हम विशेष कृषि ग्रामीण उपज योजना को देखें, जहां हजार प्रोड़क्ट्स के लिए पांच प्रतिशत इन्सैन्टिव दिया जाता है, फोकस मार्केट स्कीम में 112 कंट्रीज में तीन प्रतिशत इन्सैन्टिव दिया जाता है। फोकस प्रोडक्ट स्कीम में 900 ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए दो प्रतिशत इन्सैन्टिव दिया जाता है और मार्केट लिंक फोकस प्रोडक्ट स्कीम में चार हजार प्रोडक्ट्स के लिए दो प्रतिशत इन्सैन्टिव दिया जाता है। हमारी सोच-विचारधारा लेबर इंसेंटिव सेक्टर के लिए है क्योंकि उसी के साथ इस देश की प्रगति जुड़ी हुई है। अपने सहभागी के साथ मैं बिल्कुल सौ प्रतिशत सहमत हूँ। इसीलिए हैण्डीक्राफ्ट्स के सेक्टर को फोकस प्रोडक्ट स्कीम में सबसे ज्यादा, जहां न्यूनतम तौर पर पांच प्रतिशत दिया जाता है, लेकिन हैण्डीक्राफ्टस को सात प्रतशत दिया गया है। सिल्क कार्पेट्स को सात प्रतिशत दिया गया है, खिलौने के लिए सात प्रतिशत, हैण्डलूम्स के लिए सात प्रतिशत, स्पोर्ट्स गुड्स, चमड़े और चमड़े से जुड़े हुए सात प्रतिशत, बाइसिकल पार्ट्स के लिए सात प्रतिशत। ...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको एतराज़ न हो क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। संसद को अवगत कराना भी मेरा दायित्व होता है। विशेष कृषि ग्रामीण उपज योजना के अंतर्गत जो ग्रेप्स और फल हैं, उस क्षेत्र के लिए सात प्रतिशत दिया गया है। चाय और कॉफी के लिए पांच प्रतिशत दिया गया है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : हमारी सोच और विचारधारा है कि जहां तक कार्पेट्स की बात की गई, केवल भदोही में ही कार्पेट मेनुफेक्चर्स के लिए हमारी सरकार के द्वारा 125 करोड़ रूपये की एक

स्पेशल क्लस्टर दी गई है। चमड़े के क्षेत्र में मेगा कल्स्टर्स दिए गए हैं। बाकी हैण्डलूम्स के सेक्टर में, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी मेगा क्लस्टर्स की घोषणा की है। इस यूपीए सरकार का ध्यान पूरी तरह से लेबर इंटेंसिव सेक्टर पर केंद्रित है।

12.00 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid.

THE MINISTER OF SHIPPING (SHRI G.K. VASAN): I beg to lay on the Table a copy of the Merchant Shipping (Regulation of Entry of Ships into Ports, Anchorages and Offshore facilities) Rules, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 311(E) in Gazette of India dated 20th April, 2012 under sub-section (3) of Section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958.

(Placed in Library, See No. LT 6824/15/12)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Environment (Protection) (Third Amendment) Rules, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 277(E) in Gazette of India dated 31st March, 2012 under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986.

(Placed in Library, See No. LT 6825/15/12)

(2) A copy of the Notification No. S.O. 2866(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 27th December, 2011 making certain amendments in Notification S.O. 489(E) dated 30th April, 2003, issued under section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986.

(Placed in Library, See No. LT 6826/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the British India Corporation Limited (BIC) and the Ministry of Textiles for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 6827/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M.M. PALLAM RAJU): I beg to lay on the Table a copy of the Annual Administration Reports (Hindi and English versions) of the Cantonment Boards for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 6828/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI JITIN PRASADA): I beg to lay on the Table:-

(1|) Copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute for Training of Highway Engineers, Noida, for the year 2009-2010, along with Audited Accounts.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 6829/15/12)

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 10 of the National Highways Act, 1956:-

(i) S.O. 2494(E) published in Gazette of India dated 3rd November, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 154 (Dhaleswari-Bhairabi Section) in the State of Assam.

(ii) S.O. 2491(E) and S.O. 2492(E) published in Gazette of India dated 3rd November, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 12 (Bhopal-Biaora Section) in the State of Madhya Pradesh.

(iii) S.O. 2608(E) published in Gazette of India dated 22nd November, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance,

management and operation of National Highway No. 12 (Bhopal-Biaora Section) in the State of Madhya Pradesh.

(iv) S.O. 2639(E) published in Gazette of India dated 25th November, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 13 (Chithradurga to Shimoga Section) in the State of Karnataka.

(v) S.O. 2640(E) published in Gazette of India dated 25th November, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 12 (Bhopal-Biaora Section) in the State of Madhya Pradesh.

(vi) S.O. 2641(E) published in Gazette of India dated 25th November, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 64 (Patiala-Sangrur-Bathinda Section) in the State of Punjab.

(vii) S.O. 2721(E) published in Gazette of India dated 30th November, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 333(E) dated 11th February, 2011.

(viii) S.O. 2809(E) published in Gazette of India dated 16th December, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1667(E) dated 21st July, 2011.

(ix) S.O. 1960(E) published in Gazette of India dated 25th August, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 11 in the State of Rajasthan.

(x) S.O. 1961(E) published in Gazette of India dated 25th August, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 15 (Bikaner-Suratgarh Section) in the State of Rajasthan.

(xi) S.O. 1962(E) published in Gazette of India dated 25th August, 2011, authorising the Additional Distrcit Magistrate, Nagaur, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 89 (Ajmer-Nagaur Section) in the State of Rajasthan.

(xii) S.O. 1963(E) published in Gazette of India dated 25th August, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 113 in the State of Rajasthan.

(xiii) S.O. 2018(E) published in Gazette of India dated 29th November, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 75 (Bamitha-Satna Section) in the State of Madhya Pradesh.

(xiv) S.O. 2038(E) published in Gazette of India dated 2nd September, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 92 (Gwalior-Bhind Section) in the State of Madhya Pradesh.

(xv) S.O. 2039(E) published in Gazette of India dated 2nd September, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 92 (Bhind-Itawa Section) in the State of Madhya Pradesh.

(xvi) S.O. 48(E) published in Gazette of India dated 10th January, 2012, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 15 in the State of Rajasthan.s

(xvii) S.O. 49(E) published in Gazette of India dated 10th January, 2012, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 15 in the State of Punjab.

(xviii) S.O. 77(E) published in Gazette of India dated 17th January, 2012, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 212 (Kerala-Karnataka Border to Kollegal Section) in the State of Karnataka.

(xix) S.O. 78(E) published in Gazette of India dated 17th January, 2012, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 75 (Bamitha-Satna Section) in the State of Madhya Pradesh.

(xx) S.O. 92(E) published in Gazette of India dated 19th January, 2012, authorising the Sub-Divisional Officer, Ajmer, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 89 in the State of Rajasthan.

(xxi) S.O. 93(E) and S.O. 94(E) published in Gazette of India dated 19th January, 2012, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 7 (Rewa-Hanumana Section) in the State of Madhya Pradesh.

(xxii) S.O. 187(E) published in Gazette of India dated 30th January, 2012, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 75 (Bamitha-Satna Section) in the State of Madhya Pradesh.

(xxiii) S.O. 205(E) and S.O. 206(E) published in Gazette of India dated 1st February, 2012, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 64 (Zirakpur-Patiala Section) in the State of Punjab.

(xxiv) S.O. 2248(E) published in Gazette of India dated 28th September, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

(xxv) S.O. 2325(E) published in Gazette of India dated 10th October, 2011, directing that the Urban Improvement Trust, Kota of the Urban Development and Housing Department of Government of Rajasthan shall exercise the function relating to the development and maintenance of Northern Kota Bypass starting on National Highway No. 76 and terminating on State Highway No. 33, which further joins National Highway No. 12 in the State of Rajasthan.

(xxvi) S.O. 2434(E) published in Gazette of India dated 25th October, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

(xxvii) S.O. 2571(E) published in Gazette of India dated 14th November, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

(xxviii) S.O. 2573(E) published in Gazette of India dated 14th November, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

(xxix) S.O. 51(E) published in Gazette of India dated 10th January, 2012, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

(xxx) S.O. 271(E) published in Gazette of India dated 14th February, 2012, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

(xxxi) S.O. 275(E) published in Gazette of India dated 14th February, 2012, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

(xxxii) S.O. 277(E) published in Gazette of India dated 14th February, 2012, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

(xxxiii) S.O. 312(E) published in Gazette of India dated 22nd February, 2012, declaring the Highways, mentioned therein, as National Highways.

(4) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (ii) to (xv) of (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 6830/15/12)

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 37 of the National Highways Authority of India Act, 1988:-

(i) S.O. 1171(E) published in Gazette of India dated 25th April, 2011, entrusting the stretches, mentioned therein, of National Highway No. 47C in the State of Kerala, to National Highways Authority of India, together with a corrigendum thereto published in Notification No. S.O. 257(E) dated 10th February, 2012.

(ii) S.O. 1791(E) published in Gazette of India dated 3rd August, 2011, entrusting the stretches, mentioned therein, of National Highway No. 48 in the State of Karnataka, to National Highways Authority of India.

(iii) S.O. 2247(E) published in Gazette of India dated 28th September, 2011, entrusting the stretches, mentioned therein, of National Highway Nos. 95, 11 and 12 in the States of Punjab and Rajasthan, to National Highways Authority of India.

(iv) S.O. 2433(E) published in Gazette of India dated 25th October, 2011, entrusting the stretches, mentioned therein, of National Highway Nos. 45, 205, 210 and 220, in theStates of Andhra Pradesh and Tamil Nadu, to National Highways Authority of India.

(v) S.O. 2570(E) published in Gazette of India dated 14th November, 2011, entrusting the stretches, mentioned therein, of National

Highway No. 6 (Orissa/Chhattisgarh Border-Aurang) in the State of Chhattisgarh, to National Highways Authority of India.

(vi) S.O. 2572(E) published in Gazette of India dated 14th November, 2011, entrusting the stretches, mentioned therein, of National Highways, mentioned in the Notification, in the State of Rajasthan, to National Highways Authority of India.

(vii) S.O. 50(E) published in Gazette of India dated 10th January, 2012, entrusting the stretches, mentioned therein, of National Highway No. 200 (Raipur-Bilaspur Section) in the State of Chhattisgarh, to National Highways Authority of India.

(viii) S.O. 270(E) published in Gazette of India dated 14th February, 2012, entrusting the stretches, mentioned therein, of new and the old National Highways, mentioned in the Notification, in the State of Rajasthan, to National Highways Authority of India.

(ix) S.O. 272(E) published in Gazette of India dated 14th February, 2012, making certain amendments in the Notification No. S.O. 418(E) dated 22nd March, 2007.

(x) S.O. 273(E) published in Gazette of India dated 14th February, 2012, making certain amendments in the Notification No. S.O. 910(E) dated 21st April, 2010.

(xi) S.O. 274(E) published in Gazette of India dated 14th February, 2012, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1939(E) dated 9th August, 2010.

(xii) S.O. 276(E) published in Gazette of India dated 14th February, 2012, entrusting the stretches, mentioned therein, of new and the old National Highways, mentioned in the Notification, in the State of Punjab, to National Highways Authority of India.

(xiii) S.O. 2719(E) published in Gazette of India dated 30th November, 2011, entrusting the stretches, mentioned therein, of the new

National Highway Nos. 31, 28 and 335 in the State of Uttar Pradesh, to National Highways Authority of India.

(Placed in Library, See No. LT 6831/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): On behalf of Shri D. Napoleon, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) on the working of Section 21 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, for the year 2009, under sub-section (4) of Section 21 of the said Act.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 6832/15/12)

(3) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) on the working of provision 15A of the Protection of Civil Rights Act, 1955, for the year 2009, under sub-section (4) of Section 15A of the said Act.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 6833/15/12)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute for the Visually Handicapped, Dehradun, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute for the Visually Handicapped, Dehradun, for the year 2010-2011.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 6834/15/12)

(7) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the National Handicapped Finance and Development Corporation and the Ministry of Social Justice and Empowerment for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 6835/15/12)

12.02 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA*

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Protection of Children from Sexual Offences Bill, 2012 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 10th May, 2012"

2. Madam Speaker, I lay on the table the Protection of Children from Sexual Offences Bill, 2012, as passed by Rajya Sabha on the 10th May, 2012."

12.02 ½ hrs.

STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPM ENT
20th Report

श्री शरद यादव (मधेपुरा): महोदया, मैं सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, सन् 2011 के बारे में शहरी विकास संबधी स्थायी समित (2011-12) का 20वां प्रतिवेदन (हिंदी और अंग्रेजी) का संस्करण प्रस्तुत करता हूँ।

12.02 ¾ hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
38th Report

SHRI GOPINATH MUNDE (BEED): I beg to present the Thirty-eighth Report of the Business Advisory Committee.

---

* Laid on the Table.

12.03 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) (a)Status of implementation of the recommendations contained in the 19th Report of the Standing Committee on Labour on Demands for Grants (2011-12), pertaining to the Ministry of Labour and Employment*

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): I beg to lay the Statement on the status of implementation of recommendations contained in the Nineteenth Report of the Parliamentary Standing Committee on Labour, as per Direction issued by the Hon'ble Speaker, Lok Sabha in pursuance of Rule 389 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha on 1st September, 2004.

The Nineteenth Report of the Committee concern the Ministry of Labour and Employment, which was laid on the Table of the House on 30.08.2011. I would like to mention that the Ministry had submitted to the Committee, the Action Taken Report on this Report on 15.12.2011, which has been taken note of by the Committee.

The status of implementation of the recommendations of the Committee, contained in the Nineteenth Report, is indicated in the Annexure to my Statement, circulated among Hon'ble Members. I would not like to take the valuable time of the House to read out all the contents of this Annexure.

I would request that this might be considered as read.

* Laid on the Table and also Placed in Library, See No. LT 6836/15/12.

<u>12.04 hrs</u>

(i) (b) Status of implementation of the recommendations contained in the 17th Report of the Standing Committee on Labour on Welfare of Beedi Workers, pertaining to the Ministry of Labour and Employment*

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): I beg to lay the Statement on the status of implementation of the recommendations/observations contained in the Seventeenth Report of the Parliamentary Standing Committee on Labour on Welfare of Beedi Workers of Ministry of Labour & Employment, as per direction 73A of Hon'ble Speaker, Lok Sabha.

The Seventeenth Report of the Committee concern the Welfare of Beedi Workers of Ministry of Labour and Employment, which was laid on the Table of the House on 24.03.2011.

I would like to mention that the Ministry had submitted the Action Taken Replies on this Report to the Committee on 02.04.2012.

The status of implementation of the recommendations/observations of the Committee, contained in the Seventeenth Report, is indicated in the Annexure to my Statement, circulated among Hon'ble Members. I would not like to take the valuable time of the House to read out all the contents of this Annexure.

I would request that this might be considered as read.

MADAM SPEAKER: Item no. 11 – Shri Pranab Mukherjee.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam, I want to make a Statement. Would I make that Statement first or introduce the Bill.

MADAM SPEAKER: You move the motion for introducing the Bill.

---

* Laid on the Table and also Placed in Library, See No. LT 6837/15/12.

<u>12.05 hrs.</u>

PUBLIC PROCUREMENT BILL, 2012*

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I beg to move for leave to introduce a Bill to regulate public procurement with the objectives of ensuring transparency, accountability and probity in the procurement process, fair and equitable treatment of bidders, promoting competition, enhancing efficiency and economy, maintaining integrity and public confidence in the public procurement process and for matters connected therewith or incidental thereto.

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to regulate public procurement with the objectives of ensuring transparency, accountability and probity in the procurement process, fair and equitable treatment of bidders, promoting competition, enhancing efficiency and economy, maintaining integrity and public confidence in the public procurement process and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 14.05.12.

MADAM SPEAKER: Now, we shall take up 'Zero Hour'.

Shri Harin Pathak.

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज आपके माध्यम से मैं पूरे सदन का ध्यान अत्यंत गंभीर और संवेदनशील प्रश्न की तरफ लाना चाहता हूं। पिछले 6-7 दिनों में अफ्रीका के अंगोला शहर में, हमारे देश के जो युवक वहां पर काम करने के लिए गए हैं, अंगोला में 1200 युवक हैं, इन 1200 युवकों को काम देने वाली जो कंपनी है, उसने उनके पासपोर्ट छीन लिए, जिस घर में वे रहते थे, उस घर से उन्हें बेघर कर दिया, एक महीने से उनको तनख्वाह भी नहीं दी है। वे टीवी चैनल्स पर रो रहे हैं। उनकी हालत बहुत दयनीय है। उन 1200 युवकों में से 40 गुजरात के हैं। जब यह हम सबके ध्यान में आया, हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र भाई ने शनिवार को प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। विजय चमनभाई नाम से पेटलाद में एक लड़का है, उनके घर गए। मेरी आपसे यही करबद्ध प्रार्थना है कि 1200 भारतीय नागरिक वहां फंसे हैं, उसमें युवक भी हैं, जो रोजगार के लिए गए हैं।

महोदया, ऐसा केवल आजकल नहीं होता है, जब-जब भी हमारे देश के युवक काम करने के लिए जाते हैं, तो उनके साथ यही व्यवहार किया जाता है कि उनका पासपोर्ट पहले से जब्त कर लिया जाता है। उनको तनख्वाह नहीं दी जाती , जो काम उन्हें सौंपा है, उससे दूसरा काम उनसे करवाया जाता है।

इसके कारण मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सरकार यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई करे। ये 1200 हमारे भारतीय नागरिक हैं। अगर हमारा एक नागिरक भी हिंदुस्तान के बाहर बैठा है, उसकी सलामती का सवाल है, उसकी भुखमरी का सवाल है, उसके साथ कोई अन्याय करता है, उसके जीवन का सवाल है, वे कह रहे हैं कि हम मर रहे हैं। मैंने टीवी पर परसों देखा कि जिनको बंधक बनाया, वे फंसे हुए हैं, वे रास्तों पर दौड़ रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हम मर रहे हैं, हम भूखे हैं, कोई हम पर ध्यान दो। यह टीवी चैनल्स में आया है। वे जंगलों में छिपे हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि तुरंत विदेश मंत्रालय से संपर्क करके हमारे जो 1200 युवक, भारतीय नागरिक फंसे हैं, जिनमें 40 गुजरात के हैं, उनको देश में वापस लाने का काम किया जाए। उनको तुरंत संरक्षण दिया जाए, उनको जो-जो भी सुविधा की जरूरत है, उनकी सलामती की चिंता की जाए। यही मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान) मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि वह तुरंत इस पर ध्यान दे, वे 1200 लोग हैं।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: You all can send your names to associate with the matter raised by him.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : श्री पन्ना लाल पुनिया, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री शिवराम गौड्डा, श्री रामसिंह राठवा, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण, श्री नारनभाई कछाड़िया, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री जितेन्द्र सिंह, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री देवजी एम. पटेल, श्री सी.आर.पाटिल, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल और श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी अपने आपको श्री हरिन पाठक जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

12.08 hrs

SUBMISSION BY MEMBERS

Re:Cartoons published in school textbooks brought out by NCERT

MADAM SPEAKER: Now, Shrimati Harsimrat Kaur Badal. Please wait for a minute. You know, on this issue, the hon. Leader of the House has already given the answer. So, would you like to raise it again because it has been raised already?

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BHATINDA): Madam, I just want to reiterate another point. I will wind up in a minute. … (*Interruptions*)

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): महोदया, इस बारे में हमें भी कुछ बोलना है।

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Madam, I would first like to start by thanking you for allowing me to raise this very disturbing issue, which, I think, is a serious concern for all of us sitting over here.

Madam, yesterday you said that while we were celebrating the 60 years of our democracy, this little plant of parliamentary democracy had now become a big tree. We seriously need to look at what we are doing to the very roots of this parliamentary democracy.

Madam, with very great sadness, during the Anna Hazare's *dharna* I noticed that hundreds of school children were actively participating in the movement against corruption and speaking openly against politicians and the political system. It not only saddened and disappointed me but also left me wondering as to the reason why they did it. As a 12-year child, I remember reading about great leaders who were actually role models for us, starting from Pandit ji to Mahatma ji to Maulana Azad, and to all these leaders, we used to look up to. It shocked me to see that today youngsters were not looking up to politicians but were actually holding us in very poor light.

Madam, recently I got a chance to interact with young school children aging between 13 years and 15 years from Class IX to class XII and I asked them the reason for this sense of disgust. I started by asking them as to how they would like to participate in nation building and how many of them would like to serve the country.

Madam, you will be horrified to know that out of 100 students present, not even one of them wanted to be a politician. But they all laughed at my face and said: "Why would any of us want to be a part of you looters, criminals, murderers and thieves?" Madam Speaker, I was horrified to hear all this.

When I asked them as to why do they have these ideas, they said: "Madam, look at our textbooks; look what the television says; look what the newspaper says; look what the movie says! You watch movie like *Rajniti* and *Ishaqjaade*! You watch television at 9 o'clock, and every news channel is just politically bashing the politicians because their TRP would only go up if they say bad stuff about people. Nobody shows any good stuff about politician."

So, Madam, today, you are being perceived by the public that there is a wave of revulsion in the country against politicians. Anyone who calls us 'looters, murderers and criminals' , the public seems to love it. We cannot control what the television shows or what the newspapers write or what the movies show or what the magazines write. But if impressionable young minds of 13 year olds are going to be shown cartoons like 'the politician treating the voter like a hungry dog, showing him *rotis* and then gun-toting politicians.' Madam, I have distributed the cartoon and it is for everybody to see.… (*Interruptions*)

But Madam, what worries me is this. What about those lofty ideals set-forth by our seniors, who talked about sacrifice for the country, who gave up all their comforts to serve the under-privileged, the movements and fights set forth by those people?

Not only has the UPA Government made a laughing stock of their own leaders and of revered leaders of other parties, but in fact, they have no democracy.

In such an undemocratic manner they have poisoned the minds of crores of children over the last six to seven years, which can never be set right.

Today, Madam, it is not a question of these cartoons being removed. What I want to ask is this. What about all those minds that have been poisoned? What about this wave of revulsion, which is spreading in our country? Who is responsible for that and how are we going to correct that?

Madam, we talk about Right to Education, but if we do not look at the quality of education we are imparting, we are not only harming the country, but also we are weakening this very democracy where we are sitting.

So, Madam, I would like to request this august House that just removing the cartoons is not enough. Today, if we only do not put up those high ideals set forth by our leaders, and make role models out of them, for the next generation to look up to, then we are already branded as looters, criminals and murderers, and sixty years down the line when we look back, no one is going to remember either us or the generation. So, this is a very serious issue. It is not just something to contemplate. Take away the cartoons. Yes, responsibility should be fixed. Why is the Minister not looking at what his textbooks are teaching? Who are the people who have made not just a laughing stock of the Congress parties' leaders but of every other leaders and poisoned those minds? Why should strict action not be taken in a time bound manner? But how are we going to now reverse this trend and that damage that has been done in the last seven years?

That is what I would like to ask.

SHRI P.L. PUNIA (BARABANKI): Madam, I would like to associate myself on this issue raised by Shrimati Harsimrat Kaur Badal.

MADAM SPEAKER: Okay, you name will be associated on this matter.

श्री संजय निरुपम : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने की अनुमति दी। जब प्रश्नकाल शुरू हो रहा था, तब हम लोगों ने यह विषय आपके समक्ष सदन में रखा था। तब नेता सदन ने इस बारे में एक आश्वासन दिया था। इस आश्वासन के बावजूद अभी भी यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में पोलिटीशियन बैशिंग एक नया फैशन सा बन गया है। जिसको

देखो वही - टेलीविज़न प्रोग्राम हो, फिल्म हो, अखबार हो, सभाएँ हों, कार्यक्रम हों, उन कार्यक्रमों के माध्यम से और कुछ नहीं, एक प्रकार का ज़हर फैलाया जा रहा है कि इस देश में अगर सबसे खतरनाक प्रजाति कोई है तो यहे राजनीतिक लोग हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि यह राजनीतिक सिस्टम ही देश को आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : राजनीति के बगैर इस देश में जनतंत्र की कामयाबी की कल्पना नहीं की जा सकती। जनतंत्र है तो हम सब सुरक्षित हैं। यह सब जो अभी तक अलग-अलग स्तर पर हो रहा था, वह हम सब देख रहे हैं, झेल रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे हैं, अपनी-अपनी बातें भी रख रहे हैं, लेकिन एन.सी.ई.आर.टी. की किताबें जो हम नई पीढ़ी के बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखलाने के लिए प्रकाशित करते हैं, जो भारत सरकार का एच.आर.डी. मिनिस्ट्री करता है, अगर मिनिस्ट्री की किताबों में ही इस प्रकार की किताबें आने लगेंगी, तो यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा। पिछले हफ्ते हमने देखा कि बाबासाहेब अंबेडकर के संदर्भ में जो एक आपत्तिजनक कार्टून छापा गया, उसमें हम सभी लोगों ने, पूरे सदन ने, पूरे देश ने आपत्ति की, जिसके बाद सरकार ने उस कार्टून को भी वापस लिया और उस किताब को भी वापस लिया। आज हमारे पास एक नई किताब की कॉपी है- डेमोक्रेटिक पॉलीटिक्स-1। डेमोक्रेसी और पॉलीटिक्स सिखलाते-सिखलाते उस ज़माने में हमारे जो अलग-अलग शासक थे, महापुरुष थे, जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, राजनेता रहे, उनके ज़माने के कार्टून अखबारों में छपते थे, उन कार्टूनों के माध्यम से हम नई पीढ़ी को सिखलाना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता क्या सिखलाना चाह रहे हैं!

मैं सबसे पहले मांग करूंगा कि एचआरडी मिनिस्ट्री को इस तरह की पुस्तकों को छापने के बारे में अपनी नीतियां स्पष्ट करनी चाहिए। इस प्रकार के आपत्तिजनक और खराब स्वाद के कार्टून नहीं छापे जाने चाहिए।...(व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि एनसीईआरटी की किताबों का पाठ्यक्रम तय करने के लिए विद्वानों की एक समिति होती है। यह कौन से विद्वान हैं? इन विद्वानों को आखिर बुरे स्वाद के, बेड टेस्ट के कार्टून्स में आखिर क्या रूचि है? ऐसे विद्वानों की समिति के खिलाफ, जो हमारे देश के तथाकथित विद्वान हैं, उनके खिलाफ इनक्वायरी होनी चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।...(व्यवधान) ये विद्वान भी कहीं न कहीं उस साजिश में शामिल तो नहीं हैं।...(व्यवधान) पूरे राजनीतिक जमात को बदनाम करने के लिए और उसके माध्यम से पूरे देश की जनतान्त्रिक व्यवस्था को बदनाम करने का जो कार्यक्रम चल रहा है, वह

खत्म होना चाहिए। न सिर्फ यह किताब विड्रा करनी चाहिए, बल्कि जिन-जिन विद्वानों की समिति ने इन किताबों के बारे में निर्णय लिया है, उस समिति के खिलाफ भी एक जांच आयोग बैठना चाहिए ताकि भविष्य में देश की जनतांत्रिक व्यवस्था को बर्बाद और बदनाम करने वाले लोग इस प्रकार की हरकत न करें।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Do you want to associate? What do you say? जो माननीय सदस्य अपने को सम्बद्ध करना चाहते हैं, कृपया अपने नाम की स्लीप टेबल पर भेज दें।

श्री एन.एस.वी. चित्तन, श्री जे.एम.आरुन रशीद, श्री पन्ना लाल पुनिया, श्रीमती अन्नू टण्डन, श्रीमती दीपा दासमुंशी, श्री सुरेश कुमार शेटकर, श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी, श्री किसनभाई वी.पटेल, डॉ. क्रुपारानी किल्ली, श्री सज्जन वर्मा, कुमारी मीनाक्षी नटराजन, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री महाबल मिश्रा, श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी, श्री सतपाल महाराज, श्री पी.टी.थॉमस, श्री महिन्दर सिंह केपी, श्री एन. पीताम्बर कुरुप, श्री एंटो एंटोनी, चौधरी लाल सिंह, श्री निनोंग ईरींग और डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा अपने को श्री संजय निरुपम द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करते हैं।

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): Madam, we all know that we are a liberal society. We all know that we are a democratic society. We all know that in a liberal democratic society, there is a place for humour and, therefore, in all the newspapers and magazines, day after day, cartoons are published. We all look at them. We smile at them and that is the end of the matter.

But of late, we have noticed a tendency on the part of some people in this country to denigrate the political class. We have noticed a tendency on the part of some people to make fun of not only Members of Parliament and the State Legislatures but the entire Parliament, the entire democratic structure of this country, the system of democracy, the institutions of democracy are being denigrated every day by some people. We are a free society. There is freedom of expression. Therefore, no action is taken.

But when we looked at this book--and I must confess that I do not have school-going kids, so I do not know what is being taught in the schools today--what does this book, which has been circulated to the Members of Parliament about democratic politics, represent? This is a collection of the worst cartoons on

politicians in this country, and they have all been collected and put together in this book. The children of impressionable mind, impressionable age, you know, are being moulded through books like this. We are moulding their minds to hate politics, to hate politicians and thereby we are endangering the democracy of this country.

We are all proud of the fact that India is a democracy. We know that democracies have collapsed all around us and in the rest of the Third World. India is the only shining star where democracy has survived. When we go out, we proudly make this point that we belong to a democratic nation; we belong to a country which – despite all our problems, despite all our quarrels, despite all the poverty and deprivation that our people face – has continued to be a democracy. We have upheld the torch of democracy burning bright throughout the 60-65 years that this country has been an independent country. But, if we are denigrated in this manner before the going kids, then what is the impression that they will form about us? I was not at all surprised when the distinguished Member said that when she asked the children as to whether they were willing to join politics, they said 'No'. We, sitting in this House, know as to how difficult it is to win an election and come to this House to represent a constituency.

I have said in this House that I belong to the top Civil Service of this country. I thought that passing that examination was the most difficult thing in the world until I contested my first election and realised that contesting an election is the most difficult thing in India's politics. We have all come through that. We all come from different backgrounds, but we represent the people of India. All 543 of us here in this House represent the people of India. If there is one institution in this country that really represents the people of India, it is the Lok Sabha; it is the Parliament of India.

Madam, you will entirely agree that if we spread this kind of canard about politics in a systematic manner among the young people of this country, then what is that we are trying to teach our people and our kids? Therefore, I do not know

what procedure has been followed; I do not know which brilliant minds have gone into preparation of this, but they are clearly the minds which are not needed, people who are not needed in the democratic polity of this country. Therefore, removing this cartoon, removing this book is not enough, the person who should be removed is the Minister for HRD.… (*Interruptions*)

After all, there is a concept of Ministerial responsibility in this country and we cannot hide behind the fact that somebody else has done it, for every action, the Minister is responsible. Therefore, we demand that the Minister must come to this House and politely tender his resignation. That is the only thing which can satisfy us.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri P.L. Punia, Shri Shivarama Gouda, Shri Sohan Potai, Shrimati Jayshreeben Patel, Shrimati Kamla Devi Patle, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shri Gajanan D. Babar, Shri Rajendra Agrawal, Prof. Ramshankar, Shri Ganeshrao Nagorao Dudhgaonkar and Shri Virendra Kumar are allowed to associate with the matter raised by Shri Yashwant Sinha.

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री शरद यादव।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : वे खड़े हैं। उन्हें बोलने दीजिए। बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, यह सवाल दो-तीन दिनों से सभी पक्षों में बेचैनी बनाए हुए है। इसमें दो जगह तो मेरा ही कार्टून बनाया गया है और ये दो साल पहले मुझे किसी टीचर ने आकर बताया था। मैं इसमें कहना चाहता हूं कि बहुत पुराने कार्टूनिस्ट हैं, उनकी भी बहुत कार्टूनें हैं। लेकिन मैं इतना ही निवेदन करूंगा, जैसा यशवंत सिन्हा जी ने कहा कि एक तरफ से नहीं, बल्कि चारों तरफ से और यह वर्षों से शुरू है। आलोचना तो होती है। …(व्यवधान) लेकिन मैं यह मानता हूं कि इस देश में अगर कोई परिवर्तन होगा तो इस सदन से होगा, लोक सभा से होगा। सब चीजें हैं, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन यशवन्त सिन्हा जी ने जो बातें उठाई हैं, इसमें इन्दिरा जी हैं, बड़े-बड़े लोग हैं। इन्दिरा जी के प्रति इसमें हैं,

आडवाणी जी हैं, अटल जी हैं और हम भी 2-3 जगह हैं...(व्यवधान) हमको तो कई बार कई तरह से लोगों ने चित्रित किया है। हमारी आदत सदियों से जीने की है...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): इसमें कार्टून में नहीं हैं।

श्री शरद यादव : आपको क्यों तकलीफ हो रही है, क्या आपका भी इसमें है?

श्री लालू प्रसाद : हमको तकलीफ नहीं है, तकलीफ यह है कि हमको छोड़ दीजिए, आडवाणी जी को देखिये।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Sharad-ji, please address the Chair.

श्री शरद यादव : मैंने उनका भी बोला है।...(व्यवधान) आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। लालू जी, मैंने उनका भी बोला है।

MADAM SPEAKER: Please address the Chair. शरद जी, इधर देखिये।

श्री शरद यादव : वह आडवाणी जी नहीं हैं, वह लक्ष्मण का आदमी है, थोड़ा पढ़िये-लिखिये।

अध्यक्ष महोदया: हां, इधर देखकर बोलिये।

श्री शरद यादव : क्या करें, इन्होंने छेड़ा, इसलिए गलत बात न हो जाये तो बताया कि वह लक्ष्मण का आदमी है। मगर आडवाणी जी का भी जिक्र है, एक-दो जगह उनका भी है। मैं यह कह रहा हूं कि मैं इसमें नहीं जा रहा हूं।...(व्यवधान) नहीं, सुनिये। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो कार्टूनिस्ट होते हैं, वे सवालों को, सारी समस्याओं को बहुत तरीके से चित्रमय कर देते हैं, लेकिन उसके लिए परिपक्व दिमाग चाहिए। यह किशोर मन जो है, जब वे अपनी दुनिया के बारे में दिमाग बनाते हैं, संस्कार बनाते हैं तो यशवन्त सिन्हा जी ठीक बोल रहे थे, उसमें एक बात यह है कि यह बात इसमें ऐसे रखनी चाहिए कि जो बच्चा है, वह तो चित्र के साथ ही महसूस करेगा कि इसमें क्या है। मैं मानता हूं कि बाबासाहेब का भी जो था, मैंने एक आर्टिकल उनका पढ़ा है, उसमें उनका जिक्र था तो उसमें उन्होंने यह कहा कि इस कार्टून में तो ठीक बात है, लेकिन मेरे साथ जवाहर लाल जी जरूर होने चाहिए थे और राजेन्द्र बाबू पीछे से यदि व्हिप लगा रहे होते तो ज्यादा ठीक होता।

कार्टून सब के बनते हैं, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा है, वह यह है कि हर तरह की जिंदगी के बारे में राजनीति का कोई विश्वविद्यालय नहीं होता। पोलिटिकल साइंस होती है, लेकिन राजनीति का कोई विश्वविद्यालय नहीं होता, राजनीति आदमी अपने आप प्रेरित होकर समाज में सीखता है। किसी तरह से कुछ लोग आजकल एडमीशन के चलते आने लगे हैं कि यह पहला शॉर्ट कट है, लेकिन 60 वर्ष में यह हालत 10-15 वर्ष से हुई है। बाकी देश, बाकी समय, चाहे आजादी की लड़ाई हो, चाहे आजादी के बाद का

समय हो, लोग तो इस देश में त्याग, तपस्या और समाज को बनाने के लिए राजनीति में आते थे। अब यह जो लोगों की बेचैनी है, उसका कारण अकेले यह कार्टून नहीं है। यह सबसे बड़ी बेचैनी है कि लोकतंत्र और लोकशाही में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किताब और पुस्तक हैं, अब मैं इंजीनियरिंग पास हूं, लेकिन मेरी पढ़ाई का कोई वास्ता इससे नहीं है, लेकिन रिक्शा वाला, तांगे वाला, गिट्टी तोड़ने वाला, खेत वाला, खलिहान वाला, प्रोफेसर, जो और तरह की बात आप लोग कर रहे थे, अकेले यहां इसी सदन में लोग बैठे हैं, जो हर तरह की जिंदगी को महसूस ही नहीं करते, बल्कि उसका अध्ययन किये हुए लोग बैठे हैं। कबीर ने ठीक बात कही थी कि पोथी से समाज नहीं समझा जा सकता, पोथी से नहीं, अपने जीवन के अनुभवों से समाज को समझ सकते हैं।…(व्यवधान) जो इन्होंने कहा कि तू पोथी देखी बोलता है और मैं आंखों देखी बोलता हूं, यह ठीक बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब पढ़े-लिखे की, नहीं पढ़े-लिखे की बहस हो रही थी, गांधी जी ने सन् 1933 में कहा था, किसान और मजदूर जो स्कूल और कालेज नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि मेरा सबसे ज्यादा विश्वास उन्हीं पर है, जो इस …(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Let us please have this discussion.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: What is this? Sit down.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : पेपर नीचे करिए।

…(व्यवधान)

श्री शरद यादव : अंत में मैं विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि ये सारी चीज जो है, ठीक बात यह है कि लोकशाही की सरकार जो होती है, पंचायत से लेकर, विधान सभा से लेकर दिल्ली तक और यह सवाल कोई दो दिन का नहीं है, सरकार तो यहां 60 वर्ष से चल रही है, लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर कपिल सिब्बल जी हैं, …(व्यवधान) मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये इतने तरह के कानून और इतनी तरह की सब चीजें कर रहे हैं और यदि पूरी तरह से इस सवाल पर जिम्मेदारी किसी की डाली जाये तो पहले भी यदि मैंने भूल की है तो आपको किसलिये बिठाया गया है? आपको क्यों बिठाया गया है? इसलिए आपको, जिससे हर मंत्री आगे के लिए सर्तक रहे, यह कोई दूसरी चीज के लिए नहीं है, देश में बच्चों के जो संस्कार हैं, वे देश के हर तरह के लोगों के लिए, जो अच्छे लोग हैं, अच्छा पक्ष है,

उसके इतिहास को समझायें, ठीक से कोमल मन को समझाने का काम करना चाहिए। सिब्बल साहब, अकेले हम लोग नहीं, पूरा सदन आपके इन कामों के प्रति यहां बैचेनी जाहिर कर चुका है। आप सदन से तो गये हैं, लेकिन आप सोनिया जी को समझा रहे हैं, आपका काम चलेगा नहीं। आपने गैर-जिम्मेदारी का काम किया है, इसलिए आपको इस विभाग में नहीं ...(व्यवधान) आप आई.टी. मिनिस्ट्री को चलाइये। यह विभाग बहुत जिम्मेदारी का विभाग है। इसे छोड़िये और सबसे बड़ी बात कि आगे के लिए भी एक नया रास्ता बनाइये। .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री पन्ना लाल पुनिया अपने आपको श्री शरद यादव जी के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, इस मामले को गंभीरता से सिन्हा साहब ने और शरद यादव जी ने रखा है। हम समझ रहे हैं कि इसमें दलीय आधार पर नहीं सोचा जायेगा। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, यह विषय ऐसा है कि सभी राजनीतिज्ञों के ऊपर एक तरह से हमला ही है। देश की जनता की नजरों में हमें किस तरह से देखा जायेगा। बच्चों को इसे पढ़ाया जायेगा, बच्चे अगर इसे पढ़ेंगे तो उनकी मानसिकता कैसी होगी? हमारे देश में आने वाला जो समय है वह कैसा हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी बहुत प्रभावशाली और प्रेरणा लेकर आएगी, तो इसको गंभीरता से लीजिए।

हम इसे जानते हैं, हम पर तो बीत चुकी है। हमें तो सन् 1980 में डकैत बनाया गया था, राइफल लेकर हम चल रहे थे। उस चित्र में था कि हम राइफल लेकर चल रहे हैं, बीहड़ में जा रहे हैं और डकैत हैं। शरद यादव जी को सब कुछ पता है, फर्जी एनकाउंटर की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी, आप तो साथ थे। उस समय हमें डकैत बना दिया था। ...(व्यवधान) फर्जी एनकाउंटर्स हो रहे थे, हम लोग फर्जी एनकाउंटर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा, वह कैसा अध्याय था, कैसा समय था जिसमें लगभग पांच हजार निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी। मुझे गर्व है कि इस लड़ाई में शरद यादव जी थे, हम भी थे, बहुत लोगों ने लड़ा था, तब हम इसे बंद करा पाए थे। कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करा ली गई थी। ये जो इस तरह से कार्टून निकल रहे हैं, इससे बच्चों की मानसिकता क्या बनेगी? हम लोग तो कम से कम सदन में हैं, कुछ तो इस सदन के अंदर आदर्श हैं, जो आदर्श बनेंगे जो बच्चों और जनता के लिए आदर्श बनेंगे। हम लोगों को इस दृष्टि से देखा जाए। मैं कह सकता हूं कि चाहे कोई वर्ग हो अगर जरा-सी शराफत और विवेक है तो इस तरह की पुनरावृति न करें बुरे दिनों में और तकलीफ सुनने वाला कोई वर्ग है तो यह सांसद वर्ग है।...(व्यवधान) सांसद को रात के दो बजे जगा सकते हो। हर आदमी जो दुःखी है हम लोगों के पास आता है। कोई और जगह जाइए तो कहते हैं कि पूजा कर रहे हैं, स्नान कर

रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, दफ्तर चले गए हैं। जितने लोग यहां बैठे हैं, हम लोग ऐसे लोग हैं जब चाहे जनता अपनी मदद के लिए हमें पकड़ सकती है, खुली किताब की तरह हम लोग हैं।

अध्यक्ष महोदया, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि साठ साल तो मनाए गए हैं लेकिन अब साठ साल मनाने के बाद हम लोगों के लिए क्या मामला आ रहा है? इसे गंभीरता से लीजिए और ऐसा हो कि इसकी पुनरावृत्ति न हो।

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Thank you, Madam. The cartoons displayed in this House are all about the view points of the media. These cartoons are published in the book called 'political science'. Political science is all about theories and philosophies; it is about democracy; it is about monarchy; it is about the economic uplift and not the individual's performance or an offensive on the individuals.

Some media may support the Ruling Party and some media may support the Opposition Party. In my State, media is so spineless that they will not criticise the Government, but they will criticise the DMK Party, which is in the Opposition. So, this is the view of the media, and these view points of media are not political science. It is the criticism of the day-to-day affairs. When a student is taught about the day-to-day affairs and is told that this is political science, then that is the mockery of the subject itself.

Somebody who had prepared this book had some bad intention in his mind, and with that intention he must have prepared this book. I may like this cartoon and I may even call the cartoonist and appreciate him saying : "You have done a nice cartoon." Even Pandit Jawaharlal Nehru did it. So, it is different, but it is not political science. A newspaper may write something bad about me and when I tell them that you have written bad about me, then they will publish my rebuttal in the obituary column. I mean to say that the bad news about me will appear as headlines, but my rebuttal will appear in the obituary column! This is the view of the newspapers.

Cartoons are the view points of the newspaper, and it is not political science. So, this book should be immediately withdrawn, and those who prepared this book should be punished.

श्री दारा सिंह चौहान : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। आज हाउस शुरू होते ही इस कार्टून को लेकर जो हंगामा खड़ा हुआ, मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इस देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए, इस देश के अनेक लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी उसके बाद आजादी में लोकतंत्र स्थापित हुआ है। मैं समझता कि जिस तरह से सारे राज नेताओं के प्रति कार्टून अखबार में कभी-कभी देख लिया करते थे और आज एनसीआरटी के किताब में, हमारे जो बच्चे नर्सरी हैं, आने वाले कल के भविष्य हैं उनके दिमाग को बदलने की जो साजिश हो रही है इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसमें पढ़े-लिख लोग जो कार्टूनिस्ट हैं, कितने जद्दोजहद के बाद मुल्क को आजादी मिली और लोकतंत्र स्थापित हुआ मैं समझता हूं कि ऐसे पढ़े-लिखे लोग के दिमाग में इस लोकतंत्र के खिलाफ जो साजिश है इस कार्टून से स्पष्ट हो जाता है। वह नहीं चाहते हैं कि मुल्क में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहे। इसलिए देश में चाहे किसी पार्टी, किसी दल के लोग हों जो राजनीति लोग हैं, आजादी की लड़ाई लड़े आज हमारे बीच में कुछ लोग हैं और कुछ नहीं भी हैं उनके प्रति दुर्भावना की सोच हमारे आने वाले छोटे-छोटे बच्चों के अंदर पैदा की जा रही है। यह निश्चित रूप से देश के लिए दुर्भागयपूर्ण है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सिब्बल जी जैसे काबिल मंत्री के रहते हुए ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया उन्हें बोलने दीजिए। आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : माननीय सिब्बल जैसे काबिल मंत्री के रहते हुए एनसीआरटी के किताब के अंदर इस तरीके का कार्टून दिखाया जा रहा है तो निश्चित रूप से माननीय सिब्बल साहब को स्पष्ट रूप से अपनी बात रखनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे आने वाले दिनों में ऐसे लोग सबक लें और फिर इसकी पुनर्रावृत्ति न होने पाए।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, yesterday most of our colleagues expressed their faith in our parliamentary democracy. But we are coming across so much criticism about politicians. However, bearing all those things and despite all struggles, we are coming over here to debate and enact laws in order to develop this country and help the common man. That is our idea. As our colleague said, the newspapers can put as many cartoons as they like, and we

have no objection to that. They can write so many things criticizing us. That is part of democracy, and the Press has that right.

However, at the same time, what is the necessity of putting these kinds of cartoons in the textbooks, which is what we are objecting to. We are encouraging the youth to enter politics. The youth must be involved in the development of this country and that is why we are asking them to take part in political democracy. Under such circumstances, if such cartoons are published or being used in the text-books, what will the children and the youth think about politics? Such kinds of cartoons will poison the minds of the people, especially the young children. What will happen as a result of it is that it will lead to anarchy and the youth will not believe in democracy. Our forefathers struggled for achieving this democracy, which we are trying to preserve now. But if the cartoons published in the text-books are going to poison the minds of the students, then what will happen to the country?

Therefore, I want to know, through you, Madam, who is responsible for the publication of such kinds of cartoons in the text-books? Why was there negligence? Even in the revised books, the same cartoons were published, which is a mockery. The academicians must be held responsible for that. My request is that whoever is responsible for this, action must be taken against them.

श्रीमती शताब्दी राय (बीरभूम): अध्यक्ष महोदया, यहां सब माननीय सदस्य कार्टून के बारे में बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह सिर्फ कार्टून की ही बात नहीं है, बल्कि दुनिया में आजकल पॉलिटिशियन्स के बारे में जो बातें चल रही हैं, उस बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन्स नाम की गाली बहुत दिन पहले से चल रही है। अगर घर में कोई ज्यादा बात करे या उलटी बात करे तो हम कहते हैं वह बहुत पॉलिटिक्स करता है या पॉलिटिशियन है। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स और गाली पहले से ही एक साथ जुड़े हुए हैं। आजकल सिर्फ कार्टून में ही नहीं, बल्कि जंतर-मंतर, फिल्म, प्रोग्राम आदि सब जगह ऐसा हो गया है कि अगर कोई पॉलिटिशियन को गाली दे तो जनता को बहुत अच्छा लगता है। हर फिल्म में एक पॉलिटिकल लीडर होता है। हर प्रोग्राम में एक पॉलिटिशियन होता है, जो व्हाइट ड्रैस पहनता है। ऐसा लगता है कि यह पॉलिटिशियन है। यदि उसे कोई खराब बोलता है तो सबको अच्छा लगता है। मैं

कहना चाहती हूं कि जैसे सब एमपीज़ एमपीलैड के बारे में एक हो गए थे कि इसे बढ़ाना चाहिए, उसी तरह इस इशू के बारे में भी हमें यह नहीं देखना चाहिए कि कौन ऑपोजिशन में है। मैं दूसरी फील्ड से आई हूं, इसलिए मुझे लगा कि इलैक्शन लड़ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें बहुत काम करना पड़ता है। अगर मीडिया आदि कोई बोले कि यह खराब है, तो एक-दो लोग हर इंडस्ट्री में खराब हैं। लेकिन इस बात को बढ़ाने से हमारे अच्छे काम भी कवर हो जाते हैं। अगर सिर्फ बुराई ही होती तो यह देश नहीं चलता। अच्छाई है, इसलिए देश चल रहा है। अच्छाई है इसलिए देश आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि इसे इस्टैबलिश करना है। इसके लिए हम सबको एक साथ लड़ना है। यह किस लॉ के तहत होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं मालूम? यदि सब एक साथ हो जाएं, तो हम जो दो करोड़ लोगों को रिप्रैजेंट करते हैं, आम जनता के साथ लड़ना है, आम जनता हमारे अगेन्स्ट नहीं जाए, इसलिए जो लड़ाई लड़नी है, उसे अगर हम एक साथ लड़ें तो जिस जोश से हम इलैक्शन लड़कर आए हैं, उसी जोश से इसे भी फेस कर सकते हैं। पॉलिटिशियन अच्छा है, हमें इसे प्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियन बुरा है। यह हम सबकी इज्जत और सम्मान का सवाल है।

अध्यक्ष महोदया : श्री पी.एल. पुनिया अपने आपको श्रीमती शताब्दी राय के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, a week back when my esteemed colleague Mrs. Harsimrat Kaur Badal had shown me a book; I had actually prompted her to ventilate this issue on 13th May, 2012 but she was advised not to do that. Now, you have allowed us to speak. As politicians we are in public life, we know how to deal with criticism; how to deal with humour; and how to deal with satire. We are all accustomed to deal with this type of situation. I remember, I think 80 years back, when Mr. Churchill was interacting with the Press, he had said: "I will be happy if you write in favour of me; I will be doubly happy if you criticize me in your paper, but I will not at all relish if you ignore me." So, all of us will be happy to be seen in the pages and to be discussed in the media but we will never relish, if we are ignored. But what has happened in between?

Since 2006, NCERT has been publishing this book "Democratic Politics". This is for class IX. There have been books on Social Science for classes X, XI and also for XII. I will just draw the attention of this House to two specific

cartoons. In one cartoon, a candidate gives his property list which is a very recent phenomenon. It is a property list. There it is mentioned on the cartoon. You already have so much money because the candidate is providing a list of Rs. 50 crore. Why do you want to contest the election? Yes, we can laugh. This cartoon is there to bring a smile in our face. But the question which is put forth to explain or to write a passage by the student of class IX is "what do you think, will the situation change"? And that passage will be a very subjective passage.

And in another cartoon just beside that cartoon is that there are suitcases piled up like the sand bags that are piled to protect the security guard, and there is a bungalow which is quite far away. And the line is "He is guarding the defected MLAs." And the student of class IX is asked to explain the situation and that would be a very subjective one.

Of course, there is another cartoon, Madam, which actually pains me a lot. There is an inauguration; there is a hand pump and on the handle, it is written "Right to Information". There is a cartoon which is quite similar to the present Prime Minister and there are a lot of people who are just clapping and there is a banner on which it is written "Inauguration" and on the top of the handle, it is written Right to Information and below that, there is another cartoon which is identical to hand-pump and a person is just pressing it very hard and there are ladies with pots coming to get water from hand pump but the mouth of that hand pump is choked by bureaucracy. The question is that the Right to Information Act is one of the recent legislations passed by Parliament. Who is shown as obstructing the implementation of the legislation? Is this the situation of this country?

I was searching for one cartoon of Shri Irfan. As far as I remember, he is no more. He was brutally mauled by an unknown vehicle near NOIDA. Till today, we do not know how that accident had happened. Was it just a hit and run case or something else? But cartoons do bring smiles on our face in the morning paper. We should not treat this in any manner as a right or privilege or something of that sort. It should not encroach upon the freedom of expression. But if it is a text book

and students are asked to explain or write passages on that, it portrays a very bad way of explaining the society that we are living in. I would only request, through you Madam, to the Government and also to the Members present here that we should all try to protect the freedom of expression at all costs. But, at the same time, we should not create an impression that a nuisance can be created through a text book which is being printed by the Government of India. This should be withdrawn and all adequate steps should be taken to take action against the culprits who are involved in this.

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): मैडम, मेरे हिसाब से यह परिस्थिति ज्यादा गंभीर है, जो हम लोग बोल रहे हैं, उससे ज्यादा गंभीर परिस्थिति है। यह सिर्फ पॉलिटिशियन्स के खिलाफ नहीं है, हम लोगों को निशाना बना रहे हैं, यह परिस्थिति नहीं है, सिर्फ एमपी को निशाना बनाना है, तो बनाओ। हम लोगों के पास उस निशाने के खिलाफ लड़ने का हथियार भी है। मैं दुखी नहीं हूं। But that is not the issue. The issue is, there is an attempt to pollute the whole atmosphere of the country, total pollution of the country that leads to cynicism that everybody is bad; every system is bad; every Prime Minister is bad. This cynicism is the breeding ground for the rise of totalitarian political system in the world as we have seen everywhere.

The freedom of speech is one thing. But abuse of freedom of speech is another thing. NCERT is one example. Why was the person, who did it, provoked? That is the general atmosphere in the country. सब चोर हैं। And it started with, forgive me, *के टाइम Please remember, what the aide of…has said. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please refrain from taking any one's name. They are not in the House. This will not go on the record.

(Interruptions) … *

SHRI GURUDAS DASGUPTA : One person who was connected with the hunger strike had said: "There are many rapists and murderers in Parliament." If he had the evidence, let him prove it. We are ready. Members of Parliament are not afraid

* Not recorded.

to face any free trial by anybody in the country. But we are being put on trial. Everybody is free to put us on trial. That is an aberration. That is a general atmosphere. And NCERT book is a part of that.

Madam, I tell you one thing. It is not just NCERT book. Please forgive me for saying so. Old news has been printed in the newspapers, "Love of Nehru". It is being printed in the newspapers. Recently one novel has been published in Bengali which depicts illicit love of Tagore ... *... The novel has been published and it has been telecast. I have seen it. To what extent are we going! What Nehru did, Nehru knows. What Tagore did, Tagore knows. That is not for us to know today by digging their graves. It has become a practice for business to earn money.

She was speaking of films. Best films are those that depict sex, crime and denigration of politicians. Nobody stops it. It is not the NCERT alone. What about the films? What about the television serials? What about the newspapers? The whole country is being polluted deliberately by a section of the people to create a sense of cynicism, frustration and to give the signal that the ruling circle is bad. If everybody in the Parliament which rules is bad, everybody is bad. What is the alternative? Totalitarian system? Anarchy?

It is deliberately being done to put the country to shame and bring about anarchy and destroy the political system of the country. That is the point. NCERT is a part of that. That novel on Tagore is a part of that. That story about Nehru is a part that. ... *

MADAM SPEAKER: That will not go on record.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, this is what is being sought to be taught to the people.

I call upon the whole nation to be vigilant. I call upon all the Ministers to be vigilant. I call upon the entire system to be vigilant. This is a crusade against Indian ethos, Indian culture. We cannot denigrate our leaders, those who have passed away. Therefore, Ministers should be careful in selecting the people who

---

* Not recorded.

should discharge the responsibility of publishing books. But the Parliament should be aware that the situation is much more grave than what we think it to be.

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): आज हमारे देश में ऐसा चल रहा है कि सब पोलिटीशियंस को एक ब्रश से पेंट किया जा रहा है। Madam, we know that in every section of our society there are black sheep. But to generalize and say that all the politicians are corrupt, all the politicians are criminals, MPs are corrupt and criminals, means to paint the politicians, the MPs in the same brush. I do not know what is the intention behind publishing this book by NCERT. The title of the book is: Democratic Politics-1. I do not know what is there in No.2. Kapil Sibal would tell us.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : No.2 would be vilification.

SHRI BASU DEB ACHARIA : No.2 would be vilification.

I would like to know from Mr. Kapil Sibal, who is here, what they want to teach 11 Standard students from the Text book of political science, I do not know what they want is there to teach with these cartoons. Cartoons are a way of life. We also like cartoons.

<u>13.00 hrs.</u>

But to misuse those cartoons to denigrate the leaders and the politicians, and that too, it is for the children, who are the future generations, बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं, वे हमारे, देश और लोकतंत्र के बारे में क्या सोचेंगे? कल ही चर्चा हुई है कि हमारे लोकतंत्र में क्या-क्या कमियां हैं? We discussed the weakness in our democratic system and we have the right to discuss.

MADAM SPEAKER: All the points have been covered; if you have any new points, please make them.

श्री बसुदेव आचार्य : बच्चों को हम कहां ले जा रहे हैं यह हमें सोचना चाहिए। I feel, Madam, that it is an attempt to denigrate not only the politicians, but also to denigrate the system itself; we should seriously consider that. The Leader of the House has already made a statement and assured the House that the book will be withdrawn. But some inquiry should also be instituted. … (*Interruptions*) is it already

withdrawn? Okay. But how and why that book was allowed to be in the syllabus – that has to be inquired, not only inquired, but also some action should be taken against those persons who were responsible for that.

MADAM SPEAKER: Shri M.B Rajesh and P.L Punia are allowed to associate with the matter raised by Shri Basu Deb Acharia.

श्री लालू प्रसाद : मैडम, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज केवल एक पार्टी नहीं बल्कि पूरा सदन चिंतित है कि यह क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। किताब आपको मिल गयी होगी और पता नहीं माननीय सिब्बल साहब ने किताब को देखा है या नहीं देखा है? एचआरडी पर इतना पैसा खर्च होता है, इनके ऑफिसर्स स्कूल-कॉलेज में, पॉलिटिक्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, इसे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? महोदया, यह गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए कि हम लोगों के ऊपर यह बात है। पॉलिटिशियन्स और एमपीज के ऊपर यह बात है, यह तो जो हो रहा है वह हम रोज बता रहे हैं। किसी एमपी पर कोई आरोप लगा, तो ये गलती हम लोगों के साथी भी करते रहे हैं और मज़ा लेते रहे हैं। फलां फंस गया, फंस गया, खा गया, खा गया।

महोदया , आज मुझे खुशी है कि सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं...(व्यवधान) और जब फंसे हैं तब इकट्ठा हो रहे हैं, आंख इन लोगों की खुल रही है। ...(व्यवधान) अरे भई साधु बाबा हमारी बात सुन लो...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इधर संबोधित करके बोलिये।

श्री लालू प्रसाद : नहीं, वह साधु बाबा हैं, इनका आदर करते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि यह बार-बार टोकेंगे। आप लोग भी फंसे हैं। ...(व्यवधान) महोदया, स्वर्गीय इंदिरा जी से लेकर सोनिया गांधी जी का, सब का कार्टुन, शरद भाई बता रहे थे, उसमें है। बताइये, हमारे चेहरे-मोहरे में कोई टेढ़ापन है क्या? जिस तरह से कार्टून बनाकर बच्चों को हंसने के लिए हमें मजाक का विषय बना दिया है, तो हमारे बच्चे क्या पॉलिटिक्स सीखेंगे...(व्यवधान) आप लोग बोल रहे हैं कि इसे विद-ड्रा कीजिए, लेकिन उन्होंने जो पढ़ लिया है वह कहां से विद-ड्रा होगा। लड़कों ने पढ़ लिया, देख लिया, किताब रख ली उसका क्या होगा? आप जान बचाने के लिए कह दीजिए कि मैं एक्शन लूंगा, कार्रवाई करुंगा, किताब वापस ले ली है लेकिन उसने जो किताब घर में रख ली है, कॉपी कर ली है उसका क्या होगा? इसलिए यह बहुत गंभीर मामला है, किसी पार्टी का नहीं है। एमपी तो एमपी, जो हमारी मालिक है जनता, उसको भी दिखाया है।

देशवासियों, वोटर भाई और बहनों, आप चाहे जिस पार्टी को वोट देते हो, आपको भी कार्टून में कुत्ता बनाया है। कुत्ता बना दिया है। ऐसी हालत है। इसमें वोटर को लालची बताया है।...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : इसमें आप भी हैं।

श्री लालू प्रसाद : आप अभी बता रहे हैं, लेकिन शरद जी बता चुके हैं कि हम भी उसमें हैं। जब इंदिरा जी है, सोनिया जी हैं, तो हम कहां बच सकते हैं। सारे लोग कार्टून में हैं। देश की जनता को कुत्ता बनाया है। अभी चर्चा हो रही थी चलो उन्हें बटूक भैरव बना दिया है।...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : कार्टून के नीचे जो तीन लाइनें लिखी हैं, उन्हें पढ़िए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : महताब जी आप बैठ जाएं। लालू जी आप भी अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : बच्चों को कहा है कि डिस्कस करें।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हरसिमरत जी आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : महोदया, पढ़ाई-लिखाई की बात तो दूर है, इसमें लिखा है - " रीड दि कार्टून। " प्राथमिकता के साथ लिखा है कि और कुछ पढ़ो या न पढ़ो, लेकिन कार्टून को पढ़ो। ये वही लोग हैं, जो

इस मानसिकता के हैं और वही षड्यंत्र रच रहे हैं सरकार से लेकर हर चीज को उजाड़ने के लिए, संस्था को उजाड़ने के लिए, ऐसे लोग जो यहां नहीं आ पाते हैं, वे ऐसा षड्यंत्र रचते हैं। मैं लगातार कह रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। हम एकजुट हैं। आप बताएं कि क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। आप गारंटी दीजिए और ऐसे लोगों को सख्त सजा देने की जरूरत है। इनके ऊपर क्रिमिनल केस करने की भी जरूरत है।

श्री पन्ना लाल पुनिया : महोदया, मैं अपने को श्री लालू प्रसाद द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करता हूं।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): अध्यक्ष महोदया, कल ही हमने संसदीय लोकतन्त्र के साठ साल की वर्षगांठ मनायी है। लोकतन्त्र की हम सभी ने सराहना की है और यह अपेक्षा की है कि हमारा लोकतन्त्र सदियों तक चले।

अध्यक्षा जी, जिस लोकतन्त्र को हमने अपनाया है, उसमें हर एक को अपनी बात रखने की आज़ादी है। इस किताब में जो कार्टून दिए गए हैं, उनसे ज्यादा मैं एक बात की ओर आपका, सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एनसीईआरटी की इस किताब का पहला एडीशन मार्च, 2006 में प्रिंट हुआ था। जनवरी, 2007 में सैकिण्ड, जनवरी, 2008 में थर्ड और दिसम्बर, 2008 में फोर्थ, जनवरी, 2010 में फिफ्थ एडीशन और नवम्बर, 2010 में सिक्स्थ एडीशन छपा था। यह सभी किताबें नाइन्थ स्टैंडर्ड, टैंथ स्टैंडर्ड, इलेवन स्टैंडर्ड और टवैल्थ स्टैंडर्ड को पढ़ायी जा रही हैं। आपत्ति कार्टून्स पर नहीं है। लोकतन्त्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इन कार्टून्स को हमारी टैक्स्ट बुक्स में शामिल किया गया है और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, आपत्ति इस पर है। ऐसा वर्ष 2006 से चल रहा है। ये एनसीईआरटी की किताबें हैं। एनसीईआरटी की किताबों के लिए एक कमेटी होती है। वह कमेटी तय करती है कि किस बात को किताब में छापा जाए, किस बात को बच्चों को सिखाया जाए। कमेटी की ओर से इसका अप्रूवल भी दिया जाता है। इस बात की जांच की आवश्यकता है कि जिस कमेटी ने इसको अप्रूवल दिया है, उसका हेड कौन था और कौन-कौन मैम्बर्स थे?...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना): मंत्री उन्हें स्वयं नियुक्त करते हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते : जो भी है, उसकी जांच करने की आवश्यकता है। यह जांच इसलिए करनी है, क्योंकि यह ज़हर फैलाने का काम हो रहा है। आज की युवा जनरेशन के बच्चों के मन में राजनीति और राजनेताओं के प्रति जहर फैलाने का काम हो रहा है और यह काम सरकारी टैक्स्ट बुक कर रही है। हमें आपत्ति इस बात पर है। सदन के नेता ने इस टैक्स्ट बुक को वापिस लेने की घोषणा सदन के सामने की

है। बात केवल टैक्स्ट बुक वापिस लेने की नहीं है बल्कि जो मानसिकता इसके पीछे है, उसे खत्म करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदया : श्री नामा नागेश्वर राव, कृपया बहुत संक्षेप में बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): माननीय अध्यक्ष महोदया, कल सबने बहुत अच्छे तरीके से 60वीं वर्षगांठ की चर्चा के बाद शाम को माननीय अध्यक्ष महोदया, महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री की स्पीच सुनी। हमने सोचा है कि we have to change our working system. 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर सब लोगों द्वारा डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा के बाद आज यह बात सामने आई है। डेमोक्रेटिक पालिटिक्स नंबर 1 में प्रिंट किया गया है। जैसा कि अभी बताया गया कि यह आज का नहीं है, 2006 से लेकर कन्टीनुअसली प्रिंट हो रहा है। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी मंत्री की बनती है। …(व्यवधान) इससे पहले हाउस में माननीय वित्त मंत्री ने क्लेरिफाई किया है। हमें लालू जी द्वारा कही गई बात याद आई है कि ऑलरेडी जो कुछ पढ़ाया गया है, वह तो बच्चों के मन में चला गया है, उसे कैसे निकालेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव : बच्चे को थोड़ा बहुत रिएलाइज कराने के लिए मंत्री इस हाउस में इस संबंध में इस्तीफा दें।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है।

श्री एस.डी. शारिक।

श्री नामा नागेश्वर राव : ताकि वे महसूस करें कि इस तरह से गलत हुआ है और इसी वजह से मंत्री ने इस्तीफा दिया।…(व्यवधान) जब यह बच्चों के मन में आएगा तो थोड़ा बहुत रिएलाइज हो सकता है।

MADAM SPEAKER: Only Shri S.D. Shariq's speech will go in records.

*(Interruptions) …**

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। शारिक जी, आप शुरु कीजिए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: You are only repeating yourself. Please sit down.

---

* Not recorded.

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत शुक्रिया। मैं नहीं समझ रहा हूं कि इस हाउस को इतना इरीटेट और परेशान होने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या हम पर उंगली उठी है इसलिए हम शोर कर रहे हैं? हम पर उंगलियां उठाई जा रही हैं।...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए, न मत कहिए।...(व्यवधान) मेरी अपनी सोच है। हमने क्यों अपने किरदार से, इन अमल से, कार्टून वालों को मौका दिया कि वे हम पर उंगलियां उठाएं। क्यों? अकबर बादशाह, जो यहां मुत्तलिकुल एलान हुक्मरान रहे हैं। ...(व्यवधान) आप बात सुनिए।...(व्यवधान) शोर करने से गलतियां नहीं छिपती हैं। ...(व्यवधान) गलतियां मानने से छिपती हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कर रहे हैं? उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गए हैं।

...(व्यवधान)

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : ये नहीं चलेगा। अपने दामन में झांक लो।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : हमारे करेक्टर का समाज में रिफ्लेक्शन आ रहा है। अकबर बादशाह के जमाने में जितने भी सख्त से तरीन सख्त लोग एलान मुत्तलिकुल रहे हैं। ...(व्यवधान) उनके खिलाफ भी बातें हुई।...(व्यवधान) आज ही कार्टून नहीं आए। कार्टून हमेशा आए।...(व्यवधान) क्या आपने आज का एमएलए वाली फिल्म देखी है। उसमें 20 साल पहले क्या दिखा था। ...(व्यवधान) किरदार उसमें था।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : जब अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा।...(व्यवधान) आप सुनना नहीं चाहते हैं। मैं सुनाकर रहूंगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बस अब हो गया। अब समाप्त कीजिए। बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : उस कार्टून की जो मज़म्मत करता है।...(व्यवधान) जो हम सबको चोर कहता है, मैं उसकी मज़म्मत मानता हूं। ...(व्यवधान) हमारे दामन पर बात आती है लेकिन क्या यह हकीकत नहीं है? कि एमपी, एमएलए और मिनिस्टर बनने से पहले अगर हमारे पास कुछ नहीं है, पांच साल बाद हम करोड़पति बनते हैं? क्या हमें किसी को पूछने का हक नहीं है? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Take your seat.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam Speaker, I want to speak on some other issue.… (*Interruptions*). This has nothing to do with the current issue… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: What is this? Please sit down. The Leader of the House wants to speak. Please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, on 11th May, certain issues were raised by the hon. Members, Shri Yashwant Sinha and some others in respect of clarifications given by the Home Minister. As the matter relates to the Ministry of Finance, I told that I will make a statement. But thereafter these issues of Babasaheb Ambedkar's cartoon and others came up and thereafter the House could not proceeded. So, I could not make the statement. Therefore, with your permission, I would like to make a statement.… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : वह पहले बोल चुके हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): वह मैंने सुना। जो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि हम किताबें विदड्रा कर लेंगे और उन्होंने कहा कि यदि कार्टून्स हैं तो कार्टून्स विदड्रा कर लेंगे। लेकिन संयोग है कि स्वयं एचआरडी मिनिस्टर यहां बैठे हैं। एनसीईआरटी का मामला उठा है...(व्यवधान)

श्री प्रणब मुखर्जी : वह अलग बात करेंगे। He is ready with the statement but in between I am making my statement which I was supposed to do on 11th May.

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह विषय समाप्त नहीं हुआ, इस पर सिबल साहब बोलेंगे। आप यह कह दीजिए तो ठीक है, नहीं तो क्या यह विषय टाक आउट हो गया। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: That I do not know. I cannot compel.

श्रीमती सुषमा स्वराज : एक-एक पार्टी के लोग बोले हैं। यह इतना गम्भीर मुद्दा है...(व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: He is ready with the statement. The question is whether he will speak now or whether he will speak after me… (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैडम, यह विषय टाक आउट नहीं होना चाहिए या तो आप कह दें, भले ही दादा पहले बोल लें, लेकिन बाद में सिब्बल साहब बोलें।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I have no problem. But this is pending from 11th May. That is why, I thought I would make a statement and after that he will respond.

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, हो जायेगा, आप बैठ जाइये।

13.18 hrs.

STATEMENTS BY MINISTERS----- contd

(ii) Alleged delay in formal letter of approval in the Aircel limited-Maxis Communications deal

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam, allegations have been made that the proposal of M/s. Global Communication Services Holdings Limited, Mauritius (a wholly owned subsidiary of M/s. Maxis Communications Berhad) to acquire 73.99 per cent equity in M/s. Aircel Limited was delayed by the then Finance Minister in order to benefit certain persons.

The records of the FIPB have been perused. They reveal the following:

On 6.1.2006, the applicant, M/s. Global Communication Services Holdings Limited acquired 26 per cent equity in M/s. Aircel Limited through the automatic route.

On 30.1.2006, the applicant applied for enhancing its equity in M/s. Aircel Limited from 26 per cent to 73.99 per cent.

The application was processed in the normal course and the Ministries and Departments concerned took the normal time of four to six weeks to offer their comments. The proposal was included in the agenda notes circulated on 17.2.2006.

On 7.3.2006, the matter was placed before the meeting of the FIPB; DoT conveyed its support to the proposal at the meeting; FIPB recommended the proposal for approval on 7.3.2006; and file was moved by Deputy Secretary on 10.3.2006. The minutes of the FIPB meeting were placed before the then Finance Minister on 13.03.2006 and he approved the same. The formal letter of approval was issued by the Ministry of Finance on 20.03.2006.

Subsequently another application dated 1.9.2006 was received for approval for downstream investment by M/s Global Communications Services Holdings Limited through Aircel Limited in Dishnet Wireless Limited.

FIPB in its meeting held on 3.10.2006 recommended the proposal for approval. The minutes of the meeting were drawn up and the file was moved by Deputy Secretary on 6.10.2006. The minutes of the FIPB meeting were placed before the then Finance Minister on 12.10.2006 and he approved the same.

The formal letter of approval was issued by the Ministry of Finance on 20.10.2006. The letter of approval referred to the earlier approval dated 20.3.2006.

M/s Aircel Ltd.'s earlier name was M/s Srinivas Telecom Ltd. The original foreign investors in M/s Srinivas Telecom Ltd. were M/s Century Telephone Enterprises Inc., USA and M/s Redington Pvt. Ltd., Singapore. M/s Global Communication Services Holding Ltd. was the new foreign investor in M/s Aircel Limited.

There is no scope for any misunderstanding or misinterpretation of the contents of the two letters of approval dated 20.3.2006 and 20.10.2006. In both cases, there was no delay in granting the approval.

(Placed in Library, See No. LT 6838/15/12)

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): Madam, I want to say something… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The hon. Minister has made the Statement. We will not have a discussion on this now.

… (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA : Madam, the Finance Minister's Statement has raised more questions than it has clarified. I, therefore, demand that there should be a discussion under Rule 193 in this House on this issue. I am giving a notice for the same.

MADAM SPEAKER: All right. You may give the notice.

Shri Kapil Sibal.

13.23 hrs.

SUBMISSION BY MEMBERS

Re:Cartoons published in school textbooks brought out by NCERT-Contd.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): Madam, in April 2012, the Ministry of Human Resource Development received information about an offending cartoon in an NCERT textbook at page 18 of political science for class XI relating to Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar with reference to the making of the Constitution.

I sought an explanation from the NCERT with reference to this cartoon. The NCERT, in turn, sought response from the Chief Advisors to the Textbook Development Committee, Prof. Suhas Palsikar, Professor Political and Public Administration, University of Pune and Professor Yogendra Yadav, Senior Fellow, Centre for Development of Developing Society. They responded by giving an elaborate explanation. In the light of the content of the explanation, on record, by Prof. Suhas Palsikar and Shri Yogendra Yadav, I directed that the offending cartoon be withdrawn from the NCERT textbook of Political Science of class XI as far back as on April 26, 2012.

Thereafter, in early May, I called for the textbooks relating to Political Science for IX as well as for class XI and perused the contents of the textbooks including the cartoons included therein. I found that a number of cartoons were inappropriate. I came to the opinion that review of all textbooks of Political Science as well as a general review of all books of NCERT should be undertaken to ensure that inappropriate material is excluded from these textbooks. I am of the view that a large number of depictions in these cartoons are offensive and are inappropriate for textbooks.

In the mean time, on the 11th of May I requested the Director, NCERT to withhold the further distribution of these text books. The Director, NCERT has also informed me that all wholesalers who have received these copies for distribution would be asked not to distribute them. Prof. Yadav and Prof. Palshikar have since sent their resignation from the Textbook Development Committee.

The textbooks were developed from 2005 to 2007 by a Textbook Development Committee constituted by the NCERT and chaired by experts of the concerned areas. In the case of Political Science and Social Science, it was chaired by Prof. Hari Vasudevan and the Chief Advisors were Prof. Suhas Palshikar and Prof. Yogendra Yadav. These textbooks were placed before the National Monitoring Committee chaired by Prof. Mrinal Miri and Prof. G.P. Deshpande and consisting of representatives of State Governments and educational experts from across the country. On approval of the textbooks by the National Monitoring Committee, the textbook was released from the year 2006 onwards.

This Government fully appreciates the sensitivities involved, and the concerns expressed by the hon. Members of this House to the nature of these cartoons and their inappropriateness finding place in textbooks. The Government fully appreciates these concerns and will take effective steps to ensure that henceforth textbooks take into account the concerns and the sensibilities of individuals and communities to ensure that only educationally appropriate materials are included in the textbooks.

The Government is also resolved to conduct an inquiry into the role of the officials of the NCERT who approved the inclusion of the offending materials in the textbooks in Political Science of Classes 9 to 11, and fix responsibility.

The Government would put in place a suitable process to ensure that such instances do not recur in the future. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.30 p.m.

13.27 hrs

The Lok Sabha then adjourned till
Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

14.33 hrs.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at T hirty-Three Minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the matters under rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

(i) Need to review defence preparedness and to address the problems in Defence Services

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): In last week of April, 2012 the Parliamentary Standing Committee on Defence has tabled the report in the Parliament which revealed details of the country's lack of defence preparedness. "Ageing aircraft fleet, scarcity of choppers, not enough tank ammunition and shortage of artillery guns, the picture is far from perfect on the defence front. India is surrounded by difficult neighbours and as such there is an urgent need to allocate adequate outlay to the Services." The committee said it was "alarmed at the way deficiencies have been allowed to persist. The IAF, at present, has 34 fighter squadrons against the sanctioned strength of 42. The strength is likely to reduce further to 31 during the 12th Plan period - 2012-2017. The defence expenditure of India is lowest as compared to the US, China,

---

* Treated as laid on the Table.

Pakistan, Russia and France. The military expenditure in terms of percentage of the GDP in all these countries except Pakistan is increasing over the years."

So far as recruitment of women in the Armed Forces is concerned, the Indian Army accounts for only 2.44 per cent in its ranks, the Navy 3 per cent and the Air Force 6.7 per cent. In the 21st century, the Indian Army has again said that permanent commission to women officers should be limited to only legal and education wings at present. I suggest that a sizeable presence of women in the Armed Forces be considered seriously on the lines of Central Industrial Security Force.

Finally, I want to say a few words about the Defence forces not getting fair deal. There was a news report "Babudom holds back pay scale upgrade for armed forces". The report says that the para-military forces and civilian officers were getting higher pay scale than the armed forces, thus lowering their status and pay structure.

I would like to remind Hon'ble Minister of Defence that in December, 2008, the Prime Minister declared that the pay scale matter needed to be addressed by setting up of a high powered committee, which has not come up so far even after four years. The armed forces are not being treated at par with the paramilitary forces and Group A officers in the Government.

I request the Hon'ble Minister of Defence to address these issues.

(ii) Need to give priority in army to youth hailing from Rajsamand Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री गोपाल सिंह शेखावत (राजसमंद) : मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमंद के अजमेर का ब्यावर, जिला पाली का जैतारन तथा राजसमंद जिला का भीम और आसपास का क्षेत्र जो मगरा क्षेत्र कहलाता है तथा इसमें एक बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें खेती नाम मात्र की होती है तथा कोई दूसरा उद्योग अथवा व्यवसाय नहीं है। इस क्षेत्र में रावत, चीता और मेहरात जैसी जातियां निवास करती हैं। इन पहाड़ी, लड़ाकू और वीर लोगों के लिए ब्रिटिश शासन के समय में एक विशेष बटालियन इनके नाम से सेना में होती थी। लेकिन आजादी के बाद वह बटालियन तोड़ दी गई। इस क्षेत्र के लोग पहाड़ी होने के कारण शारीरिक कद काठी में मैदानी लोगों के मुकाबले में कम ठहर पाते हैं जबकि वीरता में इन लोगों का मुकाबला नहीं है तथा इस क्षेत्र के प्रत्येक परिवार का फौज में प्रतिनिधित्व रहा है। अब इन लोगों का फौज में चयन कम हो रहा है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि इनको सेना की भर्ती में पहाड़ी लोगों की तरह प्राथमिकता दी जाए जिससे इनकी बेरोजगारी दूर करने में मदद मिल सके।

(iii) Need to include Narikoravan *alias* Kuruvikaran community in the Scheduled Tribes list in Tamil Nadu

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): In Tamil Nadu, according to an NGO Survey, in 2009 among Narikoravan @ Kuruvikaran there are 8,280 families having population of about 40,000. The names Narikoravan, Narikuravan and Narikoravar represent one and the same community. Kurivikkaran is an additional colloquial name of this community in Tamil Nadu due to one of their traditional occupations of 'trapping birds, especially sparrows' (Kurivi in Tamil denotes sparrow). Narikoravan, a nomadic community by tradition, constitute the most deprived sections of all the communities in the State, living under extremely poor and unhygienic conditions in the outskirts of villages/towns.

Government of Tamil Nadu has initially recommended for inclusion of Narikoravan alias Kuruvikaran in the ST list in Tamilnadu. The Lokkur Committee (formed to review the SC/ST list) in 1965 had also recommended for the inclusion of Narikoravan alias Kuruvikaran in the ST list of Tamil Nadu. In the year 1981, the Registrar General of India had agreed for inclusion of "Narikoravan grouped with Kurivikaran" in ST list in Tamil Nadu on the lines of recommendations of the expert bodies. Later in 1987, Department of Adi-Dravidar and Scheduled Tribes Welfare in Tamilnadu wrote to the Government of India to include "Narikorava" in the ST list and they did not include Kuruvikaran. Government of India saw the inconsistency in the recommendations of Tamil Nadu Government and did not pursue the matter. In 2006, Tamil Nadu Backward Class Commission reported that Narikoravan and Kuruvikaran both are the same. National Commission of Scheduled Tribes, in its guidelines to issue ST certificates, in 2005-06 had stated that Nakkala (Fox Hunter) alias Kuruvikkaran (Bird Hunter) in Andhra Pradesh should be identified as ST and that in Karnataka, they are called as Akkipikki and in Tamil Nadu, they are called as Narikoravan @

Kurivikaran and that they all speak a dialect and in that dialect, they are called Vaghirivala. Again Ooty Tribal Research Centre, 2011 recommended that Narikoravan and Kuruvikaran are one and the same and possess all the five characteristics of Scheduled Tribes.

Keeping in view of above, I humbly urge upon the Union Government to kindly include Narikoravan alias Kuruvikaran community in the Scheduled Tribes List in Tamil Nadu at the earliest as both are one and the same.

(iv)Need for inclusion of any language spoken by more than 20 per cent population of any State in the School curriculum

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली) : यह हम सब जानते हैं कि आजकल रोजगार और बेहतर भविष्य के लिए कामगारों का एक राज्य से दूसरे राजय को पलायन सामान्य सी बात हो गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से लोग मुम्बई और दिल्ली जैसे महानगरों में पलायन करते हैं तो दक्षिण के लोग उत्तर के राज्यों की ओर पलायन करते हैं। यह पलायन कई बार इतनी बड़ी संख्या में होता है कि स्थानीय जनसंख्या का स्वरूप ही बदल जाता है। यहां यह बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि पलायन करके आने वाले यह लोग जहां अपनी मेहनत से अपनी रोजी-रोटी जुटाते हैं तो दूसरी तरफ यह विकास की गति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

इस तरह पलायन करके दूसरे राज्यों के रहने वाले लोगों के बच्चे अपनी मातृभाषा में ही स्कूल शिक्षा प्राप्त करने में सहज महसूस करते हैं। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि जिस प्रदेश में ऐसी प्रवासी जनसंख्या 20 प्रतिशत से अधिक है, उन्हें उनकी भाषा में स्कूली शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया जाए तथा इसी प्रावधान के अंतर्गत दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों के लिए उनकी मातृभाषा में स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में समुचित प्रावधान किया जाए।

(v) Need to start the process of registration of properties in Delhi particularly in the West Delhi Parliamentary Constituency

श्री महाबल मिश्रा (पश्चिम दिल्ली) : आज कल दिल्ली के रजिस्ट्रार के दफ्तरों में काम बंद पड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ कि सुप्रीमकोर्ट के एक आदेश के अनुसार दिल्ली में जनरल पावर ऑफ अटार्नी (जीपीए) बिल व एग्रीमेंट टू सेल को पूरी तरह से रोक दिया गया है, सिर्फ फ्री होल्ड प्रोपर्टी की ही रजिस्ट्री जारी है, जबकि दिल्ली में 90 प्रतिशत प्रोपर्टी फ्री होल्ड नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र में वेस्ट डिस्ट्रिक का रजिस्ट्रार ऑफिस पूरी तरह से सूना पड़ा हुआ है। डीड राइटर आफिसों में खाली बैठे हैं, इसकी वजह से रजिस्ट्रार दफ्तरों में फैमिली जनरल पावर आफ अटार्नी भी नहीं हो पा रहा है। जिससे दिल्ली सरकार को हर रोज 35, 40 लाख रूपये के रेवन्यू का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली की 1639 प्राइवेट कालोनियों में जिनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी कर दिये गये हैं उनमें रजिस्ट्री चालू करने हेतु निर्देश जारी करने की कृपा करें।

(vi)Need to fill up vacancies in National Fertilizers Limited Vijaipur, Guna District , Madhya Pradesh

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़) : नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड विजयपुर इकाई मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ में स्थापित है। यह इकाई भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। आज की तारीख में कंपनी का जो भी लाभ है सिर्फ विजयपुर इकाई के ऊपर ही आधारित है। वित्त वर्ष 2011-12 में विजयपुर का संभावित लाभ 200 करोड़ रूपये है। विजयपुर कारखाना प्रतिवर्ष 19 लाख टन यूरिया बनाकर देश के किसानों की सेवा करता है।

विजयपुर खाद्य कारखाने में 605 कामगारों के पद स्वीकृत हैं, परन्तु आज मात्र 411 कामगार कार्यरत हैं। इस तरह इस कारखाने में 194 कामगारों की कमी है जो कि एक रासायनिक कारखाने के संचालन के लिए उचित नहीं है। कारखाने में कर्मचारियों की कमी से अकुशल श्रमिकों से काम कराया जाता है जिनको कि मशीनरी एवं प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होता जिससे कारखाने में दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती हैं और घटती भी हैं। कारखाने में रिक्त 194 पद शीघ्र भरे जाएं।

विजयपुर उर्वरक कारखाने में मैन टू मैन रिलिविंग प्रक्रिया नहीं है। कारखाने में प्रत्येक शिफ्ट में प्रक्रिया विभाग में 70 कामगार आने चाहिए परन्तु प्रबंधन द्वारा यह प्रक्रिया पिछले वर्षो में बंद कर दी गई है जिससे कामगार के अभाव में उपकरण व मशीनरी अप्रयुक्त अवस्था में रहती है जो कि रासायनिक कारखाने में नहीं होना चाहिए। कानून में प्रावधान भी है कि कारखाने में मैन-टू-मैन रिलिविंग प्रक्रिया सुनिश्चित हो। कर्मचारियों, कारखाने की एवं आसपास के वातावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अविलंब मैन टू मेन रिलिविंग प्रक्रिया आरंभ की जाए। मैन टू मैन रिलिविंग के अभाव में पिछले वर्षो में कई दुर्घटनाएं घट चुकी हैं।

एनएफएल विजयपुर गुना की कर्मचारी यूनियन ने 6 दिसम्बर, 2011 को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी के साथ केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री एम.के. अलागिरी जी से मुलाकात कर इन विषयों की जानकारी दी परन्तु एनएफएल प्रबंधन द्वारा इस दिशा में कार्यवाही नहीं की गयी है।

(vii) Need to amend the Motor Vehicles Act to provide assistance to the victims of road accidents within the seven days of occurrence of accident

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : राष्ट्रीय राजमार्गो पर प्रतिदिन बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए समुचे राष्ट्र में यह एक चिंता का विषय हो गया है। प्रतिदिन मोटर वाहनों की बढ़ती संख्या, उनकी बढ़ती स्पीड, अकुशल वाहन चालकों द्वारा वाहन चलाना, वाहन चलाते हुए मोबाईल पर बातें करते रहना, शराब पीकर वाहन चलाना, यातायात मार्ग निर्देशों की कमी, गलत तरीके से ओवरटेकिंग किए जाने के कारण पैदल यात्रियों की गलतियों के कारण तथा वाहन चालक की लापरवाही ऐसे प्रमुख कारण रहे हैं जिनसे राष्ट्रीय राजमार्गो पर सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। सरकारी स्तर पर जो प्रयास किए गए हें वो नाकाफी हैं। मेरे द्वारा पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 984 दिनांक 28.11.2011 में दिये गये उत्तर में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने जवाब में यह आंकड़े उपलब्ध करवाये थे कि देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गो पर रोड़ दुर्घटनाओं की संख्या 2007 में 138922 थी जो 2009 में बढ़कर 142511 हो गई तथा वर्ष 2007 में रोड़ एक्सीडेंट के कारण जिन नागरिकों की मौते हुए उनकी संख्या 40612 थी जो 2009 में बढ़कर 45222 हो गई। इसके अतिरिक्त सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य राजमार्गो पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या वर्ष 2007 में 479216 जो वर्ष 2009 में बढ़कर 486384 हो गई इसी तरह राज्य राजमार्गो पर सड़क दुर्घटनाओं के कारण मौत के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हुई है वर्ष 2007 में 114444 मौते हुई तो वर्ष 2009 में बढ़कर 125660 हो गई। यह जो आंकड़े हैं वो वर्ष 2009 तक के हैं वतमान में वर्ष 2012 चल रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि इन आंकड़ों में और बढ़ोतरी हुई है। निरन्तर सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी का ग्राफ चिंता का विषय है। अतः सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय से यह मांग है कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों के लिए पृथक से कोई बीमा कवर सुनिश्चित किया जावे जिससे एपीएल व बीपीएल का भेद नहीं हो। बीपीएल को वर्तमान नियमों के अनुसार पृथक से सहायता दी जा सकती है तथा मोटर वाहन अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके दुर्घटना के सात दिनों के भीतर भीतर अग्रिम में सहायता राशि भुगतान की व्यवस्था की जावे जिससे पीड़ित परिवार को समय पर राहत मिल सके।

(viii) Need to amend article 371 of the Constitution for securing public employment, educational opportunities and special development for the backward regions of Karnataka

SHRI SHIVARAMA GOUDA (KOPPAL): The Hyderabad - Karnataka region is a most backward in terms of education opportunities public employment and special development etc.. This region consists of the five districts of Karnataka namely Gulbarga, Bidar, Raichur, Yadagiri and Koppal districts. People of this part of Karnataka are leading a very deplorable life even after 64 years independence. There are no basic infrastructure for education and health facilities. Regional imbalance has been assuming greater proportion over the year. The Hyderabad - Karnataka region was part of the former state of Hyderabad, which was ruled by Nizam before Independence. On November 1st 1956 as a result of the State Reorganization Act, the state of Hyderabad was trifurcated. Telengana region became a part of the newly formed state of Andhra Pradesh, while Marathwada and Karnataka regions became parts of Maharashtra and Mysore state respectively.

In order to protect the interest of the people from Telengana region of Andhra Pradesh with regard to public employment on the basic of residence an Amendment was brought to the constitution to insert a new article 371-D.

Hence, I would like to draw the attention of Hon'ble Minister for Home Affairs to make necessary amendment to Article 371 of the Constitution of India at par with Article 371 –D which governs the State of Andhra Pradesh in the interest of securing justice to the people of this region in Karnataka.

(ix) Need to conserve and preserve the Swarngiri fort in Jalore district, Rajasthan

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) : जालोर का स्वर्णगिरि दुर्ग एक हजार साल का ऐतिहासिक वैभव समेटे हुए है। इस दुर्ग से स्थापत्य कला का सौंदर्य झलकता है लेकिन संरक्षण के नाम पर की जा रही औपचारिकता और पुरातत्व विभाग द्वारा पर्याप्त देखभाल न होने के कारण यह ऐतिहासिक धरोहर खत्म हो रही है। आश्चर्यजनक यह है कि पहाड़ के ऊपर बने इस दुर्ग की प्रसिद्धि होने के बावजूद इसे देखने वाला कोई नहीं है। कभी दुश्मनों की बड़ी-बड़ी तोपें भी इसकी दीवार भेदने में नाकाम हो गई थी और आज यहां की दीवारें अपने आप गिरती जा रही हैं। सर्वविदित अलाउद्दीन खिलजी की सेना को इस दुर्ग को फतह करने में लम्बा इंतजार करना पड़ा था। आज वही दुर्ग वीरानी में अपने अतीत के आंसू बहा रहा है। वर्तमान में इस दुर्ग को उसका वैभव पुनः लौटाने की आवश्यकता है। पुरातत्व विभाग ने दुर्ग को संरक्षित इमारत घोषित कर भले ही सूचना पट्ट लगा दिए, लेकिन दुर्ग की बदहाल स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि इसके संरक्षण में विभाग की कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिससे दुर्ग का सौन्दर्य पुनः लौट सके।

(x) Need to develop S.N. Medical College, Agra, Uttar Pradesh on the lines of AIIMS, New Delhi

प्रो. रामशंकर (आगरा) : मेरे लोकसभा क्षेत्र आगरा को विश्व में ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। यहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में देशी- विदेशी पर्यटक आते हैं। उ.प्र. में आगरा एक महत्वपूर्ण स्थान है। शहर के मध्य में एस.एन.मेडिकल कालेज है जो उ.प्र. में सबसे पुराना है। पूर्व में इस मेडिकल कालेज की गिनती उ.प्र. के सर्वोत्तम कालेजों में की जाती थी, लेकिन यह आज बहुत ही दयनीय स्थिति में है। शहर के नागरिकों को अच्छे इलाज के लिए एम्स, (दिल्ली) में आना पड़ता है जिससे धन एवं समय दोनों बर्बाद होता है तथा एम्स (दिल्ली) में इलाज की लम्बी प्रक्रिया के कारण मरीज दम भी तोड़ देते हैं। एस.एन.मेडिकल कालेज आगरा की बहुत सारी जमीन खाली भी पड़ी है जिसमें एम्स की तर्ज पर अस्पताल बनाया जा सकता है। इससे आगरा व उससे लगे अन्य जिले के नागरिकों को यह सारी सुविधाएं आगरा में ही मिल जाएगी जिसके लिए उन्हें दिल्ली आना पड़ता है और बहुत सारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

मेरी मांग है कि एस.एन. मेडिकल कालेज आगरा को एम्स (दिल्ली) की तरह विकसित किया जाये जिससे आगरा के साथ-साथ जो आसपास के अन्य जिले हैं वहां के व्यक्ति भी चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकें।

(xi) Need to establish an AIIMS in Chandauli district, Uttar Pradesh

श्री रामकिशुन (चन्दौली) : उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र विकास की दृष्टि से अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के कई जनपद नक्सल प्रभावित है। यहां गरीबी, कुपोषण आदि सहित स्वास्थ्य सेवाओं की घोर कमी के चलते विभिन्न प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती रहती है तथा समुचित उन्नत दर्जे का उपचार नहीं मिल पाने के चलते अन्य क्षेत्रों से इस क्षेत्र में औसत मृत्युदर बहुत ही ज्यादा है। पूर्वांचल में मेडिकल चिकित्सा एवं शिक्षा की भारी कमी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र जनपद चन्दौली मिर्जापुर सोनभद्र आदि में उच्च स्तर का कोई भी अस्पताल नहीं है। जहां गरीब अपनी बीमारियों का इलाज कर सकें।

अतः भारत सरकार से मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत 823 करोड़ की लागत से बनने वाले नये एम्स का निर्माण उत्तर प्रदेश के जनपद चन्दौली में कराया जाये क्योंकि जनपद चन्दौली की सीमा तीन राज्यों बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश से सटा हुई है। इन क्षेत्रों के लोग अपनी बीमारी का इलाज यहां आकर करा सकते हैं। मैं पुनः मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद चन्दौली सहित पूर्वांचल के सभी जनपद समेत सीमावर्ती राज्य झारखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश के गरीब जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में स्वीकृत एम्स की इकाई को जनपद चन्दौली में स्थापित किये जाने की मंजूरी की जाए।

(xii)Need to expedite construction of National Highway No. 28 connecting Lucknow and Muzaffarpur

श्री अरविन्द कुमार चौधरी (बस्ती): देश के कुछ राज्यों के हिस्सों में मंजूर किये गये राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण कार्यो में लगातार देरी हो रही है जिससे ऐसे प्रोजेक्टों की लागत में वृद्धि हो रही है जिसमें उ.प्र. राज्य का प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग नं.28 भी है जो कि लखनऊ से मुजफ्फरपुर को जोड़ता है। इस मार्ग के निर्माण का कार्य पिछले कई वर्षो से अधूरा है। केन्द्र द्वारा इस मार्ग के निर्माण कार्य की अनदेखी की जा रही है। ऐसी कौन सी बाधायें हैं कि जिससे कि निर्माण कार्य बाधित है। इस मार्ग से कई जनपद जुड़ते हैं जो कि वहां की जनता को यातायात से फायदा पहुंचा सकते हैं। केन्द्र शीघ्र इस मार्ग के निर्माण कार्य करने की गति का मूल्यांकन पुनः करें, जिससे शीघ्र मार्ग का निर्माण कार्य हो सके।

(xiii) Need to ensure electrification of all the villages in Jhanjarpur Parliamentary Constituency, Bihar

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर) : बिहार के मधुबनी जिलान्तर्गत मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र झंझारपुर के क्षेत्राधिकार में जिले के 14 प्रखण्ड आते हैं। इन 14 प्रखण्डों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य अत्यंत ही असंतोषप्रद है। हमारे संसदीय क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतिकरण का कार्य करने की एजेंसी एनएचपीसी है, जिसने किसी अन्य एजेंसी को इस कार्य को कार्यान्वित करने का ठेका दे रखा है। यहां विद्युतीकरण का कार्य सभी गांवों में समान रूप से नहीं हो रहा है तथा इसमें काफी अनियमितताएं पाई गई हैं। जिन गांवों में विद्युतीकरण किया भी गया है वहां भी इसे पूर्ण रूप से मानकों के अनुरूप नहीं किया गया है। फलतः ऐसे गांवों में बीपीएल परिवार इस योजना से सम्पूर्ण रूप से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि 10,16 और 25 केवीए की क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को अधिष्ठापित किए जाने के फलस्वरूप 15 दिनों अथवा एक माह के अंदर अधिकांश ट्रांसफार्मर या तो जल चुके हैं अथवा कई कारणों से दोषपूर्ण हो चुके हैं, जिनके पुनराधिष्ठापन की कार्रवाई एनएचपीसी के द्वारा बार-बार कहने के बावजूद नहीं की जा रही है। यह योजना इसलिए भी विफल हो रही है कि इसका डीपीआर त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण डीपीआर होने के बावजूद यदि सर्वेक्षित गांवों और टोलों को योजनानुसार ईमानदारी से विद्युतीकरण किया जाए तो निश्चित रूप से ऐसे गांवों/टोलों सहित बीपीएल के परिवारों को काफी लाभ मिल सकता है। किन्तु ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में इसकी समीक्षा अनुश्रवण (मानिटरिंग) करने की जिला स्तर पर कोई आधिकारिक न तो प्राधिकार है और न इसके लिए सक्षम और दायित्वपूर्ण बॉडी का ही गठन किया गया है। फलतः एनएचपीसी और इसके मातहत की एजेंसी पर किसी का न तो नियंत्रण है और न अंकुश है। अचरज तो यह है कि एनएचपीसी और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में किसी प्रकार का कोई तालमेल और समन्वयन भी नहीं है। यह स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसके चलते राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की यह योजना धरातल पर अब तक नहीं उतर पाई है।

अतः मैं इस दिशा में शीघ्र समुचित कार्रवाई करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

(xiv) Need to conserve the historical sites in and around Plassey and turn these into a heritage-cum-tourism circuit.

SHRI TAPAS PAUL (KRISHNANAGAR): Plassey village is in Nadia, West Bengal. It is famous as the site of Clive's victory over Siraj-uddawala, Nawab of Bengal on 23rd June 1757 in the battle of Plassey that laid the foundation stone of British empire in India. Fort William was attacked on 19th June and British surrendered on 20th June. The English became aware of the might and military feat of Siraj. So they hatched a conspiracy to dethrone Siraj. On 01/05/1757, the Fort William Select Committee approved a plan to raise a revolution in Bengal to replace Siraj.

On 13/06/1757 Lord Clive started with troops to face Nawab. On 22/6/57 Clive reached Plassey grove, crossing Bhagirathi and he also received a communication from Mir Jafar etc, his secret alleyes confirming their support. Nawab's force was persuaded to retire, by Mir Jafar, Siraj's Chief Commander. Though patriot Mohanlal did not turn back, but he was also directed by Siraj to retire. Valiant Mir Madan & Bahadur Ali Khan laid down their lives during the battle. The inglorious battle was won by English through treachery.

In 1883, the imperial government erected on the spot a monument to commemorate the battle. The inscription upon it consisted of one word Plassey. This was later replaced by an Obelisk.

Heritage of a nation need to be preserved. Battle of Plassey which gave birth to our freedom struggle was the greatest and longest peoples movement in mankind's history.

So Plassey Monument and its surroundings be preserved and turned into a heritage-tourism circuit by the Union Government.

(xv) Need to extend Yelarigi Express (train no. 16089-16090) upto Salem with stoppage at Morappur, Buddireddipatti and Bommidi of Dharmapuri Parliamentary Constituency, Tamil Nadu

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): I would like to bring to the kind notice of the Government the demand of the people of Dharmapuri, Krishnagiri and Salem for the extension of train No. 16089 and 16090 named Yelagiri Express presently running between Chennai-Jolarpettai upto Salem. This passenger train is very convenient for the people of these three districts to commute to many places falling in the route of this train. Several thousands of people from these districts visit Chennai and back to their home towns on a daily basis for many purposes. Therefore, if this train is extended upto Salem via running through Morappur, Buddireddipatti and Bommidi, the railway can earn much revenue as well as the people of these areas can also be benefitted. The people now-a-days prefer to travel by train because the road transport fares have gone up manifolds in the State of Tamil Nadu. Therefore, I urge upon the Hon'ble Minister to take immediate step to extend Train No. 16089-16090 named Yelagiri Express upto Salem which is presently running upto Jolarpettai with stoppage at Morappur, Buddireddipatti and Bommidi falling in my Parliamentary Constituency, Dharmapuri.

(xvi) Need to make suitable amendments in the law for issuance ST certificates to all the eligible persons irrespective of his/her place of residence

SHRI P. LINGAM (TENKASI): In Virudhunagar and Tirunelveli districts that come under my constituency Scheduled Tribe people who come under the category 'Kattu Naicker' live in a socially and economically backward situation. They do not have gainful employment except for sanitation and daily wage work.

Even under these conditions, the children and youth from these deprived sections have studied in schools and have obtained good marks both in SSLC and HSC. In the absence of Caste certificate they are not able to go in for further higher education.

Though this Scheduled Tribe 'Kattu Naicker' category people live in several districts of Tamil Nadu, as a spread out deprived section of the society, only in few districts they are recognized and issued with Caste Certificates. When our Constitution enables us to live in any part of the country and in any district in any of the States, putting people to hardships in the case of Caste Certificate by way of demarcating certain geographical areas and certain districts is violating the spirit of the Constitution.

Hence, I urge upon both the Centre and the State Governments to go in for suitable amendments in the Law to see that common ST Certificates are given to the people who come under their respective categories to help enable the younger generation among them to get education facilities and come up in life.

14.35 hrs

CONSTITUTION (SCHDEULED TRIBES) ORDER (SECOND AMENDMENT) BILL, 2011

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS AND MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO): Sir, with your permission, I beg to move* :

> "That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in the State of Karnataka, be taken into consideration. "

Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the outset, through you, I would like to inform the hon. Members of this House that the Bill proposes to accord Scheduled Tribe status to Medara Tribe in the State of Karnataka. The spelling of the Tribe in the English version of the Bill is Medara whereas the pronunciation is "Medar." The Hindi translation of the Bill unfortunately shows the word as "Medara" which is a printing error. Sir, I would, therefore, state that after the Bill being passed by the House, the Hindi translation will be corrected accordingly.

Sir, there has been a long-standing demand for the inclusion of Medara in the list of Scheduled Tribes in the State of Karnataka. To fulfil the long-felt demand, the entry at Serial No. 37, occurring under Part IV, relating to Karnataka of the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 have to be amended by inserting "Medara" community after the community "Meda" Scheduled Tribes of Karnataka. At present, there are 50 communities appearing in the list of Scheduled Tribes in Karnataka.

Sir, the Government of Karnataka have been for long recommending inclusion of "Medara" community as a synonym of "Meda" community. Way back in 1995, it had recommended inclusion of "Medara" along with "Medari", "Gauriga" and "Burud" communities as synonyms of "Meda", which is already

* Moved with the recommendation of the President.

listed at entry Serial No.37 relating to Karnataka of the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

The State Government's proposals were considered favourably by the Government of India, but it was found that while the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002, notified on 07-01-2003, and included "Medari", "Gauriga" and "Burud" as synonyms of "Meda" in the ST List of Karnataka, "Medara" happened to be omitted. This omission was pointed out by the State Government in 2003. The Registrar General of India supported the State Government's proposal in 2006. The National Commission took up the matter, sought additional information from the State Government, which was obtained in the year 2007, and, thereafter recommended it favourably in 2009.

Sir, the Bill thus seeks to achieve the above objective of redressing the omission of this community in the Constitution (SC&ST) Order (Amendment) Act, 2002 and to fulfil the long-standing demand from the "Medara" community in Karnataka.

The amendment will entail additional recurring and non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of India on account of the benefits likely to be provided to the persons belonging to the Medara community out of the continuing schemes meant for the welfare of the Scheduled Tribes.The same will be sought to be accommodated in consultation with the Ministry of Finance within the Annual Plan and Non-Plan outlay of the Ministry at the Revised Estimates stage.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in the State of Karnataka, be taken into consideration. "

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the outset, I would like to thank the hon. Minister Shri Kishore Chandra Deo ji for going to fulfil this long-pending demand of the Karnataka tribal community. I stand here to support this the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2011.

At the very outset, I would like to say that this Bill seeks to amend Part VI of the Entry 37 to provide reservation for the Scheduled Tribe "Medara" community in Karnataka. This is by way of bringing amendment to the Constitution Order, 1950 to modify the List of Scheduled Tribes in the State of Karnataka. As has rightly been pointed out by the hon. Minister, this was a long-pending amendment. Actually, earlier, the Meda community in Kodagu district was included in the ST List way back in 1950. Now, the Scheduled Caste Constitution Order 1950 and Part VI of entry 37, these are synonymous to Meda – the Medara community is to be added. It is already included in the list of Meda, Medari, Gauriga Burud, has has been pointed out.

But way back in 1976 or from 1976, this community which it was restricted to a particular area called Kodaga district, the community started demanding this. They were hesitating to ask for inclusion of all the synonym words like Meda, Medari, Buruda and Gauriga. But after a very long time – they started demanding this in 1976 – but somewhere in 2002, though the consecutive State Governments were continuously representing, the Government of India - I don't know for what reason – they never looked at it. But somehow, with great effort by the then Government, Shri Kharge *ji* was also the Minister, recommended. Subsequently, the present Government also continuously persuaded but in 2002, the amendment was brought to the ST list at Entry 37, though the State Government recommended for Medara, Medari, Buruda and Gauriga but unfortunately, this Medari spelled as M-e-d-a-r-a, it was left in 2002. I don't know whether it was an oversight or somebody played a game but this Medara community in Northern Karnataka is the major community. This community as far as ethnographic study

of many universities, including Kannada University for the Tribal Research Institute, Bangalore, Prof. Metry has given an account of Medara, Medari, Gauriga, Buruda, Buddur are the local names of the community of Meda. All those communities are bamboo and cane basket makers. They are following the same social religious practices. They speak Kannada and in the border areas, they speak Marathi and Telugu languages. The District Social Welfare, Chikmagalur, in his letter dated 19.7.2000 and District Social Welfare Officer, Belagaum in his letter of 2008 have clearly mentioned that there are inter marriages between all these Meda, Medara, Gauriga, Buruda and the rituals are same. The Tribal Commission of Bangalore reported that the rituals and customs of both Meda and Medara are the same and there are instances of inter related marriages between them and recommended to include Medara as synonyms of Medara community. The District Social Welfare Officer, Dharwad District and Tribal Welfare Officer, Belgaum have also reported the same. After all these things, unfortunately, if you look back, from 1952 to 1976 – in 1976, they raised their demand - agitation was called, State Government was pressurised and ultimately the Central Government was made to open its eyes in 2002. But unfortunately, the main word, `Medara' was left out.

At the outset, of course, I have thanked you. I met you in your Office regarding this twice. You were kind enough to assure me that in the very shortest time, this amendment would be brought and told me to seek my party leaders to support this, which I did. Hon. Sushma *ji* also spoke to you regarding this . She requested you to bring this amendment as early as possible and you were kind enough to do it very fast. But from 1950 to 2012, for 62 years, this Medara community, which is a major community in the northern part of Karnataka including the place of Mallikarjun Khargeji who is a senior leader from Karnataka, suffered because of this one technical lapse of the Government.

Sir, why the naxal movement is picking up momentum in the country? Of course, it is not there in our area. But why is this happening in other parts of our

country? It is because such a simple demand was not met when the words were synonym. Even as early as in 2002, the National Scheduled Tribes Commission deputed Mr. Tsering Shampel, a Member of the Commission, to visit the areas of Medar in Karnataka. He visited Belgaum, Haveri and Uttara Kannada Districts and made an on-the-spot study and reported in detail about the socio educational status of Medara community and recommended for its inclusion in the Scheduled Tribes List of Karnataka. Even after that, the Government has taken nearly 10 years to bring this Bill. So, the people are feeling restless. They feel that both the Centre and the State put together are not serious about this. I am not talking about any particular political party. Today, the BJP is ruling in Karnataka, previously the Congress was ruling and earlier to that, the Janata Party was ruling there. Today, the UPA is ruling at the Centre and few years ago, the NDA was ruling. But with all these factors, with all the pressures, with requests from people's representatives irrespective of their party affiliations, first it took almost 62 years and now if it can take nearly 10 years, naturally people will feel that they cannot get justice in this democratic system and so they may ask for an alternative system through the naxal movement and take up arms.

So, I have a sincere request to the hon. Minister. Since this is a very small and short amendment, I do not want to make an elaborate speech on this. My request is that, irrespective of what the State Government recommends, whatever procedure has to be followed by the Government of India, it should be expedited. I raised this matter twice during 'Zero Hour' in this House. When I met you, you suggested to me to make a submission for its inclusion in the List of Business for the next week. I did that also. But despite all these things, it has taken such a long time. Then, luckily, the Standing Committee also has recommended very positively on this. Now, you have taken this initiative. In the same UPA Government, I met your predecessors also and I convinced them. They agreed when they were outside this House. But I do not know what happened when they came to this House and it was not done for quite a long time. At least you have

taken the initiative now and moved the Bill before this House. I request you to immediately take this Bill to the other House and get it passed there also and take the Assent of the President, if that is needed. Then, I would also request the Minister to get it notified in the Gazette so that those people get justice. More than 100 of them have come over here from the nook and corner of Karnataka including the Hubli-Dharwad region of Karnataka. I think they are sitting in the Gallery also to watch the proceedings and see whether they can get justice after 62 long years. With that hope they have come here. So, I request you, with folded hands, to get it passed in the other House also before the conclusion of this Session and see that this order goes to all the district headquarters by the end of June so that they will get their ST Certificate by the next academic year. If they can get the certificate, at least, this will be useful for their children who are suffering for the last 62 years.

Since this is not a very long amendment, I do not want to make a lengthy speech on this. So, with these words I conclude and once again I would request the hon. Minister to expedite the process and complete it before this Academic Year begins.

SHRI K. JAYAPRAKASH HEGDE (UDUPI-CHICKMAGALUR): Sir, I have not been allotted any seat, so I may be permitted to speak from here.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, please.

SHRI K. JAYAPRAKASH HEGDE : Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on this amendment.

The Bill was introduced on 27-12-2011 and this was referred to the Standing Committee on Social Justice and Empowerment by the hon. Speaker on 5-1-2012. Clause 25 of the article 366 of the Constitution defines what is Scheduled Tribe.

This community fulfils the criteria for specification to be included in the Scheduled Tribes. There are five conditions to be fulfilled. These are indications of primitive tribe, distinctive culture, geographical isolation, shyness of contact with community at large and backwardness. They are mostly in Dharwad, Karwar and Belgavi Districts of Karnataka.

Medara Community is a synonym of Meda, which is already in the List of Scheduled Tribes. In the community, the education level is below 15 per cent. The Standing Committee has already gone in details and given a report.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, I welcome the Bill and I congratulate the hon. Minister for bringing this Bill. I also congratulate Mr. Kharge because he was the then Home Minister in Karnataka when this was recommended to the Central Government.

Now, I would request the hon. Minister to include two more communities, which are in my District. One is Korga. It should have been in primitive tribe, but it is still in Scheduled Tribe. The Korga Community is at the lowest strata of society. There is a report from Dr. Mohammad Peed to that effect. The education level in this community is not more than five per cent. There are only a few boys and girls who have completed degree. They have not yet got employment anywhere because a majority of them are in Udupi and Dakshin Kannada Districts. Unless they are declared as primitive tribe, they will not be able to compete with

even Scheduled Tribe boys and girls who are in those Districts. I would request the hon. Minister to consider this because this has not been recommended by the State Government. So, I would request the hon. Minister to send a note to the Government of Karnataka in this regard.

Their main occupations are making baskets, hunting and also drum beating in festivals. What they do is that during the festivals, they collect the waste food, dry the waste food and eat it when there is shortage of food.

There is one more community, which is called Kudubis. I think they should have been in Scheduled Tribe. This is still in the List of Backward Class. The highest post in that community is either teacher or a clerical post. Other than that they have not gone beyond that.

Dr. Rabindra Nath Rao has written a thesis on this and he was awarded doctorate for writing a thesis on Kudubis Community. They also live on hunting. I would request the hon. Minister to do the needful. I have taken up the cause of this community, Kudubis, to Justice O. Chinnappa Reddy, who was the then Chairman of Backward Classes and also Prof. Ravi Umakumar, who was the Chairman of the Committee. There is already a Standing Committee report. I may be permitted to read a couple of lines from the Standing Committee report. It says:

> "The Committee further desire that the Ministry should vigorously pursue with the State Governments and other agencies to get the comments expeditiously so as to expedite the process of inclusion of names of tribes in the list of Scheduled Tribes of various State and Union Territories."

The report further says:

> "The Committee recommend that the Government should immediately take steps for the conduct of a fresh survey and furnish the required ethnographic material to all the agencies concerned so that these needy and deserving communities are considered for inclusion in the list of Scheduled Tribes."

I would request the hon. Minister to include 'Koragas' in the Primitive Tribes and 'Kudubis' in the Scheduled Tribes instead of in the Backward Classes.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. I support the Bill in *toto*.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय उपाध्यक्ष जी आपने मुझे संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश, दूसरा विधेयक-2011 पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह संशोधन हमारे वरिष्ठ माननीय मंत्री श्री किशोर चन्द्र देव जी ले कर आए हैं जिनका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं और वह बहुत अच्छे विचार के और विद्वान मंत्रियों में से एक हैं।

उपाध्यक्ष जी, आपको याद होगा कि इसी सदन में समय-समय पर पक्ष-प्रतिपक्ष बराबर सम्मानित सदस्यों के तमाम सुझाव, और उन्होंने अपने वकब्य चाहे वह जीरो आवर हो या विभिन्न अवसरों पर उन्होंने अपने प्रदेश के तमाम चाहे वे अनुसूचित जाति के लोग हों या अनुसूचित जनजाति के लोग हों इन सब लोगों की मांग बराबर यहां पर उठाया गया है कि जो प्रस्ताव प्रदेश सरकार ने केन्द्र को भेजा है उस पर आज तक कोई अमल नहीं हो पाया है। समय-समय पर हमेशा सम्मानित सदस्यों के सुझाव और विचार आए हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे करीब इक्कीस जातियों का जिनमें प्रजापति, कुम्हार, मल्लाह, बिन्ध, चौहान इन तमाम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। यह बहुत दिनों से लंबित है। मुझे ख्याल है कि पिछली लोक सभा से ले कर इस लोक सभा में भी हम लोगों ने बराबर इस बात को उठाया कि इन लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया जाए। सभी जातियां तैयार हैं, विधान सभा से प्रस्तावित हो कर केन्द्र सरकार में लंबित हैं लेकिन आज तक उस पर कोई विचार नहीं हो पाया है। इसी प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में कोल जाति है। वे आदिवासी हैं। वे बहुत कम संख्या में हैं। उनको अनुसूचित जाति में शामिल होने का, कभी-कभी देखा गया है कि उनको पिछड़ी जातियों में रख दिया जाता है। फिर उनकी डिमांड अनुसूचित जाति में रखने की रहती है। इस प्रकार की तमाम ऐसे अवसरों पर मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि सरकार को निर्देशित करें कि तमाम जातियां जो अपने को उपेक्षित समझती हैं जो समाज की मुख्य धारा से अपने को अलग समझती हैं जिन्हें कोई सहुलियत नहीं मिल पा रही है। कुछ जातियों की स्थिति ऐसी है, जैसे हमारे यहां केशरवानी जाति है। यह बिहार में बैकवर्ड श्रेणी में आते हैं और हमारे यहां जनरल श्रेणी में हैं। अपने-अपने स्टेट की जो भी जरूरतें हैं जो भी सहुलियतें हैं उनके अनुसार अगर राज्य सरकारें प्रस्ताव कर केन्द्र सरकार को भेजती है तो इसमें केन्द्र सरकार को करने मे कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। चूंकि आप जान रहे हैं कि आज तक हम सही जनगणना नहीं कर पा रहे हैं कि बीपीएल के कितने लोग हैं। हम सुविधाएं दे रहे हैं। अभी इस संशोधन में आया है, प्रह्लाद जोशी जी ने बड़े विस्तार से कहा और मुझे थोड़ा-सा इंगित भी किया कि मेदा, मेदारी और बुड़ीका और जातियों, मेदारा जो छूट गया है इसको एसटी में शामिल किया जाए।

15.00 hrs.

इस प्रकार तमाम प्रस्ताव जो प्रदेशों से आए हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें मंत्री जी गंभीरता से लें। आपसे काफी आशा और उम्मीद है। हम आपका सम्मान भी करते हैं। आप तमाम समितियों के चेयरमैन रहे हैं। आप विद्वान हैं। आप स्क्रीनिंग करवा लीजिए। जिस राज्य से रेजोल्यूशन पास होकर इस प्रकार की जातियों का प्रस्ताव केन्द्र में लंबित है, उन्हें तत्काल परिवर्तन करवाएं। जातिगत आधार पर उन्हें सरकार से जो सुविधाएं मुहैया हो रही हैं, उन्हें दिलवाने का कष्ट करें। इन्हीं बातों के साथ मैं इस विधेयक पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा संक्षेप में जो संशोधन लाया गया है, मैं इस बिल पर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि वे बहुत छोटा संशोधन लाए हैं। इस तरह की समस्याएं देश के विभिन्न प्रदेशों में देखने को मिल रही हैं। कई जगहों में राजनीतिक कारणों से भी हमें ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में दो ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनके बारे में मै मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। गौण और कोल कम्युनिटी एक ही प्रदेश में हैं। शैलेन्द्र जी ने भी इस बारे में ध्यान आकृष्ट किया। सोनभद्र, मिर्जापुर आदि में इन जातियों को शैडयूल्ड ट्राइब्स के रूप में ट्रीट किया जाता है, लेकिन प्रदेश के अन्य जिलों में इन्हें शैडयूल्ड ट्राइब्स का दर्जा नहीं मिलता। खास तौर से गौण कम्युनिटी जो जनपद जौनपुर, जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां इसकी आबादी लगभग 25 हजार है। वे लोग इस सुविधा से वंचित हैं और पिछले 6-7 वर्षों से लगातार जिला मुख्यालय पर अनशन कर रहे हैं। मैंने संक्षेप में इसलिए कहा कि इस तरह की जो भी समस्याएं हैं, जिन्हें प्रदेश झेल रहे हैं, अगर उनके बारे में पूरी रिपोर्ट मंगवाकर विस्तृत रूप में संशोधन लाया जाता तो बहुत अच्छा रहता। मान लें आज कर्नाटक से मेधा कम्युनिटी का प्रस्ताव आ गया, बिल्कुल सही बात है, आप कर दीजिए, लेकिन सब राज्यों से मंगवाकर इंटीग्रेटेड-वे में लाते तो ज्यादा अच्छा रहता। फिर विभिन्न प्रदेशों से सदस्य अपनी राय रख देते जिससे पूरे देश को लाभ मिलता।

अभी शैलेन्द्र जी ने कहा कि हमारे यहां से 21 कम्युनिटीज़ एसटी के लिए हैं। चूंकि इन्होंने विधान सभा से प्रस्ताव पारित करने की बात की, उस समय मैं भी विधान सभा का सदस्य था। वहां से प्रस्ताव पारित होकर आया था। मैं आज भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि एक बार पुनः समीक्षा कर लें कि वास्तविक रूप से शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिए कौन सी कम्युनिटी ऐलिजिबल है। यह नहीं कि राजनीतिक कारणों से हम भेज दें कि इन्हें एससी कम्युनिटी में शामिल कर लिया जाए, इन्हें एसटी कम्युनिटी मे शामिल कर लिया जाए। मैं इसे उचित नहीं मानता। मैं मानता हूं कि जो लोग आज वास्तविक रूप से इसके हकदार हैं, जिन्हें एसटी कम्युनिटी का लाभ चाहिए, उन्हें वह मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कई जिलों, मेरे ख्याल से 20-22 जिलों में गौण और कोल कम्युनिटी पाई जाती है। सोन भद्र, मिर्जापुर, चंदौली, इलाहाबाद, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर कई जिले हैं जहां ये जातियां पाई जाती हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ दो जगह शैडयूल्ड ट्राइब्स का लाभ मिलता है। इन्हें पूरे प्रदेश में शैडयूल्ड ट्राइब्स का लाभ मिले। मंत्री जी प्रदेश सरकार से बात करके इस मामले का निस्तारण करेंगे। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं चाहूंगा कि अगली बार जब आप इस तरह का संशोधन लाएं तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर लाएंगे।

श्री भूदेव चौधरी (जमुई): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक, 2011 के संदर्भ में बोलने का जो अवसर दिया गया है, उसके लिए मैं दिल से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सारे सम्मानित सदस्यों ने अपने-अपने प्रांतों और संसदीय क्षेत्रों के संदर्भ मे अनुसूचित जनजाति की स्थिति और परिस्थिति की विस्तार से बातें की हैं। आजादी के 65 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जनजातियों की स्थिति और परिस्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बनायी गयी स्कीमों में बहुतायत लाभ नहीं मिल पा रहा है।

महोदय, अनुसूचित जनजाति के लोगों की स्थिति काफी दयनीय है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश में जनजातियों की कुल जनसंख्या 8.43 करोड़ है, जो कुल आबादी का 8.2 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति समुदाय देश के लगभग 15 प्रतिशत क्षेत्रों में विभिन्न भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों में मैदानों और जंगलों से लेकर पहाड़ों और दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। जनजातीय समूह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के मामलों में काफी दूर है।

महोदय, मुझे इस सच्चाई को स्वीकार करने में तथा सदन को यह बताने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनायी गयी हैं, उनका लाभ सही मायने में उन तक नहीं पहुंच पा रहा है।

महोदय, आज स्थिति इतनी विस्फोटक हो गयी है कि बिहार राज्य सहित देश के तमाम प्रदेशों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोग नक्सली नेताओं के प्रभाव में आकर समाज की मुख्यधारा से अलग हो रहे हैं। आज जब यह बिल आया है, तो हम सबको और सरकार को इस बात की गारंटी देनी चाहिए कि सचमुच हम कुछ ऐसा करें कि अनुसूचित जनजाति के लोग नक्सलियों के प्रभाव से निकलकर समाज की मुख्यधारा में जुड़कर रचनात्मक कार्य कर सकें।

मैं समझता हूं कि इसके लिए सम्पूर्ण रूप से इस वर्ग के लोगों का आर्थिक शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास करना होगा। अगर हम ऐसा करने में असफल होते हैं, तो फिर नक्सलवाद को बढ़ने, फलने-फूलने से नहीं रोक सकते। हमे यह सोचना होगा कि सरकार की सारी मशीनरी उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने में क्यों असफल हो रही है? जबकि मुट्ठी भर नक्सली आंदोलन के नेता अपनी बातों से इस वर्ग के लोगों को समझाने में कामयाब हो जाते हैं।

महोदय, आज इस वर्ग के लोग जंगलों, पहाड़ों में जानवरों जैसा जीवन जी रहे हैं। उनके सामने रोटी, कपड़े और पीने के पानी की गंभीर समस्या है। लोग आज की तारीख में भी नदियों के गंदे पानी को

पीने के लिए मजबूर हैं। हमारे यहां एक कहावत है कि 'मरता तो क्या न करता'। यही कारण है कि वे नक्सली बन रहे हैं। हमें इस पर काबू पाने की जरूरत है और यह काबू सिर्फ हथियार के बल पर नहीं हो सकता। उनसे संवाद करने की जरूरत है, उनके दुख को समझने एवं दूर करने की जरूरत है। अगर हम उनके जीवन स्तर को सुधारने में सफल हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे देश की आतंरिक सुरक्षा इससे बेहद मजबूत होगी।

महोदय, हमारे बिहार में खासकर पश्चिम चम्पारण के जंगली इलाकों में बहुत सारे जनजाति के लोग जंगलों मे रहते हैं। वर्ष 2006 में वनाधिकार कानून पास हुआ था, परन्तु आज तक उन लोगों को इस कानून का लाभ नहीं मिला है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि यथाशीघ्र इस कानून का लाभ वन में रहने वाले लोगों को दिया जाये।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जमुई में भी कादर एवं पैरघा, चैरों, बुइयां, तुषात आदि समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी स्थिति काफी खराब है, दयनीय है। इन्हें भी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लाकर इनके स्तर को ऊंचा उठाने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि इस संदर्भ में मंत्री महोदय इस पर काफी गंभीरता से विचार करेंगे और मैंने मांगें की हैं, उन पर भी गंभीरता से विचार करेंगे।

मैं इन्हीं संशोधनों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI K. SHIVKUMAR *ALIAS* J.K. RITHEESH (RAMANATHAPURAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am very much thankful to you for giving me this opportunity to participate on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2011.

Sir, this Bill was introduced in the Lok Sabha on 27th December, 2011. The Bill seeks to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to achieve the objective of inclusion of *Medara* community in the list of Scheduled Tribes in the State of Karnataka. The Constitution of India enjoins upon the State a special responsibility for the protection and development of the Scheduled Tribes people.

There are 50 communities enlisted in the list of Scheduled Tribes of the State of Karnataka. In this list, the existing entry is at serial No. 37, *Meda, Medari, Gauriga, Burud.*

The State Government of Karnataka had recommended for inclusion of *Medara* community as synonym of *Meda,* the Scheduled Tribes, which is appearing at serial No. 37 in the list of ST of the State in the year 2003.

Sir, I welcome the efforts of the Government of India for taking keen interest for the development of the neglected Scheduled Tribes people all over India. In this row, now, the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill has come. I am extremely happy for the modification of the list of the Scheduled Tribes in the State of Karnataka. I welcome the Amendment of the Bill

Sir, while welcoming this Amendment, I would like to bring to the knowledge of this Government a few facts.

According to Article 342, Clause (1) Scheduled Tribes:-

1 "The President may, with respect to any State or Union Territory, and where it is a State, after consultation with the Governor thereof, by public notification, specify the Tribes or the Tribal Communities or parts of or Groups within Tribes or Tribal Communities which shall, for the purposes of this Constitution, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to that State or Union Territory, as the case may be.

2 Parliament may, by law, include in or exclude from the list of Scheduled Tribes specified in a notification issued under clause (1) any Tribe or Tribal Community or parts of or Group within any Tribe or Tribal Community, but save as aforesaid issued under the said clause, shall not be varied by any subsequent notification."

Sir, as per the above Article 342, Clause (1) Scheduled Tribes, I would urge upon the Government to consider my Constituency's issues as follows:-

More than 10,000 tribal families are living in my Constituency without education. They are having voter ID and ration card. But they do not have the community certificate because of which the children are allowed to study up to 5th Standard only. After that, they are not permitted to continue their studies. This is the basic and fundamental record for the future. Their fundamental rights are being denied to them.

Sir, these people had migrated from other districts to my district during the King's regime to chase away their birds. After that, they started working as coolies, construction labourers and agricultural labourers, which they are still continuing.

Every month, they are expressing their feelings by indulging in hunger strikes, protests and *dharnas*. But the State Government could not issue them the community certificate because their community name *Kattu Naicken* is not listed in the Gazette, insofar as my district is concerned,

I would, therefore, urge the Government to take necessary steps to include their community in the Tribal List and help them to come up in the society at par with the other Tribals listed in the Gazette.

Sir, while considering the amendment of Scheduled Tribes in the State of Karnataka, I insist on the Government to consider the aforesaid similar issue of my constituency as quickly as possible. As the UPA-II Government is taking adequate steps for building a country without poverty, I believe that surely the standard of living of these neglected Tribes will also be lifted up soon.

SHRI BAJU BAN RIYAN (TRIPURA EAST): Thank you Deputy-Speaker, Sir for giving me time to speak on this Bill.

I support the Bill. It is actually a very simple Bill. It is proposed that Medara, one community of Karnataka, to be included in the list of Scheduled Tribes in Karnataka State, which was prepared or notified in the year 1950. In the Bill it is mentioned that after Serial No.37, this should be included. At present, in Karnataka State there are 50 ST communities. So, after inclusion of this community in the list, this community may be 51 in the list there.

This type of problem is not a very small problem. If I consider it at the national level, there are more than 500 communities. I do not know the exact number of these communities. As per the information provided by the hon. Minister in response to part (1) of the Lok Sabha Unstarred Question No.5903, dated 11.5.2012, that is, a few days back, the total population of Scheduled Tribes in this country is 8,42,96,771. But in this list there are 33 States and Union Territories. But what is missing? Andaman and Nicobar Islands is not in this list and Puducherry is also not in this list. So, if Scheduled Tribe people are there in Puducherry and Andaman and Nicobar Islands, then the total number of Scheduled Tribes in this country may be more.

However, some discrepancy is there. I would request the hon. Minister to correct them in future. The list was prepared and notified in the year 1950, that is, long back. Yesterday, we had celebrated here the 60th Anniversary of Parliament. It is an issue which has been pending for a very long time in almost all the States. The hon. Member, Shri Shailendra Kumar and other Members have referred to the problem that the State Governments have sent some names of the community to be included in the list of Scheduled Tribes but till date it is left pending in respect of almost all the States. So, I would also request the hon. Minister to bring a comprehensive list of Scheduled Tribes in consultation with those States which want to modify or include their communities in the list by amending the Scheduled Tribes Order of 1950.

The main discrepancy is that the names of the communities are pronounced in their own dialects. In our country, there are more than thousand dialects, which are not included in the Eighth Schedule of the Constitution. As it is pronounced in its own dialect, when we translate it into English or Hindi, there may occur some discrepancy. The Meda community is included in it but the Medara community is not included in it. Their local language or dialect may be the same but I do not know the exact position. In this way, in other States also, a lot of communities are there which are not recognised as Scheduled Tribes.

The Riang community is one of the 19 communities of Scheduled Tribes list in Tripura. The Riang community resides near the border States of Assam, Mizoram etc. But, they are not recognised as Scheduled Tribes there. The Riang community is included in the Mizu community in Mizoram. But, Mizu and Riang communities are not the same. Due to that ethnic trouble, about 40,000 Riangs are camping at Tripura for the last 13 years. They are not able to go back to their original State. This is the problem.

In the States like Odisha and Andhra Pradesh, there may be some communities from the same ethnic groups, the same language and with the same religious beliefs. They are recognised as Scheduled Tribes in Andhra but they are not recognised as Scheduled Tribes in Odisha. Similar is the case in Tamil Nadu and Kerala. The same people, who reside in Kerala, are not recognised as Scheduled Tribes there but in Tamil Nadu, they are recognised as Scheduled Tribes. This is a very serious problem throughout the country.

I request the hon. Minister to bring in a comprehensive Bill so that we can discuss this issue here and take a decision to give equal benefits to all of them. We can give some time of six months or one year to the bordering States to process and include those, who are recognised as Scheduled Tribe communities in other States, in the list of Scheduled Tribe. They should also give these communities the same identity.

I request that in this regard a comprehensive Bill be brought in this House as soon as possible.

* SHRI P. LINGAM (TENKASI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2011 to modify the list of Scheduled Tribes in the State of Karnataka. Through our Governments, we have always been trying to improve the lot of the Scheduled Tribes by way of extending reservation benefits and other social security measures to bring them up in life and to take them to the mainstream. In order to extend such benefits, we are enumerating and identifying such of those beneficiaries who will be enlisted under the heads Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The long-felt need of the people to have them enlisted under this category is being met with now at least now after a long delay to bring about changes in their lives. This Bill seeks to bring Medara community in Karnataka under the Scheduled Tribes List so that the benefits of reservation in education and jobs will accrue to them. This only shows how indifferent our Governments are over the years about the plight of the people from the communities from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

We are celebrating 60 years of parliamentary democracy. At this point of time, we notice that a large section of the society, a largely visible community in Karnataka with noticeable numerical strength, had remained left out for so many years without being included in the Scheduled Tribes List. If it can happen to a sizeable community, what can happen to such people who cannot show their numerical strength and thereby losing opportunities to come up in life through the welfare measures intended for the Scheduled Tribes by way of reservation and other social security schemes? This only shows that be it the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes or be it the Standing Committee and

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes have also been knowingly or unknowingly ignoring the Scheduled Tribes.

In my constituency in Tamil Nadu, a certain section of tribal people are facing huge hardships. Though it may not be directly relevant to this Bill, I would like to point out this so that in future a comprehensive Bill may be contemplated to identify and enlist the left out tribal people throughout the country. You have now moved in this august House a Bill to amend the ST Order to include the Medara community in the List of Scheduled Tribes. Let us think of the social deprivation and economic loss suffered all these years due to this delay. I am referring to an entirely different matter here. In my constituency, there is a tribal community called Kattu Naicker. That Kattu Naicker community that comes under the Scheduled Tribes List is identified and recognized as STs only in certain geographically demarcated areas within Tamil Nadu.

Hon. Deputy-Speaker, Sir, our Constitution gives us the right to live in any part of the Indian territory. We can live in any State and any district and this must not come in the way of enjoying certain privileges that are enshrined under the Constitution. How can we expect that that particular community will continue to live only in that geographical area? The forced migration of those people must not take away their rights to make use of the State conferred benefits. Only in certain districts in Tamil Nadu, Kattu Naicker community people can take Caste Certificate as those who belong to the Scheduled Tribes. They are denied of this facility in other districts. They might have shifted from one district to another or their numbers might have drastically got reduced in another district. These factors must not be treated as a basis for denying Caste Certificate or accompanying benefits and, in my opinion, this is an injustice perpetrated on that section of the people. Today we find the Kattu Naicker community people living in several parts of Tamil Nadu. Just the other day, my esteemed colleague Shri Ritheesh from the DMK highlighted the problem faced by the same Kattu Naicker community people in his constituency. He stated that more than 10,000 Kattu Naicker

community people live in his constituency. Tirunelveli and Virudhunagar districts are there in my constituency and these two districts are denying Caste Certificate to the Kattu Naicker community people on the premise that these two districts do not come under the demarcated geographical area in Tamil Nadu. It is not fair to accept and deny such a recognition within a State. I can understand if it varies from State to State, but how can it vary within a State? In fact, once they are included in the List of Scheduled Tribes, it should be valid for the entire country wherever they are. The Kattu Naicker community should be recognized and accepted throughout Tamil Nadu and the Caste Certificate should be given to them wherever they are. District-wise discrimination against the Kattu Naicker community within Tamil Nadu must go and it must not come in the way of certain facilities extended to them. As of now, they are a neglected lot and most of them are sanitation workers taking up scavenging jobs here and there. A relief can be given to that Kattu Naicker community by way of bringing about suitable amendment through this Bill or through a separate Bill to enable them to be recognized as ST community people with in Tamil Nadu to begin with. In the same way as you seek to render justice to the Medara community people in Karnataka though belated, the union government must come forward to include them in the STs' list so that they could get recognized in the entire state of Tamil Nadu. Considering the social deprivation and economic loss that caused impediments in their social progression and economic development and also the fact that the bright students among them who have scored good marks in SSLC and HSC examinations are not able to go for higher education for want of Caste Certificate, the Government must act fast to include Kattu Naicker community in the ST List so that they get recognition wherever they live and get the facilities meant for them. The geographical demarcation of areas in the case of Kattu Naickers must be done away with immediately. With these words, I conclude.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कर्नाटक में पहले से मेदा और मेदारी जाति पहले से सूची में हैं जबकि मेदारा छूट गई। इसके लिए ही विधेयक लाए हैं जो बहुत संक्षिप्त है। मेदा और मेदारी जाति ट्राइबल सूची में है जबकि मेदारा छूट गया है इसलिए प्रावधान किया गया है। सब इसका समर्थन कर रहे हैं। भारत के संविधान की धारा 366, 342 के अधीन माननीय मंत्री जी को काम्प्रिहेन्सिव विधेयक लाना चाहिए। ऐसा सीपीएम के साथी कह रहे थे। मैं मंत्री जी को सुझाव देकर सहायता कर रहा हूं। आसन पर संयोग से उपाध्यक्ष महोदय हैं, आपको मालूम है कि झारखंड में लोहरा, लोहाड़ा दोनों नाम से जाति ट्राइबल सूची में है। पहले बिहार और झारखंड एक था जबकि लोहार जाति छूट गई। झारखंड में लोहरा, लोहाड़ा ट्राइबल सूची में है जबकि बिहार में लोहार जाति छूट गई। लोहार संघ का आंदोलन चल रहा है, वे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं कि उन्हें ट्राइबल सूची में डाला जाए। विभिन्न सदस्यों के यहां और माननीय मंत्री जी के यहां लिखापढ़ी हुई है इसलिए मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि बिहार में लोहार जाति को ट्राइबल सूची में डाला जाए, परीक्षण किया जाए, जांच की जाए। इसी का हिस्सा झारखंड में लोहार और लोहड़ा है। लोहाड़ा अंग्रेजी में है। मिश्र को अंग्रेजी में मिश्रा पढ़ा जाता है। हम अशोक रोड कहते हैं तो अंग्रेजी में अशोका रोड कहा जाता है। इसी तरह अंग्रेजी भाषा में लोहड़ा जाति झारखंड में ट्राइबल हो गई जबकि बिहार में लोहार ही रह गई। यह दोनों में एक नाम से था। यह पहले एक राज्य था, यदि वहां ट्राइबल जाति में हुआ तो बिहार में भी होना चाहिए। लोहार जाति को ट्राइबल सूची में डाला जाए।

महोदय, नुनिया जाति मिट्टी काटने वाली जाति है। यह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पीछे है। इसी तरह साहनी, निशाद, मल्लाह जो मछली मारने वाली जाति है, बिंद, बिलदार, केओत, कोही हैं, ये सभी जातियां वही काम करती हैं। ये सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पीछे हैं। ये जातियां बंगाल में अनुसूचित जाति में हैं। बिहार में अति पिछड़े वर्ग में हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों में हैं। यह क्या है? गंगोत जाति भागलपुर इलाके में हैं। दुबे जी जानते हैं क्योंकि यह उनके पड़ोस का इलाका है। गंगोत, अमात, कहार, धानु, गुरहा, ताती, तत्वा, बड़ेड़िया जातियां सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़ी हैं। मैं मांग करता हूं कि इन्हें ट्राइबल जाति में रखा जाए या अनुसूचित जाति में रखा जाए। इन लोगों की हालत ठीक नहीं है। इन लोगों का जातीय संघ लड़ रहा है, प्रस्ताव पास करता है और सवाल उठाता रहता है। माननीय मंत्री जी, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं और जानकारी देना चाहता हूं कि 1980 के दशक में ट्राइबल विभाग अलग नहीं था, होम मिनिस्ट्री में था। आप उस समय के कागज खोजेंगे तो देखेंगे कि होम मिनिस्ट्री में वह कागज है।

15.34 hrs.

(Shri P.C. Chacko *in the Chair*)

श्रीमती इंदिरा जी यहां थी, लिखापढ़ी हुई तो होम मिनिस्ट्री ने सरकार से पूछा कि नुनिया, मल्हार, लोहार, भिंड, बिलदार, क्योत, गोही, निशाद, साहनी, गंगोत, अमात, कहार, खानपुरहा, ताती, तत्वा, आदि जातियों को रखा जाए कि नहीं, राज्य सरकार अपनी राय व्यक्त करे। एक ज्वाइंट सैक्रेट्री ने लिखा, मैं आपको उसकी फोटोकॉपी दूंगा। उन्होंने राज्य सरकार को लिखा, राज्य सरकार की क्या राय है। संविधान की धारा 366-342 में राज्य सरकार से भी सहमति लेकर फिर समाज अध्ययन संस्थान से, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से सभी जगहों से सहमति होती है, तब सूची में हेराफेरी और जोड़-घटाव करने का काम होता है। इसीलिए ज्वाइंट सैक्रेटरी ने जो राज्य सरकार को लिखा कि इन सभी जातियों को ट्राइबल में आने के लिए...

सभापति महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, कोई नाम यूज नहीं करना है। Please remove the name, which he has used. Hon. Member, please do not use any other names. You are a senior Member and you know about it.

… (*Interruptions*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह आप कृपा करके देख लीजिए। नाम लेकर एलिगेशन नहीं लगाना है। नाम लेकर किसी के विरुद्ध एलिगेशन नहीं लगाना है, यह केवल रेफरेन्स है। आप चाहे तो नियम-कायदा देख लीजिए।

MR. CHAIRMAN: No, you are not expected to mention it. So, this will be removed from the records.

… (*Interruptions*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : कृपा करके जानकारी कर ली जाए हम किसी का नाम लेकर उस पर एलिगेशन नहीं लगायेंगे और आरोपित नहीं करेंगे जो यहां उपस्थित नहीं हैं। लेकिन उस नाम से कागज गया है, इससे माननीय मंत्री जी को सहूलियत होगी। क्या यह कोई एलिगेशन है। कृपा करके नियम-कायदा समझ लिया जाए और उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। ज्वाइंट सैक्रेटरी से भी हमारा काम चल जायेगा। 1981 से 1984 तक श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधान मंत्री थीं, क्या हम नाम नहीं लेंगे। वह उस समय प्रधान मंत्री थी। इसलिए एलिगेशन लगाकर किसी का नाम लेना संसदीय प्रणाली में उचित नहीं है। लेकिन हम एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं यह पेपर में रेफरेन्स है। मैं भेद खोल रहा हूं, मंत्री जी की सहायता कर रहा हूं। मैं उनकी

सहायता कर रहा हूं, जो करोड़ों गांवों के लोग हैं, दबे हुए हैं, शोषित, वंचित, उपेक्षित, लांछित हैं, उन लोगों की कोई बात सुनने वाला नहीं है। हर कोई यही कहता है कि जाओ, पीछे हटो। उनकी कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं है, भागीदारी नहीं है। इसीलिए लड़ाई अब भी जारी है, भीख नहीं भागीदारी, सत्ता में चाहिए हिस्सेदारी। जो गरीब, वंचित गांवों में करोड़ों लोग हैं, जिनका कोई स्वर नहीं है, अब उनका जातीय संगठन महासंघ बना है, अब वे दबने वाले नहीं हैं। इसीलिए माननीय मंत्री जी आप तो कानूनी आदमी हैं, तकनीकी आदमी हैं, आप सब समझते हैं। चूंकि कुछ वर्ष पहले आपकी मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री से अलग हो गई इसलिए पुराने कागज नहीं मिलेंगे, पुराने कागज के लिए मैं आपकी सहायता करूंगा। आप देखिये कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी 16 जातियां हैं, जो विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न नामों से काम के आधार पर जातियों का बंटवारा हुआ और दबे हुए लोग पीछे रह गये, छूट गये। इसलिए संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय किया और जो दबे हुए लोग छूट गये हैं, उन्हें भी राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाए, तभी देश मजबूत होगा। वरना जिस देश में करोड़ों लोगों को जो ट्राइबल हैं, पिछड़े हैं, यह अनुसूचित जाति के हैं, ये पिछड़ी जाति हैं, वह अब दुनिया के मुल्क के साथ भी बैठेंगे तो सबसे पिछली सीढ़ी पर बैठेगा। जिस देश में आप करोड़ों लोगों को ऐसे छोटा करके रखेंगे। इस देश को मजबूत करने के लिए भी जो वंचित, शोषित समाज, दबे हुए लोग, ट्राइबल हैं, वनवासी हैं, आदिवासी हैं, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उन सबको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए ट्राइबल विभाग अच्छा काम कर सकता है। इसलिए एक सम्यक कंप्रिहैन्सिव बिल लाना चाहिए। अन्य राज्यों में भी इस तरह की कई जातियां हैं, जिनका नामो-निशान नहीं है। इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि वह एक कम्प्रिहैन्सिव विधेयक लाये और हम लोगों का समर्थन लें और करोड़ों पिछड़े लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का काम करें, हिस्सेदारी देने का काम करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मंत्री जी कर्नाटक की एक जाति मेदारा को शामिल कराने के लिए संशोधन लाये हैं, यह एक बहुत छोटा संशोधन है और इसके बारे में हमारी पार्टी के माननीय सदस्य, श्री प्रहलाद जोशी जी ने जो मेहनत की या उन्होंने जो बोला, उससे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। लेकिन अभी जितनी चर्चा हुई, शैलेन्द्र जी बोल रहे थे, धनंजय जी बोल रहे थे, रघुवंश बाबू बोल रहे थे या उधर से हेगड़े जी बोल रहे थे, इन सारे लोगों का एक ही कंसर्न है, कंसर्न यह है कि जिस तरह से यह देश आगे चल रहा है, आजादी के बाद हमने अपना साठवां साल मनाया है। आज अलग-अलग कानून या अलग-अलग चीजें बढ़ रही हैं, पथिक की तरह यह प्रजातंत्र भी चल रहा है।

जिस तरह से हमने डीटीसी बनाया। सन् 1961 का जो बिल था, उसे पूरा का पूरा बदल दिया। सन् 1956 का जो कंपनी लॉ था, उसे पूरा का पूरा बदल दिया। हमारी स्थायी समिति उसे देख रही है। टैक्स का जो है, जनरल सेल्स टैक्स जो है, एक्साइज़ टैक्स जो है, उसके लिए जीएसटी का एक अलग कानून आ रहा है। हम आर्थिक क्षेत्र में जिस तरह से अपना बढ़ाव देख रहे हैं, जिस तरह से कानून बदलने की आवश्यकता हो रही है, कानून बदल रहे हैं। स्टेण्डिंग कमेटी की जो रिकमंडेशन्स हैं, इस देश के सारे मैंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो रिकमंडेशन्स हैं या जो राज्य सरकार की रिकमंडेशन्स हैं, उसमें अन्य जातियों को जोड़ने के लिए एक अलग आयोग बनाइए। अलग आयोग बनाने के पीछे जो कारण हैं, वह आपको स्पष्ट तौर पर चारो ओर दिखाई देती है कि यह कंसर्न्ड है। यदि आप देखेंगे तो पता चलेगा कि समाज दो चीज़ों से चलता है। समाज में क्या है कि समाज की जो परस्परता है, एकजुटता है, यूनिटि है, वह दो चीज़ों पर है। एक तो समाज यह देखता है कि हम दोनों में समानता क्या है। यदि समाज में सारे लोग साथ रहेंगे तो एक-दूसरे से सिमिलरटी क्या है। दूसरा चीज़ देखता है कि डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। कहीं न कहीं शेड्यूल ट्राइब, शिड्यूल कास्ट और ओबीसी और देश में इस तरह की जो जातिगत व्यवस्थाएं हैं, वह समानता भी है। समानता यह है कि देश के प्रति उनकी कमिटमेंट है। समानता यह है कि देश में कहीं भी किसी तरह की परेशानी होती है तो वे साथ में खड़े हो जाते हैं और समानता यह है कि सामाजिक आर्थिक और शैक्षिणिक तौर पर वे अपने आपको कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए समाज में उन्हें अपने पास लाने के लिए, समाज में एकरूपता कायम करने के लिए, उस अंतर को पाटने के लिए उन्हें रिज़र्वेशन की आवश्यकता है, सहूलियत की आवश्यकता है। इसीलिए कोई शिड्यूल ट्राइब हो जाता है, कोई शिड्यूल कास्ट हो

जाता है और कोई ओबीसी हो जाता है। हमारा क्या काम है? हमारा काम है कि सभी पत्थरों में कोई न कोई मूर्ति है, इसी तरह से सभी जातियों में कोई न कोई अच्छाई है। उसमें केवल उसका आब्सटेकल है, उस पत्थर के सामने जो दूसरा पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर को हटा कर, उस मूर्ति को बना देनी की आवश्यकता है जिससे वह पत्थर मूर्ति का रूप ले लेता है। आपने अभी आर्टिकल-342 की बात कही है। मैं संथान परगना से आता है और मैं आर्टिकल-339 को कोट करना चाहूंगा। मैं लगातार नियम 377 में, ज़ीरो ऑवर में और आपको पत्र के माध्यम से भी लगातार लिखता रहा हूँ। आर्टिकल-339 यह कहता है -

> "The President may at any time and shall, at the expiration of ten years from the commencement of this Constitution by order appoint a Commission to report on the administration of the Scheduled Areas and the welfare of the Scheduled Tribes in the States."

मैं संथाल परगना के जिस क्षेत्र से आता हूं वह शेड्यूल-5 का एरिया है। उसमें छह जिले हैं - दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और जामताड़ा है, क्योंकि झारखण्ड दो इलाकों, छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिला कर बना है। पूरा संथाल परगना शेड्यूल-5 का एरिया है। शेड्यूल-5 में जो जातियां रह रही हैं, सन् 1932 तक शेड्यूल ट्राइब थीं। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि सन् 1932 तक वे जातियां शेड्यूल ट्राइब थीं और वे जातियां हैं - धइयां, घटवाल, धुइयां घटिवाल, खेतौड़ी, गादर और पेरियार हैं। इस तरह की जातियां हैं, वे जातियां वहां रहती हैं, शेड्यूल-5 के एरिया में रहती हैं। मैं जब भी सवाल उठाता हूँ, जब भी पत्र लिखता हूँ, आप कहते हैं कि एथनॉग्राफी रिपोर्ट होनी चाहिए। रघुवंश बाबू अभी जिस सामाजिक संस्थान की बात कर रहे थे, उसकी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आपको राज्यों का रिकमंडेशन होना चाहिए, फिर रजिस्ट्रार जनरल का रिकमंडेशन होना चाहिए, स्टैण्डिंग कमेटी का रिकमंडेशन होना चाहिए, आपका रिकमंडेशन होना चाहिए। क्या आपको कभी लगता है कि ये पांच-छह संस्थाएं इस देश में आज की डेट में एक साथ इकट्ठा हो सकती हैं? जिस तरह से रीजनलिज्म की पॉलिटिक्स हो रही है, जिस तरह से कास्ट की पॉलिटिक्स हो रही है, देश के बारे में कौन सोचना चाहता है? मतलब कि न राधा को नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। जिस तरह से आपने चारों तरफ से जो एक वेब क्रिएट कर दिया है, यह इस वेब में नहीं होगा। मेरा सीधा एलिगेशन यह है कि आप राज्य सरकार को, क्योंकि जिस आर्टिकल-339 की मैं बात कर रहा हूँ, इसके हिसाब से आप यह राज्य सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। यदि सन् 1932 तक ये सारी जातियां शेड्यूल ट्राइब में शामिल थीं तो क्या कारण है कि पिछले साठ-पैंसठ साल से वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लगातार जाति की बैठकें हो रही हैं और

आंदोलन ऐसा हो रहा है कि संथाल परगना कई बार ठप्प हो चुका है और ठप्प होने के बाद सन् 2005 में राज्य सरकार ने आपको रिकमंडेशन भेजा। आपने उसमें एक टैक्नीकल पाइंट लगाया कि इन जातियों को हम शामिल नहीं कर सकते हैं। फिर जो वापस गया सन् 2005 से वह सन् 2012 तक नहीं आया। मुझे लगता है कि जिस तरह की कोएलिशन सरकार वहां चल रही है, शायद वह और भी बीस साल तक नहीं आएगा। यदि बीस साल तक नहीं आएगा तो क्या ये जातियां ऐसे ही रोड़ पर रहेंगी? क्या उनका आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा? क्या उनका आन्दोलन इसी तरह से चलता रहेगा और यदि चलता रहेगा तो जो ये सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे धनंजय जी बोल रहे हों, रघुवंश बाबू बोल रहे हों, शैलेन्द्र जी बोल रहे हों, क्या सरकार इसके बारे में सोचने के लिए कोई न कोई कमीशन बना रही है, आयोग बना रही है? हमें इसका जवाब चाहिए क्योंकि यह जो समाज है, समाज इस तरह से चलता है कि हम राजा हैं, यदि आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, आप मंत्री हैं, आप बड़े ईमानदार मंत्री हैं। रहिमन का एक दोहा है- रहिमन वे नर मर चुके जे कुछ मांगन जाई, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाहि तो शायद यदि आपके मुख से नहीं निकलता है तो वे तो रोज मर रहे हैं। वे अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए रोज मर रहे हैं। कोई उनकी आवाज यहां पहुंचाने वाला नहीं है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज तक उन जातियों से नहीं आया है। भगवान करे कि शायद कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ जाये, तो शायद अपनी बातें वे आपको स्पष्टता के साथ बता सकते हैं। इसी तरह से मेरे मित्र गणेश सिंह जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की कई जातियां हैं, मांडी है, केवट है, मल्लाह है, इस तरह की जो जातियां हैं, अलग-अलग प्रदेश की अलग-अलग जातियां हैं और राज्य ने रिकमंड भी किया है। आप सारी जातियों का एक कमीशन बनाइये, जो जातियां वर्ष 1925 तक, वर्ष 1932 तक शैड्यूल ट्राइब में थीं या जिनकी डिमांड आ रही है, इसके आधार पर आप एक काम्प्रीहैंसिव कानून लाइये। जिस तरह से जीएसटी आ रहा है, जिस तरह से डीटीसी आ रहा है, जिस तरह से कम्पनी बिल आ रहा है, मेरा आपसे यह आग्रह है कि उसी तरह का आयोग बनाकर आप एक-साथ सारी जातियों को, सारे राज्यों की सारी जातियों को इकट्ठा करके एक अलग शैड्यूल ट्राइब, शैड्यूल कास्ट और ओबीसी की लिस्ट बनायें तो देश के लिए फायदा होगा।

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMRAJANAGAR): Sir, the hon. Union Minister has taken lot of interest to introduce this Bill. First of all, I am very thankful to the hon. Union Minister.

The Medara Community is basically engaged in making bamboo basket, cane basket and such other baskets which are also used in agricultural operations.

Approximately, their total population is not more than 50 thousand in the State of Karnataka. They are distributed in a few districts and taluks such as Maddur, Ranibennur, Chamarajanagar, Davangere, Shikaripura and some pockets of North Karnataka.

Their occupational work, the social status and economical status is similar to Meda community which is already there in the list of STs at serial number 37.

At present, there are totally 50 communities in the list of Scheduled Tribes. At serial number 37, Meda community is there. After this, Medara community has to be inserted. This is to fulfil the longstanding demand of the Medara Community. Already in other states the "Medara" Communtiy is included into the list of Scheduled Tribes.

Sir, I support this Bill and my request to hon. Minister is to include 'Soliga' which is also most backward tribal community in Karnataka. It is primitive tribe community. You already know the Soliga tribal community. So, I once again request the hon. Minister to include Soliga in the primitive tribe list.

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Thank you for allowing me to speak on this important Bill which seeks to amend the Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950. I welcome and appreciate the hon. Minister for bringing this Bill. The Scheduled Tribes constitutes around 9 per cent of the country by the latest Census, 2011. They are still in the deplorable condition. In fact, they live in sub-human and pathetic condition.

As we have seen in my State West Bengal, how they were treated in the last 34 years. For example in Jangal Mahal, there was no improvement regarding roads, education, health infrastructure. They were not getting any job. But with the help of present Government and hon. Chief Minister Mamata Banerjee, the situation has changed and the situation of the Jangal Mahal has become quite and calm.

Sir, I am hopeful that the tribals of Medara of Karanataka would definitely derive benefit out of such a law. I would also request hon. Minister to include all the tribals who were not listed under this constitution should be included. We attained Independence. We made rapid strides in every conceivable field. But a lot requires to be done for the improvement of the tribal people. I support this Bill.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सभापति जी, इस लाँग पैन्डिंग इश्यू को मंत्री जी ने इस मंत्रालय में आने के बाद टेकअप किया है, इससे पता चलता है कि मंत्री जी आदिवासियों के बारे में बहुत सोचते हैं। इतने पैन्डिंग इश्यूज़ होने के बाद भी इतने शॉर्ट पीरियड में इस इश्यू को टेकअप किया है, इसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इनको मंत्री रहते हुए अगले दो सालों आदिवासियों के लिए, मुख्यतः आंध्र प्रदेश में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमसे ज्यादा जानकारी मंत्री जी को है। आदिवासियों को प्रोटैक्ट करने के लिए बहुत आगे आने की ज़रूरत है। अभी रीसैन्टली आपको मालूम है कि आंध्र प्रदेश में कांस्टीट्यूशन में 5^{th} शैड्यूल के अनुसार they are having some rights. Apart from that 1/70 एक्ट के अनुसार भी उन लोगों को काफी राइट्स दिये हैं। इन सब राइट्स को देने के बाद भी बैक़डोर से आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट माइनिंग प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं जहाँ एस.टीज़ का राइट है। उसमें 1/70 एक्ट है, उसमें 5^{th} शैड्यल के अनुसार उसको किसी को भी नहीं देना चाहिए। उसमें उन लोगों का राइट है। वहाँ बॉक्साइट माइनिंग पूरा प्राइवेट लोगों को दिया है। उसी तरीके से हमारी

कांस्टीट्यूएंसी में बयाराम आइरन ओर माइन ने भी दिया है। मैं मंत्री जो को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि बॉक्साइट और आइरन ओर जितना भी ट्राइबल एरियाज़ में हैं, उन लोगों के अधिकार के अनुसार फर्स्ट राइट उन लोगों को ही मिलना चाहिए। सरकार को इस मामले को टेकअप करना चाहिए कि इसको बैकडोर से गवर्नमैंट प्राइवेट लोगों को दे रही है। हमारे खम्मम जिले में 1,46,000 एकड़ की माइन्स एक प्राइवेट आदमी को दी हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है। इस तरह से ट्राइबल एरियाज़ में नैचुरल मिनिरल्स की लूट करने के लिए जो हो रहा है, उस पर आपके भी काफी स्टेटमैंट्स हैं, You are also opposing. But, you are in the Government. At the same time, you are the Minister. आप इसको अपोज़ करने के बजाय कैन्सैल करवा दीजिए, This is my request. इसके अलावा जो-जो भी एस.टीज़ अपनी ज़मीन में खेती या किसानी करते हैं, उसके लिए पोड़ भूमि आंध्र प्रदेश में बोलते हैं, उसके लिए किसानों को पट्टा देना चाहिए। किसानों को पट्टा देने के लिए हम मंत्री जी को आपके माध्यम से रिक्वैस्ट करना चाहते हैं कि जितना भी आंध्र प्रदेश में शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ को पट्टे नहीं मिले हैं, पट्टे देने के लिए रिक्वैस्ट करें। मैं आखिर में मंत्री जी को यह रिक्वैस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी कांस्टीट्यूएंसी में बहुत से एस.टीज़ हैं। वहाँ माइनिंग यूनिवर्सिटी के लिए पहले भी डिमांड थी। हम आपके माध्यम से फिर रिक्वैस्ट करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार खम्मम जिले के सप्तगुढ़म और भद्राचलम में माइनिंग यूनिवर्सिटी दीजिए।

अंत में मैं एक ही रिक्वैस्ट करना चाहता हूँ कि नई कास्ट्स को इनक्लूड करने की वजह से और उन लोगों की पॉपुलेशन इनक्रीज़ होने की वजह से उन लोगों की परसेंटेज कम हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि रिज़र्वेशन में इनका टोटल परसेंटेज भी कम नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ कि मंत्री जी इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। यही कहते हुए मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूँ।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अनुसूचित जनजाति की सूची में एक छोटे से संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि कर्नाटक की एक जाति है 'मेदारा' और उसके नाम को लेकर यह बिल है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, लेकिन इसी अवसर पर यह कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 16 जातियाँ हैं जिनको हमारी पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जनजाति में लाने का प्रस्ताव लाया था। उन 16 जातियों में मल्लाह, बिन्द, निषाद्, चौहान, लुनिया, इस प्रकार से 16 जातियाँ थीं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक गोंड़ जाति है। सोनभद्र में उसको अनुसूचित जनजाति में डाल दिया गया है।

अनुसूचित जनजाति का उत्तर प्रदेश विधान सभा में कोई आरक्षण नहीं है। विजय सिंह गौड़ नौ बार एमएलए रहे हैं और इस बार उनका पर्चा निरस्त हो गया। अनुसूचित जनजाति की बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में थी और खास तौर से सोनभद्र में। यही हालत अनुसूचित जनजाति में सोनभद्र गौड़, गोण्ड और वहीं मिर्जापुर, बनारस, चंदौली और दूसरे जनपदों में पिछड़ी अनुसूचित जाति में सम्मिलित होती है। अभी उत्तर प्रदेश में एक साल पहले जब ग्राम पंचायतों का चुनाव हुआ था तो बहुत सी जातियां उससे वंचित हो गईं। अनुसूचित जाति से भी उनको निकाल बाहर किया और उनका जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार समाप्त हो गया। इसी प्रकार से बियार जाति है। यह अनुसूचित जाति में नहीं है। इसकी बड़ी संख्या मिर्जापुर, सौनभद्र, इलाहाबाद, बनारस और चंदौली में है। इस जाति की बड़ी संख्या होने के बावजूद भी इसे न तो अनुसूचित जाति में रखा गया और न अनुसूचित जनजाति में और न वह पिछड़ी जाति में है। इस जाति को अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति का सामाजिक लाभ मिलना चाहिए। लेकिन नहीं मिल पा रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र में बियार जाति को अनुसूचित जाति या अनुसचित जनजाति के लिए सर्वे कराकर तय कर लीजिए कि इनमें से किसमें रखना है। इसी प्रकार से गौड़ जाति है। खरवार जाति के लोग अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनाकर जनप्रतिनिधि हो गए। इनको बैकवर्ड का भी सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाता है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि अब मुकद्मेबाजी हो रही है। एक दिक्कत यह हो रही है वे प्रधान बन गए, जिला पंचायत सदस्य भी बन गए, लेकिन अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट हटाकर उनको पिछड़ी जाति में भी घोषित करने का काम किया जा रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जो 16-17 जातियां हैं, जिनमें बिंद, मल्लाह, निषाद, केवर, चौहान, प्रजापति, कुम्हार, बियार और लोहार हैं। इनको अनुसूचित जाति में रखिए। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा था। हमारी सरकार इन जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में रखने के लिए तैयार है। इनका सर्वे कराकर भारत सरकार अनुमति दे और उत्तर प्रदेश की जातियां जो छूट

गई हैं, जिनका कहीं कोई स्थान नहीं है, बेबस-लाचार हैं। जिनको सामाजिक कल्याण विभाग से सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, वे गरीब हैं। उनकी हालत अनुसूचित जनजाति से भी खराब है। उनकी शिक्षा की हालत बदतर है। उनके पास मकान नहीं है। आजीविका का कोई साधन नहीं है। वे कहीं मछली मारते हैं, कहीं मिट्टी का काम करते हैं। ये ऐसी जातियां हैं जिनकी हालत अनुसूचित जाति दलित से भी खराब है। उन पर विचार किया जाए और उनको इन सब में सम्मिलित करते हुए उनका हक और अधिकार दिलाने का काम केन्द्र सरकार करे।

डॉ.संजीव गणेश नाईक (ठाणे) : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में करीब 47 शेडयूल ट्राइब्स की कैटेगिरीज़ हैं। सोनकोली और महादेवकोली जाति फिशरमैन है। महाराष्ट्र में घाट सैक्शन पर यह दोनों जातियां रहती हैं। कोस्टल एरिया में रहने वाली जाति को सोनकोली कहते हैं। लेकिन उनको ट्राइबल का सर्टिफिकेट प्राप्त करने में बहुत दिक्कत आ रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह केस चल रहा है।

मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि सोनकोली ही महादेव कोली है, ये ही फिशरमैन हैं और घाटमाथा से नीचे उतरे हैं। सोनकोली को अभी तक ट्राइबल में शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ठाणे और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। मेरी यही मांग है कि सोनकोली को ट्राइबल कम्यूनिटी में शामिल किया जाए ताकि उनकी आने वाली जनरेशन को फायदा हो सके।

SHRI HASSAN KHAN (LADAKH): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Constitution (Amendment) Bill, 2011 in respect of inclusion of a particular community in Karnataka, and also congratulate the hon. Minister for trying to redress the outstanding demand of the people in respect of inclusion in Scheduled Tribes.

16.00hrs

At the same time, my submission to the hon. Minister is that in respect of other States also, he must consider inclusion of various communities who have been left out. For instance, from Jammu and Kashmir, the State Government has recommended two cases – one pertaining to the Pahari speaking people of Jammu and second, the Urgon community of Ladakh. In this connection, delegations have also met the hon. Minister very recently, as also the Prime Minister and the UPA Chairperson. My submission is that in future, he must also try to include those communities who have been left out in the previous orders. If necessary, he also can get surveys conducted through the Registrar-General of Census in case of technical aspects of those communities. But we are hopeful that in future, he will consider those cases also and try to bring amendments in the House as soon as possible.

16.0½ hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193

Steps taken to protect the river Ganga from pollution and the Himalayas from the ruthless exploitation

16.01 hrs (Madam Speaker *in the Chair*)

MADAM SPEAKER: Let us now take up discussion under Rule 193 on River Ganga. Kunwar Rewati Raman Singh.

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपकी बड़ी कृपा है कि आपने दोबारा इस पर चर्चा लगवायी है। माननीय मंत्री जी यहां हैं। हमने प्रणब दादा, जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे बात की थी। लेकिन, इत्तेफाक़ से उन्हें कहीं जरूरी काम से जाना पड़ा तो आज वह रह नहीं पाएंगे। आपसे एक आग्रह है कि इसमें बहुत-से मेम्बर, चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, सभी इस पर बोलना चाहते हैं। ...(व्यवधान) मान्यवर, आपसे इस पर मेरा एक विनम्र निवेदन है कि इसको आप खत्म न कीजिएगा। कल प्रणब दादा आ जाएंगे। कल सभी मेम्बर बोल लें तब इसे समाप्त करें, यह मैं चाहता हूं। यह बहुत ही अहम है। ...(व्यवधान) मान्यवर, यह आपका भी सवाल है, यह मैं जानता हूं। अभी मैं आपकी कविता भी पढ़ूंगा।

माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर माननीय मंत्री जी बैठी हैं। ये बेचारी अपने को बड़ा असहाय महसूस करती हैं। उनसे जब मैं कहता हूं कि इन बांधों को रोकिए तो वे कहती हैं कि मैं क्या करूं, प्रदेश सरकार हमारी बात ही नहीं मान रही है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : वह आपके प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं ...(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह : आप यहां पर्यावरण मंत्री हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): वह हमारे राज्य में नहीं है, वह उत्तराखण्ड में है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्लीज, अभी बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : यह दूसरे प्रदेश का मामला है। ...(व्यवधान)

श्रीमती जयंती नटराजन : मैं इसे अभी पढ़ती हूं।

श्री रेवती रमण सिंह : आप इसे न पढ़ें। आप इसकी लीपापोती न करिए, आपसे मेरी प्रार्थना है।

श्रीमती जयंती नटराजन : आप मेरे बारे में मत बोलिए, गंगा नदी के बारे में बोलिए।

श्री रेवती रमण सिंह : मैं गंगा नदी के बारे में ही बोल रहा हूं। जब आप गंगा नदी को रहने देंगी तब ही तो बोलूंगा, लेकिन जब आप गंगा को समाप्त कर देंगी तो मैं क्या बोलूंगा? एक बार इस पर चर्चा हो चुकी है। आपने जो जवाब दिया है, मैं उसका भी उल्लेख करूंगा।

माननीय अध्यक्ष जी, गंगा नदी मात्र एक नदी नहीं है, हिमालय एक पहाड़ नहीं है, बल्कि यह हमारी सभ्यता-संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, उसके अनुसार गंगा का उद्भव शिव जी की जटा से हुआ। भागीरथ ने कई हजार साल तपस्या कर शिव जी की जटा से उसे निकाल कर धरती पर अवतरित करने का काम किया था। पूरा हिमालय कच्चा पहाड़ है। कच्चे पहाड़ में कोई भी निर्माण कार्य ईको जोन में आता है। अगर कभी भी भूकम्प आया तो पूरे उत्तर भारत का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन, इसमें आप कहती हैं कि मैं क्या करूं और अभी आप कह रही हैं कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का लेटर पढ़ दूंगी। मैं वह लेटर लेकर क्या करूंगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गंगा बचनी चाहिए हिमालय बचना चाहिए, अगर यह हिमालय और गंगा नहीं बची तो हमारा देश भी नहीं बचेगा, यह बात मैं पूरे सदन से कहना चाहता हूं।

चाहे मुगल काल रहा हो, चाहे मुस्लिम काल रहा हो, चाहे अंग्रेजों का काल रहा हो, किसी ने गंगा से छेड़छाड़ नहीं की, जो आज की यहां की सरकार और उत्तराखंड की चाहे भाजपा की सरकार रही हो या अब कांग्रेस की सरकार है, वह बिजली के लिए हमारी सभ्यता को विनष्ट करना चाहती हैं। यह मेरी समझ से बाहर की बात है। आईने अकबरी में अकबर ने अपने सभासदों से पूछा कि यह बताओ कि सबसे ज्यादा अच्छा पानी कहां का है तो एक सभासद ने खड़े होकर कहा कि पानी सबसे शुद्ध और अच्छा पानी गंगा का है तो उन्होंने कहा, यह मैं आईने अकबरी से कोट कर रहा हूं: "अकबर ने कहा-मैंने पानी की बात की थी, गंगाजल पानी नहीं, वह तो अमृत है।" यह अकबर की बात मैं बता रहा हूं। अकबर का पूरा खाना, उसका पूरा भोजन गंगाजल से बनता था और वह गंगाजल पीता भी था। एक मुसलमान भी गंगा का इतना अनन्य भक्त था, लेकिन इसको राष्ट्रीय नदी इन लोगों ने घोषित कर दिया। उसमें से तीन सदस्यों ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन राष्ट्रीय नदी किस बात की, उसको प्राधिकरण बनाकर पेपर टाइगर आपने बना दिया और उसे कोई पावर नहीं है। It is only a paper tiger. वह कागज का शेर है और उस शेर को आपने बनाकर खड़ा कर दिया और कहा कि गंगा का इतना बड़ा काम हमने कर दिया, जो आज तक किसी ने

नहीं किया। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह भीषण समस्या है, जो पूरे देश से जुड़ी हुई है और इसका अगर निदान तत्काल नहीं किया गया तो It will be too late. फिर कुछ करने से भी यह गंगा नहीं बचेगी। गंगा का अस्तित्व ही खतरे में है। आप बार-बार कहते हैं कि गंगा को निर्मल करना है। मैं कह रहा हूं कि आप उसको निर्मूल ही कर दे रही हो, बजाय निर्मल करने के, जब गंगा रहेगी, तब तो आप उसको निर्मल बनाओगी, जब गंगा रहेगी ही नहीं तो आप किस चीज़ को निर्मल बनाने का काम करेंगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपकी अनुज्ञा से पिछले सत्र में मैंने इसको उठाया था और मुझे उम्मीद थी कि इसका कोई हल निकलेगा। आज आप देख लीजिए कि इसमें कितने माननीय सदस्य पूरे सदन के, चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों, बोलना चाहते हैं और इसलिए बोलना चाहते हैं कि गंगा का जब से उद्भव हुआ है, जीवन से लेकर मरण तक हमारी गंगा हमसे जुड़ी हुई है। जो हिन्दू लोग हैं और यहां तक कि मैं जानता हूं कि मुसलमान लोग भी गंगा को भले पूजते नहीं हों, लेकिन गंगा का आदर करते हैं।

गंगोत्री से गंगा निकलकर नीचे मनेरी भाली बांध बना दिया गया। मनेरी भाली बांध नं. 1 और मनेरी भाली बांध नं. 2 और गंगा को सुरंगों में बहा दिया गया। एक बात अभी मैं बाद में कहूंगा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल हुई थी कि मैं उत्तर प्रदेश का सिंचाई और पर्यावरण मंत्री था। मेनका जी यहां नहीं हैं, मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा। वे भारत की पर्यावरण मंत्री थीं, 10 घंटे मीटिंग चली, वे उसकी परमीशन नहीं दे रही थीं, मैंने बहुत समझा-बुझाकर उनसे उसकी परमीशन दिलवाई, लेकिन टिहरी हमको भरमा कर, हमको सही तथ्य नहीं बताकर टिहरी बांध का निर्माण कराया गया। यह कहा गया कि वहां चौबीस सौ मेगावॉट बिजली पैदा होगी और एक लाख 67 हजार हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचित होगी। मान्यवर, एक इंच न जमीन सिंचित हुयी और मात्र चार सौ मेगावॉट बिजली भी वहां नहीं बन रही है। टेहरी झील इतनी बड़ी झील बनायी गयी, मुझे मदन मोहन मालवीय जी की याद आती है, जिन्होंने कहा था कि अगर हम हिमालय के पहाड़ पर इस तरह के बांधों के निर्माण का काम करेंगे, तो पूरा का पूरा उत्तर भारत तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कभी अगर भूकंप आएगा तो पूरी की पूरी जितनी आबादी इन प्रदेशों की है, यह समाप्त हो जाएगी।

मान्यवर, अगर आप आगे चलें तो देखेंगे तो हिमालय में ही 115 किलोमीटर गंगा नजर नहीं आती है, अगर आप देखें तो पूरा सूखा है, गंगा वहां कहीं बहती ही नहीं है, 115 किलोमीटर तक सब सुरंगों में डाल दी गयी है। जब 46 किलोमीटर पर पहुंचिए तो वहा पर टेहरी बांध बना दिया गया है। टेहरी बांध सुरंगों के द्वारा झील में परिवर्तित कर दिया गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि जो गाज आते थे, जो औषधीय गुण का पानी आता था, वह सब झील में कैद हो गया और जहां उन पहाड़ों में, टेहरी में कभी

मच्छर नहीं लगते थे, कहीं इस तरह का प्रदूषण नहीं था, अब पूरी की पूरी झील प्रदूषित हो गयी और पूरे पहाड़ में आज मच्छर ही मच्छर दिखायी पड़ते हैं। सड़ने की वजह से उस झील में दुर्गंध आती है, गांव वाले भी वहां रहना पसंद नहीं करते हैं।

मान्यवर, जब टेहरी डैम बना तो यह कहा गया कि यहां के विस्थापितों को तत्काल हम लोग बसायेंगे, आज यह नतीजा है कि वहां अस्सी हजार विस्थापित अभी भी हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश भी किया है कि उनको तत्काल बसाया जाए। लेकिन उत्तराखंड की चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे अभी कांग्रेस की सरकार जो बनी है, किसी ने उनको बसाने का काम नहीं किया। टेहरी एक विकसित जिला था। आज हिंदुस्तान में टेहरी में बीपीएल कार्ड सबसे ज्यादा बने हुए हैं, क्योंकि वहां गरीबी हो गयी, भुखमरी हो गयी। वहां लोगों को अगर तहसील हेडक्वार्टर जाना होता है, तो उनको बीस किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन लोगों ने एक शब्द निकाला है, रन ऑफ दी रिवर, एक अंग्रेजी भाषा का शब्द ईजाद किया है, रन ऑफ दी रिवर। सुरंगों में से नदी को, गंगा को निकाला है, हम पानी तो बहा ही रहे हैं, लेकिन वह पानी किस काम का है? वह गंगा का पानी नहीं रह गया है, न उसमें औषधीय गुण हैं। गंगा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चालीस किलोमीटर बहने के बाद गंगा स्वतः अपने को शुद्ध कर लेती है। पूरी दुनिया में एक ऐसी नदी गंगा है, जिसका पानी सालों साल खराब नहीं होता, अगर आप उसे बोतल में रखें। गीते जी मुंबई ले गए होंगे, उन्होंने इसे रखा होगा। ...(व्यवधान) शरद जी, आप भी बोलिएगा, कुछ आपके बोलने के लिए भी छोड़ रहे हैं। गंगा के पानी को बोतल में ले जाइए, वह सालों साल खराब नहीं होता है।

मान्यवर, अगर आप गंगा को देखें तो हिमालय में कहीं गंगा दिखायी नहीं पड़ेगी। आपको सुरंग दिखाई पड़ेगी। सुरंग भी ऐसी बना दी हैं कि जिससे उन सुरंग का निर्माण किया गया है, वह ईंटा, पत्थर और कंकड़ सब वहीं पड़ा हुआ है। वे बहते रहते हैं। जब बरसात का पानी आता है, तो वहीं ईंटा, पत्थर, कंकड़ बहकर आते हैं। गंगा इसलिए शुद्ध मानी जाती थी। आज जहां से गंगा का प्रवाह है, वहां के लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। उनको अगर एक बूंद पानी अंतिम संस्कार के लिए भी चाहिए, तो उस पानी के लिए भी उनको अर्जी देनी पड़ती है। अर्जी देने के बाद जब एसडीएम परमीशन देता है, तो वहां से पानी छोड़ा जाता है, तब उनका अंतिम संस्कार हो पाता है। वहां पर इस समय साढ़े तीन सौ सुरंग बन रही हैं। साढ़े तीन सौ बांध और सुरंगों का निर्माण हो रहा है। अगर यह काम बदस्तुर चलता रहेगा तो मैं आखिरी बार इसे लोक सभा में उठा रहा हूं। हम इसके लिए इलाहाबाद से, प्रयाग से आंदोलन प्रारंभ करेंगे और पूरे उत्तर भारत में इस सरकार के खिलाफ और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा

किया जाएगा। अब यह बर्दाश्त के बाहर हो गया है। आप गंगा को मनचाहे ढंग से ट्रीटमेंट कर उसको समाप्त करने का काम करें। उसे बांधों में कैद कर दें उसे सुरंगों में कैद कर दें। अब यह नहीं होने दिया जाएगा।

मान्यवर, पिछली बार मंत्री जी ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि हमने इन विनाशकारी बांधों के बारे में सर्वे करवाया है। आईआईटी, रूड़की से सर्वे करवाया है। आईआईटी रूड़की क्या काम करता है? यह मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा और पूरे सदन को भी बताना चाहूंगा कि आईआईटी रूड़की के एचईसी (हाइड्रो एनर्जी सेन्टर) की संस्थान का हवाला देते हुए मंत्री जी ने पल्ला झाड़ लिया। हमने जब उस रिपोर्ट को पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि यह संस्था क्या काम करती है? यह बांध निर्माण करने का काम करती है। यह बांध बनवाने का काम करती है उसकी गुणवत्ता को नहीं देखती है जो फौना और फलौरा है, जो जीव-जन्तु हैं, वहां जो पेड़-पौधे हैं उनके बारे में वह कुछ नहीं करती है वह बांध निर्माण का ही काम करवाती है। यही मंत्री जी ने हमको जवाब दिया था कि हमने वहां से जांच करा ली है। इस संस्था की विशेषता है बांध को बनाना और पर्यावरण के दुष्प्रभाव को न देखना। इनकी उसमें महारत हासिल है।

मान्यवर मैं सदन से यह भी कहना चाहूंगा कि इस पूरे षड़यंत्र में विदेशी हाथ हैं। विदेश के लोग यह चाहते हैं कि हमारा हिमालय समाप्त हो जाए। हमारी गंगा समाप्त हो जाए और पचास करोड़ लोगों की जीविका समाप्त हो जाए। उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश से बंगाल की खाड़ी तक पूरा का पूरा जो गेहूं का कटोरा है, आज जो हम को अन्न खिलाता है वह कटोरा ही समाप्त हो जाएगा। अगर गंगा के साथ यही होता रहा तो लोग भूखे मरने लगेंगे और पूरा उत्तर भारत रेगिस्तान में तबदील हो जाएगा ।

मान्यवर, यहां पर अभी गंगा प्राधिकरण की मीटिंग हुई लेकिन नतीजा जीरो हुआ। बिना नतीजे के वह मीटिंग खत्म हो गई। आईआईटी के एक प्रोफेसर जे. डी अग्रवाल जिन्होंने सन्यास ले लिया, जब उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था तो एम्स में कैद कर के रखा गया था, उन्हें हाउस अरेस्ट कर के रखा गया था। ...(व्यवधान) उन्होंने प्रधान मंत्री के कहने पर अन्न तो छोड़ रखा है लेकिन जल ग्रहण कर लिया। बनारस में साधु संत 17 अप्रैल से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उसमें बच्चे और महिलाएं भी भूख हड़ताल कर रहे हैं लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अभी भी सरकार उस पर गंभीरता से संज्ञान नहीं ले रही है। मेरी मांग है कि प्रधानमंत्री जी यहां स्वयं आएं, हमने प्रणब दादा से मांग की थी कि वह आ कर यहां पर स्वयं जवाब दें। उन्होंने कहा कि मैं इंटरविन करूंगा लेकिन उन्हें किसी जरूरी काम से जाना पड़ा।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड में हिमालय की सहयोगी नदियां भी हैं, जैसे मंदाकिनी, अलखनंदा, काली धौली, यमुना इन सब पर बदस्तुर बांध का निर्माण जारी है। एक तरफ तो आपने कह दिया कि 135 किलोमीटर भगीरथी पर इको जोन डिक्लेयर कर दिया है। वहां पर कोई निर्माण नहीं होगा

और वहीं बगल में जो गंगा की सहायक नदियां हैं उन नदियों पर आप बांध का निर्माण जोरों से करते चले जा रहे हैं।यह सरकार गंगा को क्यों समाप्त करने पर तुली हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार आदि जितने प्रदेश गंगा पर आश्रित हैं, लगभग 50 करोड़ आबादी इससे प्रभावित होने जा रही है।...(व्यवधान) मेरी मांग है कि हिमालय में एक हिमालयी आयोग बनाया जाए। उसमें संसद सदस्य, साइंटिस्ट्स, पर्यावरणविद आदि सब रहें और उनकी परमिशन के बिना वहां कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। हिमालय की घाटियों में मात्र 20-22 लाख की जनसंख्या है, इससे ज्यादा नहीं है। वहां संसाधन व्यापक हैं और जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम है। जल, जंगल और प्राकृतिक उपहार से भरी हुई धरती है। उसी धरती को केन्द्र और प्रदेश सरकार समाप्त करने पर तुली हुई है। इनका कहना है कि हमें बिजली चाहिए। बिजली at what cost? अगर आप टोटल कर लें, इनके सब बांध बन जाएं, तो वहां one percent of the total Indian production बिजली पैदा होगी। मैंने प्रणब दादा से कहा था कि आप सदन में पास करवा लीजिए कि सैंट्रल पूल से एक प्रतिशत बिजली उत्तराखंड सरकार को दे दी जाए और बांधों का निर्माण बंद करवा दिया जाए। आप एक प्रतिशत बिजली के लिए गंगा, हिमालय को समाप्त करना चाहते हैं। यह कदापि नहीं होने दिया जाएगा। हरीश रावत जी यहां बैठे हुए हैं। ये उत्तराखंड के हैं। ...(व्यवधान) सतपाल जी उसके पोषक हैं। ये अपनी कथा में दूसरी बात कहते हैं और यहां दूसरी बात कहते हैं।...(व्यवधान)

मैं कहना चाहूंगा कि पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत गंगा बेसिन प्राधिकरण बना हुआ है। लेकिन उसके पत्र व्यवहार करने का पता स्पष्ट नहीं है कि कहां लिखा जाए, किसे लिखा जाए। इनका दफ्तर कहां है, टेलीफोन नम्बर क्या है, वह आम जनता को मालूम नहीं है। वह न नैट पर है और न कोई ई मेल है।

अध्यक्ष महोदया, आपकी एक कविता भी है। मैं उसे इलाहाबाद लेकर चला गया था। मैंने मंगवाई थी लेकिन अभी मिली नहीं है। उसका नाम है - गंगा उदास है। उसमें आपने लिखा है कि हमारे जीवन से मरण तक हमारा मल-मूत्र धोने वाली गंगा आज उदास है। वह गंगा जो कभी निर्मल थी, अविरल थी, आज उस गंगा का स्वरूप ही बदल गया है। आज वह गंगा मैली हो गई है। बहुत पहले एक फिल्म आई थी। जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं। गंगा मैली हो गई है, उसमें यह भी था।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सब क्यों बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह : एक आदमी ने एक मुर्गी पाल रखी थी जो सोने का अंडा देती थी। उस आदमी ने सोचा कि इस मुर्गी को मार डालो और एक बार में ही सोने के अंडे निकाल लो। यह सरकार भी वही कर रही है। गंगा जो पूरे देश को पानी दे रही है, जीवन दे रही है, उसी को समाप्त कर दो और देश को समाप्त

कर दो। मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। How to kill a river? यह एक प्रोफेसर ने लिखा है। अगर आपकी इजाजत हो, तो मैं उसे पढ़ दूं, क्योंकि यह अंग्रेजी में है। वैसे तो यह रिपोर्ट बड़ी है, लेकिन आपकी आज्ञा हो, अनुज्ञा हो, तो मैं इसकी चार लाइन पढ़ना चाहूंगा। ... (व्यवधान) इनका नाम श्री प्रसन्ना मोहंती है। इसमें इन्होंने लिखा है--

It says: "The first ever Cumulative Impact Assessment (CIA) study of hydro-power projects being built on Bhagirathi and Alakananda, two tributaries of the Ganga, has come as a big disappointment. Carried out by the Alternate Hydro Energy Centre, AHEC, of IIT, Roorkee, which submitted its Report to the Ministry of Environment and Forests, MoEF recently, the study ignores – which I mentioned earlier – the very *raison d'etre* of its endeavour – assess cumulative impact of 70 hydro power projects, HPs, commissioned or in various stages of development (three of which were scrapped last year by her predecessor Shri Jairam Ramesh)."

He further writes: "Ecosystems and human habitations along the rivers will be finished. Of the seventy, 54 are 'Run of the River (ROR)' and the rest are storage-based dams. इसी तरह यह लंबी रिपोर्ट है। जैसा मैंने कहा कि आपने रुड़की से जो रिपोर्ट ली थी, वह रिपोर्ट बकवास है। वह डैम बनाने वाली संस्था है। उसे न तो इको जोन का पता है, न हमारे पर्यावरण का कुछ पता है और न ही उसे गंगा से कुछ लेना-देना है। वह डैम बनाना चाहती है और वही रिपोर्ट देती रहती है।

इसी के साथ-साथ 34 डैम्स और बनाये जा रहे हैं। यह ग्रीन पैनल की रिपोर्ट है।

A Report commissioned by the Government recommended that 34 dams on the Alakananda and Bhagirathi rivers – the two main tributaries of the Ganga -- should not be allowed to come up as they will cause irrevocable harm to the bio-diversity. उत्तराखंड का भी विनाश होगा, जहां से हमारे सतपाल महाराज जी आते हैं। लेकिन आज तो इन्होंने चोला ही बदल रखा है, पता नहीं कौन सा साफा पहन रखा है। ...(व्यवधान) जब सनातम धर्म का पालन करें और वही व्याख्या करें तब तो ठीक है। मैं 'अमर उजाला' का 3.4.10 का एक उद्धरण आपकी अनुज्ञा से पढ़ना चाहूंगा। कैट ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, कैट ने चिंता जतायी है कि अलकनंदा और भागीरथी पर जितनी योजनाएं प्रस्तावित हैं, उनमें सिल्ट रोके जाने से दूरगामी परिणाम यूपी व बिहार की

कृषि पर पड़ेगा। लेकिन इनको समझ में नहीं आता कि वह जो सिल्ट लेकर आती है, उसी से हमारी उपजाऊ जमीन और फर्टाइल होती है। लेकिन इनको किसी की रिपोर्ट से क्या मतलब है। क्या यह उसे मानेंगे? इनको किसी से लेना-देना नहीं है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में सवाल उठाया गया था कि गंगोत्री से देवप्रयाग नदी के 160 किलोमीटर तक 30 प्रोजैक्ट बने हुए हैं। अलकनंदा और भागीरथी पर स्वीकृत 53 परियोजनाओं के निर्माण के बाद आशंका जतायी जा रही है कि इससे नदियों का अस्तित्व भी समाप्त हो जायेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं या कोई सांसद नहीं कह रहा है। यह कैट की रिपोर्ट है।

मैं एक कविता पढ़ दूं, फिर अपनी बात समाप्त करता हूं:

"बहुत उदास है बहती है गंगा। न रहे रैदास, न रही कठौती में गंगा,
न ही रही फकीरी, वह समर्पण, कहां किसका मन है अब गंगा। बहुत उदास है बहती है गंगा।
सहस्रों दिये तैरा दिए हर शाम मां के नाम, तैराए जिसने पत्थर के शालीग्राम।
शायद उसी की सोच में बहुत उदास है बहती है गंगा।
शब्द बेमानी, आरती में मृदु स्वर नहीं, शोर है, पतित पावनी को घेरे मलिनता घोर है।
समेटे यह कलुष तेरा मेरा, बहुत उदास बहती है गंगा।
कर सकूं तेरी आरती, इस लायक कर दे। मां प्राणों के बीहड़ में वसंत के रंग भर दे।
मां उंगली थामे रख, मेले में मत छोड़ अकेले, मेरे संग आ मां गंगा,
मेरे संग हो मेरी मां गंगा।"

आपके नाम से है यह। इसे मैं सदन को समर्पित करता हूं। इसी के साथ मैं एक-दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि मैं अन्य माननीय सदस्यों के विचारों को भी सुनना चाहता हूं।...(व्यवधान) यह चर्चा आज चल रही है और मैंने आग्रह किया है कि इसे कल भी चलाया जाए।

महोदया, हिन्दुस्तान में 9 फरवरी, 2010 को छपा है - "मायके में ही सूख गयी भागीरथी की जलधारा"। जहां से भागीरथी निकलती है, वहीं इन लोगों ने इसे समाप्त कर दिया। जैसे आजकल चला हुआ है लड़कियों की भ्रूण हत्या, वैसे ही जहां से मां भागीरथी निकलती हैं, वहीं इन्होंने उसको समाप्त करने का काम किया। मैं इसे थोड़ा पढ़ देता हूं :

"मनेरी से तिलौह और जोशियाड़ा से धरासू तक सूखा प्रवाह। मनेरीभाली पहले और दूसरे चरण की परियोजना के निर्माण से 44 किलोमीटर लम्बे क्षेत्र में भागीरथी सूख गयी है। इससे गंगा के दर्शन और स्नान के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालु निराश होकर लौट रहे हैं। इस बार जाड़ों में वर्षा न होने से भागीरथी में नाम मात्र का पानी रह गया। बचा हुआ पानी परियोजनाओं की सुरंग में डाल दिया गया। 90 मेगवाट की मनेरीभाली-प्रथम और 304 मेगावाट की मनेरीभाली-द्वितीय चरण की बिजली परियोजनाओं के लिए उत्तरकाशी में भागीरथी के प्रवाह को सुरंगों में डाल दिया गया। हालांकि गंगा बेसिन अथारिटी ने भागीरथी नदी की घाटी और नदी से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए निर्धारित मात्रा में पानी छोड़ने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसका भी पालन नहीं हुआ है।"

मैं पूरी रिपोर्ट न पढ़कर कहना चाहता हूं कि मैं प्रयाग से आता हूं। प्रयाग में कभी गंगा का जल प्रवाह कल-कल करके बहता था और एक अद्भुत दृश्य वहां पर था। शायद दुनिया में किसी नदी में ऐसा न हो, गंगा एक सफेद, धवल और यमुना ब्लू कलर, काली दिखती थी, दोनों नदियों का संगम वहां होता था, लेकिन आज वहां के लोगों ने उसको नाले में तब्दील कर दिया, वहां पानी ही नहीं रह गया है। कई बार साधु-सन्तों ने कुम्भ मेले में, अर्ध-कुम्भ मेले में इसे कहा। अभी वर्ष 2012 के दिसंबर से जनवरी, 2013 तक वहां कुम्भ मेला लगने जा रहा है। मैं इलाहाबाद का सांसद होने के नाते उसकी अगुवाई करूंगा और कोई साधु-सन्त, कोई आदमी गंगा में स्नान नहीं करेगा, जब तक गंगा में पानी नहीं आएगा। ...(व्यवधान) ये बांध तोड़े जाएं। मैं एक रिपोर्ट और पढ़ना चाहता हूं - "अफसरों की दया पर अत्येष्टि के लिए पानी" ...(व्यवधान) जितने बांध बन रहे हैं, उनको तोड़ा जाए।...(व्यवधान) रिहन्द बांध वहां नही है।...(व्यवधान) अक्टूबर से अप्रैल तक नदी में जलस्तर कम रहता है, लिहाजा विद्युत उत्पादन भी प्रभावित होता है।

महोदया, एक सपना दिखाया गया था हाइड्रोपावर बहुत अच्छी पावर है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। टिहरी डैम के बारे में कहा गया था कि 2400 मेगावाट बिजली बनेगी, लेकिन आज 400 मेगावाट बिजली भी नहीं मिल रही है। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां वास्तव में 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है? शरद जी ने बताया कि वहां केवल 327 मेगावाट ही बिजली पैदा रही है और हमें 2400 मेगावाट का सपना दिखाया गया था।

मैं सदन में मेनका गांधी जी से क्षमा मांगना चाहूंगा, क्योंकि उसका दोषी मैं भी हूं। जब वह पर्यावरण मंत्री थीं, मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा कि उस समय दस घंटे तक वह इस बात को नहीं मानी थीं और मैंने बहुत अनुनय-विनय करके इसकी मंजूरी उनसे ली थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये लोग हमें ही धोखे में डाल रहे हैं।

गंगा के कोने-कोने में औषधियां हैं। गंगा केवल नदी नहीं है कि जो बही चली जा रही है। जब उस औषधि को ही लोग नष्ट करने में लगे हुए हैं, तो फिर क्या किया जा सकता है। भगीरथी में रेडियोधर्मी कणों को टिहरी बांध रोक रहा है। गंगाजल का पानी जो होता है, वह कमाल का पानी होता है, लेकिन हम उन्हीं कणों को समाप्त कर रहे हैं और नाम दे रहे हैं 'रन ऑफ दि रिवर'। जब गंगा उन औषधियों को लेकर नहीं बहेगी, गाद को नहीं लेकर बहेगी तो वह केवल और नदियों की तरह एक नदी ही कहलाएगी।

मैं इस सदन में अंतिम बार यह सवाल उठा रहा हूं। इस सवाल को फिर नहीं उठाऊंगा, जन आंदोलन करके ही हम इसका निदान करें।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): अध्यक्ष महोदया, कुंवर रेवती रमन सिंह और प्रबोध पांडा जी ने नियम 193 के तहत 'गंगा नदी को प्रदूषण से तथा हिमालय को निर्मम दोहन से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा' विषय पर हम यहां बहस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सभी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि इस सदन में बहुत से सदस्य गंगा के परम भक्त हैं और बहुत से सदस्य गंगा के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखते हैं। वैसे भी हमारे महाभारत में भीष्म का एक नाम गंगा पुत्र भी था।

गंगा के साथ बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है, भारत की आत्मा जुड़ी हुई है। निश्चित रूप में जो हमारे माननीय सदस्य हैं, वे इसे लेकर चिंतित हैं और उनकी चिंता उचित भी है कि गंगा प्रदूषित हो रही है। हिमालय पृथ्वी का मानदंड है, वह पृथ्वी का नाभि केन्द्र है, हमारा सरताज है। उसका निर्मम दोहन हो रहा है। वास्तव में यह चिंता का विषय है।

मैं पहले सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे एक बार जरूर हिमालय यात्रा करें और गंगा को करीब से देखें। उन्हें जो स्थिति वहां गंगा की देखने को मिलेगी, आपके सामने बहती हुई गंगा दिखेगी, इसके अलावा जो भी पावर प्रोजेक्ट्स वहां लगाए गए हैं, क्यों लगाए गए हैं, उस चीज का उन्हें पता चलेगा और उनका ज्ञानवर्धन होगा। आज गंगा घाटी कटते-कटते नीचे की ओर जा रही है। उत्तराखंड के अंदर और उससे बाहर जो गंगा की स्थिति देखने को मिलती है, और वह कैसे बनी, इसके बारे में भी हमारे सदस्यों का ज्ञानवर्धन होगा।

मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर जब ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ी, तो सोचा गया कि हम कोयले और क्रूड ऑयल से ऊर्जा बनाएंगे और वह बनती थी। फिर यह माना गया कि कोयला और ईंधन ऐसी चीजें हैं, जिन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते, अर्थात् हजारों वर्ष धरती में दबने के बाद यह ईंधन तैयार होता है। हजारों वर्ष में कोयला तैयार होता है। इसे अगर हम खर्च करते जाएंगे तो इसे हम दुबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कुछ देशों ने सोचा कि हम न्यूक्लीयर एनर्जी बनाएंगे, उसका भी उपयोग किया गया। आइसलैंड के अंदर जो गर्म पानी का स्रोता है जिसे डायजर हम बोलते हैं, होट-वाटर-स्प्रिंग का उपयोग किया गया। वहां बिजली बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। हमारे देश के अंदर पानी को रोक करके टर्बाइन को चलाएं, उसे स्पंदित करें, उस तकनीक को यहां सोचा गया।

कुंवर रेवती रमन जी जिस बांध के बारे में कह रहे हैं, उसी टिहरी बांध के बारे में इन्होंने स्वीकृतियां दीं और यह उस तकनीक से बना। उसके बाद यह चिंतन हुआ कि पहाड़ों में भूकम्प आते रहते हैं, यह कंटिनेंटल शिफ्ट जो पहाड़ों में होता रहता है उससे ये डेम सेफ नहीं हैं। कुछ लोगों ने भूख हड़ताल

करके लोगों का ध्यान इस ओर खींचा, लोग चिंतित हुए। फिर तय किया गया कि डेम पहाड़ों में नहीं बनेंगे परन्तु रन-ऑफ-द-रिवर बनेंगे।

हिमालय के अंदर बहुत बड़े-बड़े जलाशय हैं। मानसरोवर, राक्षसताल,नौकुचिया ताल, भीमताल, नैनीताल, सहस्त्रताल जैसे बड़े-बड़े ताल हमारे पहाड़ों में हैं। तालों का पानी परकूलेट होकर के हमारे वाटर लेवल को बढ़ाता है। आपने जगह-जगह जो झरने देखें होंगे वे तालों से संबंधित हैं। पहाड़ों में ऐसा नहीं है कि ताल नहीं होते हैं, अनेक ताल होते हैं।

जब ताल बढ़ गये और पानी रुक गया, तो एक जगह अंग्रेज चूहे लाए और चूहों ने उन्हें खोदा और धीरे-धीरे उसका पानी निकला। पहाड़ों में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। यह तय किया गया कि पहाड़ों के अंदर हम कोई बड़ा डेम नहीं बनाएंगे, पहाड़ों के अंदर रन ऑफ द रिवर बनाएंगे। इसका मतलब यह होता है कि जो नदी का स्लोप है, पहाड़ के अंदर सुरंग बनाकर के, उसके पानी को प्रभावित करके, उससे टर्बाइन को चलाएं।

मैं सभी सदस्यों से कहना चाहूंगा कि आप उत्तराखंड में एक बार जाएं और करीब से देखें। यहां कहने की बात नहीं है आज टीवी और मीडिया बहुत पावरफुल है और एक बात कही जाती है कि “ अगर कोई कुत्ता किसी आदमी को काट ले तो कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी कुत्ते को काट ले तो बहुत बड़ी खबर है।” एक खबर बनाई गयी कि साहब टिहरी में पानी रोक दिया गया, गंगा बहनी बंद हो गयी, सारे साधु-संत चिंतित हो गये और यह न्यूज दिन-भर चलती रही कि उत्तराखंड से कोई पानी नहीं बह रहा है, पानी रुक गया है। मैं कहना चाहूंगा कि टिहरी डेम से (6174) क्यूसिक पानी निरंतर पानी निरंतर प्रवाहित होता है उसे रोका नहीं गया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अलकनंदा जो गंगोत्री से आती है और तिब्बत से धौली आती है, विष्णु प्रयाग के अंदर उससे अलकनंदा मिलती है। एक तरफ से सरस्वती आती है अलकनंदा से मिलती है। वहां पर हमारा बद्रीनाथ धाम है जहां से अलकनंदा बहती है, धोली आती है और विष्णु प्रयाग में दोनों मिलती हैं। आगे कर्ण प्रयाग के अंदर पिंडर आकर अलकनंदा से मिलती है। इसी प्रकार से रुद्रप्रयाग में मंदाकनी आती है अलकनंदा से मिलती है। देव प्रयाग जो सबसे बड़ा प्रयाग है, वहां पर भगीरथ आकर के अलकनंदा से मिलती है। इसी प्रकार से पूर्वी न्यार, पश्चिमी न्यार, पिंडक आदि सभी नदियां अलकनंदा में मिलती जाती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि सारी नदियां यह बता रही हैं कि अगर आप समुद्र में मिलना चाहोगे, तो आपमें क्षमता नहीं है कि आप समुद्र में मिल सको। सारी नदियां जब मिलकर गंगा बन गईं, तो गंगा की इतनी क्षमता हो गई कि समुद्र में उसका विलय हो सका। इस प्रकार से देश के लोगों को बताना चाहिए कि अगर अलग-अलग हो कर हम लक्ष्य प्राप्त करना

चाहेंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर सभी देशवासी गंगा की तरह चाहेंगे, तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि देवप्रयाग के बाद गंगा बनती है। देवप्रयाग से पहले गंगा नहीं है, बल्कि छोटी-छोटी नदियां हैं और ये सारी नदियां मिल कर गंगा का रूप ले लेती हैं और गंगा वहां से बहती है। जहां तक उत्तराखंड का सवाल है वहां बहुत-से गटर के नाले और बहुत से गंदे नाले उसमें पड़ते हैं, लेकिन गंगा का पानी इतनी प्रचुर मात्रा में है कि वह गंदगी को डायलूट कर देता है। उसके बाद जब गंगा आगे बहती है, तो उसमें से नहर निकल जाती है। इतनी नहरें गंगा में से निकल रही हैं, जिसके कारण आगे जा कर गंगा का पानी कम हो जाता है। इस कारण प्रयागराज इलाहाबाद में पानी की कमी आ गई है और मैं निश्चित रूप से इसे मानता हूं क्योंकि मुझे वहां जाने का मौका मिला है और अध्यक्ष महोदया आप भी वहां गई हैं और गंगा के दृश्य को देखा है कि किस प्रकार से गंगा मढ़ अवस्था को प्राप्त हो गई है। आज गंगा को जागृत करने की जरूरत है। आज प्रत्येक भारतवासी को भगीरथ का अवतार लेना होगा कि पुनः गंगा को जीवित करें और इसके साथ-साथ हमें भारत के निर्माण में ऊर्जा भी चाहिए। हमें शक्ति भी चाहिए और शक्ति की हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जहां तक बिजली बनाने का प्रश्न है, यह बिजली निश्चित रूप से बन रही है और आज हाईड्रो इलेक्ट्रीसिटी की आवश्यकता और ज्यादा हो गई है, क्योंकि हम जो नाभकीय ऊर्जा बना रहे थे उसमें अमेरिका ने देखा कि न्यूक्लियर रियेक्टर खतरे की निशानी है। कोई भी आतंकवादी उसे अपना निशाना बना सकता है। फिकुशिमा के बाद जापान में न्यूक्लियर रियेक्टर को बंद करना पड़ा, क्योंकि वहां तो भूकम्प आता ही रहता है। सभी ने माना कि हाईड्रो एनर्जी ही ऐसी एनर्जी है और हाईड्रो इलेक्ट्रीसिटी के जरिए हम अपने देश का निर्माण कर सकते हैं और इसे अन्य देशों ने भी स्वीकार किया है। आज भारत के अंदर डैम बन रहे हैं, उन्हें आप करीब से जा कर देखिए और देखने के बाद आपको बहुत गौरव होगा कि भारत के वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की टेक्नोलोजी को बनाया है।...(व्यवधान) मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और देखिए। जैसे घराट होते हैं और घराट से आप पनचक्की चलाते हैं। अब आप कहें कि घराट से भी प्रदूषण हो रहा है, तो इसे बंद कर दो। इससे तो गंगा का अविरल बहना ही बंद हो जाएगा। मेरा निवेदन है कि निश्चित रूप से सांसद वहां जाएं, करीब से देखें और विश्लेषण करें और स्वयं उसके प्रत्यक्षदर्शी बनें। इसके साथ-साथ जो गंगा वाटर बेसिन आथोरिटी है, उसके अंदर बहुत से महानुभाव हैं, लेकिन वहां का सांसद ही उसका मैम्बर नहीं है। जो वहां के क्षेत्र की समस्याएं हैं, जैसे बांध बनता है, श्रीनगर में जीवीके का बांध बना हुआ है और 90 परसेंट कम्प्लीट हो गया है, लेकिन उसे अनुमति नहीं मिल रही है और उसका सारा काम लटका हुआ है। कहने का मतलब है कि उत्तराखंड के निर्माण में जो इतना पैसा निवेश कर चुके हैं, तो ये काम रुकने नहीं चाहिए। योजनाएं दो-दो साल के लिए बंद हो

जाती हैं। जबकि सारी फारमैलिटीज चाहे पर्यावरण मंत्रालय की फारमैलिटी हो, चाहे वन विभाग की फारमैलिटी हो या कोई और फारमैलिटी हो, सारी फारमैलिटीज को पूरा करने के चक्कर में दो साल तक योजना बंद हो जाती है और बिना कोई परिवर्तन किए उन्हें अनुमति मिलती है। दो साल के लिए जो योजना का नुकसान होता है, उसकी भरपाई कौन करेगा, यह समस्या हर समय खड़ी रहती है। मैं कहना चाहता हूं कि गंगा का पानी अमृत है, क्योंकि गंगा ग्लेशियर से निकलती है और ग्लेशियर का पानी सबसे साफ और स्वच्छ होता है। ग्लेशियर के पानी से ज्यादा स्वच्छ पानी कोई नहीं होता है।...(व्यवधान) मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप उत्तराखंड में आइए। पहाड़ों में लकड़ियां काटी जा रही हैं, जड़ी-बूटियां की इल्लीगल माइनिंग हो रही है, वृक्ष काटे जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसके लिए निश्चित रूप में सरकार को चाहिए, जैसे कानपुर के अंदर टैनिंग इंडस्ट्री का, लैदर इंडस्ट्री का पानी नदियों में जाता है, उसे स्वच्छ किया जाए। आज तो नैनो टेक्नोलोजी आ गई है कि आप 40 मीटर बॉय 60 मीटर पर गंदे पानी को लेकर उससे दो सौ मेगावाट बिजली बना सकते हैं और इसके साथ-साथ मेडिकल क्रियेट वाटर पैदा कर सकते हैं। इस टेक्नोलोजी का एक यंत्र हम निश्चित रूप से हरिद्वार में लगाएंगे।

अंत में मैं कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं कि " वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है, चाहे जितनी ही कड़ी हो हर नदी की राह से हर चट्टान को कटना पड़ा है।"

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं इसलिए भी आपका आभारी हूं कि आपकी उपस्थिति में इस

मुद्दे की गंभीरता और बढ़ी है और केवल गंगा रक्षा के लिए नहीं बल्कि गंगा के माध्यम से भारतीय संस्कृति और भारतीयता पर संकट वर्तमान में आया है, उससे उभरने के लिए सरल स्वभाव के कारण हम सबको एक नई ताकत प्राप्त हुई है। गंगा की पवित्र धारा की निर्मलता और अविरलता को लेकर देश के विभिन्न भागों में आंदोलन चल रहा है। अगले वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ भी है। यह अनुमान है कि आठ से दस करोड़ लोग देश और दुनिया से श्रद्धालुजन इस अवसर पर आकर प्रयागराज में स्नान करेंगे और दर्शन करके आस्था तो प्रकट करेंगे ही साथ ही राष्ट्र की एकात्मता को मजबूती प्रदान करने में योगदान भी देंगे। पवित्र गंगा नदी और सहायक नदियों की वर्तमान स्थिति को देखिए, दिल्ली में यमुना की स्थिति को देखिए। मुझे दिल्ली से गोरखपुर अक्सर ट्रेन से जाने का अवसर प्राप्त होता है। मैं रास्ते में उन नदियों की दुर्दशा देखता हूं कि जो नदी प्राकृतिक जल की शुद्ध धारा होकर जीव और जगत के अस्तित्व का आधार बन सकती थीउसे अवैज्ञानिक और अनियोजित विकास ने गंदे नाले के रूप में बदलकर भारत की नदी संस्कृति पर ही बल्कि राष्ट्र की संस्कृति और भविष्य पर गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है, संकट खड़ा कर दिया है। प्रत्येक देशभक्त, राष्ट्रभक्त और भारतीय का चिंतित होना स्वाभाविक है क्योंकि भारतीय मनीषा ने जल को जीवन का आधार माना है लेकिन आप देखिए कि जीव और जगत के आधार जल को किस प्रकार से प्रदूषित कर दिया गया है। गंगा एक माध्यम हो सकती है।

हम देश में कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं कि स्थानीय निवासी अपने गांव की छोटी नदियों को गंगा का नाम देकर पूजा करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की काफी आबादी मारीशस में निवास करती है, उन्होंने एक नदी का नाम गंगा रखा है, ताल का नाम गंगा के नाम पर रखा है। गंगा भारतीयता की प्रतीक है इसलिए गंगा के खिलाफ किया जाने वाला षड्यंत्र और साजिश भारतीय संस्कृति और भारतीयता के खिलाफ साजिश है। मुझे कभी-कभी इकबाल की वह पंक्तियां याद आती हैं - ''यूनान, मिश्र और रोमा मिट गये जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी''। यूनान, मिश्र और रोम भौगोलिक रूप से नहीं मिटे, उनकी संस्कृति मिटी थी और सैकड़ों वर्षों की गुलामी में जो कार्य विदेशी आक्रांता नहीं कर पाये, दुर्भाग्य से आज इस देश के अंदर विकास के नाम पर साजिश हुई, भारत की नदी संस्कृति, भारत की इन पवित्र नदियों के साथ षड्यंत्र करके उन्हें अवरुद्ध करके उस षड्यंत्र को एक अमलीजामा पहनाने का प्रयास हो रहा है, इसलिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस देश की संसद चर्चा नहीं करेगी और उसके समाधान का कोई ठोस रास्ता नहीं निकालेगी तो मुझे नहीं लगता है कि किसी और से कोई उम्मीद की जा सकती है। इसलिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को स्वीकार भी किया बल्कि स्वंय उपस्थित होकर इसकी गंभीरता को स्वीकार किया और इस पूरी चर्चा में हम कोई ठोस नतीजे पर

पहुंचे, इस दृष्टि से इस पर विचार करने के लिए आप स्वयं भी उपस्थित होकर अपना मार्ग निर्देशन दे रही हैं।

महोदया, सन् 1985-86 में इस देश की गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए गंगा एक्शन प्लान की घोषणा हुई थी। लेकिन गंगा एक्शन प्लान पर मुझे लगता है कि प्रथम और द्वितीय चरण में 1045 करोड़ रुपये खर्च हुए, लेकिन गंगा की धारा गंगा एक्शन प्लान की परियोजना प्रारम्भ होने से पहले जितनी प्रदूषित थी, दूसरे और तीसरे चरण के कार्य को सम्पन्न करने के बाद भी गंगा का प्रदूषण तब से ज्यादा आज है और यह स्थिति यमुना नदी की भी है। दिल्ली में यमुना नदी बहुत सारे स्थानों पर गंदे नाले के रूप में बदल चुकी है और इसकी स्थिति बड़ी खराब है। गंगा के बारे में इस सदन में एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था, यानी गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान लागू होने के बाद की स्थितियां क्या हैं कि पहले और द्वितीय चरण के कार्य पूरे होने के बाद भी जो नदियों में सीवेज का गंदा पानी गिरता है, उसमें 38254 मिलियन लीटर प्रतिदिन जो अनुमानित सीवेज गिरता है, उसमें मात्र 11787 मिलियन लीटर प्रतिदिन के ही ट्रीटमैन्ट की व्यवस्था है, बाकी की व्यवस्था नहीं है। आखिर नदी शुद्ध कैसे रहेगी। हम ये सब जिम्मेदारियां प्रदेश के ऊपर डालना चाहते हैं कि यह प्रदेश की जिम्मेदारी है और प्रदेश की सरकारें धन का रोना रोकर अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती हैं और यह सब इसलिए हो रहा है कि अगर गंगा माता वोटदायिनी होती तो संभवतः मोक्षदायिनी गंगा इस प्रकार से आज भारत की वर्तमान पीढ़ी से अपने अस्तित्व के लिए नहीं रो रही होती, जो वर्तमान में इसकी दुर्दशा है, इस प्रकार की त्रासदी वह झेल नहीं रही होती। हम पूरे देश में देखें तो देश का जो चालीस प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है, वह केवल गंगा का जो दोआब है, गंगा को जो क्षेत्र है, यही चालीस प्रतिशत सिंचित क्षेत्र पूरे देश में हैं और इसमें देश की लगभग 47 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। लेकिन उस सबके बावजूद आज तक कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाई है। गंगा एक्शन प्लान की जो घोषणाएं हुई थीं, जिनमें 270 परियोजनाएं बनी थीं, उनमें उत्तर प्रदेश में 43, पश्चिमी बंगाल में 170 और उत्तराखंड में 37 में से एक भी परियोजना आज तक पूरी नहीं हुई। इसी प्रकार से इस देश के अंदर गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए जो आंदोलन हुए, उन्हें लेकर फरवरी 2009 में माननीय प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया। प्राधिकरण की तीन बैठकें हुईं, लेकिन प्राधिकरण अभी तक किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है।

17.00 hrs.

इसी अकर्मण्यता के नाते पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। वाराणसी में पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर इस देश के धर्माचार्य बैठे हुए हैं, संतगण बैठे हुए हैं और आम जन बैठे हुए हैं। वाराणसी के अंदर लगातार भूख हड़ताल चल रही है लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ठोस कार्य योजना तैयार नहीं की है और सरकार इस पर कुछ करना भी नहीं चाहती है। माननीय रेवती रमन जी कैग की चर्चा कर रहे थे। यमुना सफाई की जो योजना है उसके बारे में कैग ने अपनी जो रिपोर्ट दी है, उसमें भी उन्होंने इस बात को कहा है कि 19 सालों में 1300 करोड़ रूपये खर्च हुए, लेकिन नतीजा ज़ीरो। केंद्र सरकार ने यह बात यमुना सफाई और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने ताजा शपथ-पत्र में भी कही है।

महोदया, माननीय उच्चतम न्यायालय 18 वर्षों से यमुना सफाई की निगरानी स्वयं देख रही है, तब तो यह दुर्गति दिल्ली के अंदर यमुना जी की है तो अन्य जगह क्या स्थिति होगी।

महोदया, कैग की रिपोर्ट और भी गंभीर संकट हम सब के सामने प्रस्तुत करता है कि सन् 2011-12 में कैग ने उत्तर प्रदेश में कानपुर, गाजियाबाद और लखनऊ की परियोजनाओं को नाकाम बताया है। गोमती, गंगा और हिण्डन के पानी को बीमारियों का एक अड्डा बताया है। गाजियाबाद शहर में प्रतिदिन 290 मिलियन लीटर सिवर निकलता है। जिसमें से मात्र 129 मिलियन लीटर के ही शोधन की व्यवस्था है बाकी जैसे है वैसे ही नदी में उंडेल दिया जाता है। इसी प्रकार से लखनऊ शहर में प्रतिदिन 410 मिलियन लीटर सीव्रेज निकलता है, उसमें से 300 मिलियन लीटर के शोधन की ही व्यवस्था है, बाकी 110 गोमती नदी में वैसे ही उंडेल दिया जाता है। लखनऊ शहर के जो 26 नाले हैं, उनमें केवल 9 में ही शोधन संयत्र लगे हुए हैं। यह केवल लखनऊ और गाज़ियाबाद का ही हाल नहीं है। गंगोत्री से ले कर गंगा सागर तक या फिर गंगा की जितनी सहायक नदियां हैं, उन सभी नदियों के अंदर प्रदूषण की स्थिति इसी प्रकार है। महोदया, इसीलिए देश के अंदर वर्तमान में जो आंदोलन चल रहा है, इसमें स्वाभाविक रूप से आम जनता में बड़ा भारी आक्रोश है। जब हम लोग गंगा या गंगा की सहायक नदियों के बारे में देखते हैं, गंगा या गंगा की सहायक नदियों के प्रवाह को वर्तमान में अवरूद्ध करा दिया गया है। गंगा की निर्मलता और अविरलता के बारे में जो प्रश्न और शंकाएं उठ रही हैं, उसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो नदियों में बना स्थानीय पारिस्थितिकी का अध्ययन किए बगैर बन रही और प्रस्तावित पनविद्युत परियोजनाएं। दूसरा, अपने उद्गम स्थल से लेकर के गंगा सागर तक छोटे-बड़े नगर और कस्बों का सीव्रेज और औद्योगिक इकाइयों का कचरे का बिना शोधन के ही नदियों में गिराना। ये दो प्रमुख कारण इसके हैं। यहां पर अभी माननीय रेवती रमन जी कह रहे थे और मैं माननीय सदस्य सतपाल महाराज को भी सुन रहा था। मुझे ताज्जुब होता है।

महोदया, माननीय सतपाल महाराज उत्तराखण्ड की बात कह रहे थे। मेरा जन्म भी उत्तराखण्ड में हुआ है और मेरा बचपन भी उत्तराखण्ड में बीता है। मुझे लगता है कि उत्तराखण्ड को, वहां की नदियों को, वहां के घाटों को और वहां की पूरी परिस्थियों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। गंगा की निर्मलता और अविरलता को ले कर सन् 2009 में जब आंदोलन शुरू हुए थे, मैंने इलैक्शन के बीच में ही उत्तराखण्ड का दौरा प्रारंभ किया था और उत्तराखण्ड में मैं चुनावों की वजह से नहीं गया था। मैं केवल इस बात को देख रहा था कि गंगा की निर्मलता और अविरलता पर जो प्रश्न उठा रहे हैं, आखिर ये कितने सच हैं।

महोदया, मुझे आपको बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि गंगोत्री से लेकर उत्तरकाशी तक, जो भागीरथी की मूल धारा है, लगभग 103 किलोमीटर की, जिसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने हाई-इको जोन भी घोषित किया है। माननीय श्री जयराम रमेश जी ने किया था और मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद भी दूंगा। आपको आश्चर्य होगा कि बहुत सारे स्थान ऐसे थे, जहां पर भागीरथी में एक बूंद पानी नहीं था। पूरी नदी को सुरंगों के अंदर डाल दिया गया था और सुरंगों के अंदर डालकर फिर अगर, महाराज जी तो कम से कम एक धार्मिक व्यक्ति हैं और उनका आज का जो साफा है, वह तो स्वयं उनकी धार्मिकता को और भी प्रदर्शित करता है। मैं इस बात के लिए मॉफी चाहूंगा कि गंगा की शुद्धता, गंगाजल में अमृत का जो गुण है, वह एक दैवीय नदी तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसके साथ-साथ, नदी की धारा के साथ-साथ नदी के उस गुण के लिए दो बातें बहुत आवश्यक होती हैं। वह होती है एक भूमि और दूसरी भूमा। नदी की धारा जब तेजी के साथ चलती है तो भूमि उसकी गन्दगी को अवशोषित करती है। हम धरती मां को मां अचानक नहीं कहते हैं क्योंकि मां अपने बच्चे के साथ जिस प्रकार से बचपन से ही उसकी गन्दगी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, यह धरती माता उस जल के साथ करती है। उस जल के शोधन में जब आसमान से ऑक्सीजन का उसमें, जब वह नदी का जल पत्थरों से, चट्टानों से टकराता हुआ आगे बढ़ता है, ऑक्सीजन के साथ उसका एक-साथ समन्वय होता है, तो वह जल के प्रदूषण को दूर करके उसकी शुद्धता को बढ़ाता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। इसलिए भूमि और भूमा नदी के प्रदूषण को मुक्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। जब हम नदी को सुरंगों के अंदर डालने का प्रयास करते हैं तो हम भूमि से उसका सम्बन्ध तोड़ देते हैं और भूमा से भी उसका सम्बन्ध तोड़ देते हैं। इससे तो वह स्वाभाविक रूप से प्रदूषित होगा ही होगा और आज यही उत्तराखंड में हो रहा है। सुरंगों के अंदर पूरी गंगा को उड़ेल दिया गया, अब भागीरथी में एक बूंद पानी नहीं। इससे गंगा प्रदूषित होगी।

दूसरी, बात मैं कहना चाहता हूं कि बांध बनाये जा रहे हैं, एक बांध नहीं, महोदया, कुछ बांधों की चर्चा यहां पर हुई, मैं बांधों की चर्चा आपके सामने करूंगा। जो कार्यरत परियोजनायें हैं, उसमें चिल्ला है, टिहरी की है, मनेरीभाली-1 है, मनेरीभाली-2 है और विष्णु प्रयाग है। ये पांच कार्यरत परियोजनायें हैं। जो

निर्माणाधीन परियोजनायें हैं, उनमें कालीगंगा-1, कालीगंगा-2, कोटेश्वर, कोटली भेल-1ए, कोटली भेल-1बी, कोटली भेल-2, तपोवन विष्णुगाड, पाला-मनेरी, मद्महेश्वर, लोहारीनाग-पाला, श्रीनगर और सिंगोली-भटवाड़ी हैं। जो प्रमुख प्रस्तावित परियोजनायें हैं, जो 10 मेगावाट से ऊपर की हैं, उनमें अलकनंदा है, अस्सीगंगा-1 है, अस्सीगंगा-2 है, अस्सीगंगा-3, उत्यासू बांध, ऋषि गंगा, ऋषि गंगा-1, ऋषि गंगा-2, ककोरागाड, करमोली, कोसा, गौरीकुंड, गोहाना ताल, चुन्नी सेमी, जाडगंगा, जालनधरीगाड, झेलम-तमक, टिहरी पीएसएस, देवली, देवसारी बांध, दुना गिरी, तमक-लता, नंदप्रयाग लंगासू, न्यार, फाटा, बुआरा, बोवाला नंदप्रयाग, बंगरी, भिलंगना-1, भिलंगना-2, भिलंगना-3, भुंदर गंगा, भैंरोघाटी, मलारी, मांदनीगंगा, मिंग-नलगांव, मेलखेत, रामबारा, लता-तपोवन, वनाला और विष्णुगाड-पीपलकोटी परियोजनायें हैं।

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिये।

योगी आदित्यनाथ : महोदया, इतनी परियोजनायें प्रस्तावित हैं और ये तो मैंने कुछ 10 मेगावाट से ऊपर की बतायी हैं। 350 अन्य प्रस्तावित परियोजनायें हैं, जिन्हें टेलीविजन चैनल ने एक बार दिखाया भी था कि किस प्रकार से इनमें भ्रष्टाचार है। यानी गंगा मैया को केवल उसके मायके में ही कैद करके और रेवती रमण सिंह जी ने ठीक कहा कि उसकी भ्रूण हत्या करने का प्रयास हो रहा है। इस देश की संस्कृति की भ्रूण हत्या करने का प्रयास हो रहा है। विकास के नाम पर यह सब हो रहा है। विकास के नाम पर इस प्रकार की स्थिति को बंद किया जाना चाहिए। महोदया, शरारत किस रूप में है, श्रीनगर के पास एक परियोजना बन रही है, धारी देवी प्रोजेक्ट श्रीनगर के पास बन रहा है। वहाँ पर सिद्धदेवी का स्थान है धारीदेवी। मैं तो उम्मीद करता था कि महाराज जी इस बारे में बोलेंगे। 1986 में उस प्रोजैक्ट को स्वीकृति मिली थी और मात्र 63 मीटर ऊँचा उठाने के लिए मिली थी। लेकिन उनका मनमानापन देखिये कि उसको 95 मीटर ऊँचा कर दिया गया। आस-पास के दर्जनों गाँव और सैकड़ों हैक्टेयर भूमि को उसमें डुबा दिया गया और ऐतिहासिक सिद्धदेवी के स्थान को भी डुबाने की कोशिश हो रही है। जब इस मामले को यहाँ संसद में मैंने उठाया था, तो अगले दिन उस प्रोजैक्ट का एक अधिकारी मेरे पास गोरखपुर में पहुँच गया था। मैंने कहा कि कैसे आए, तो उसने कहा कि मैं वहाँ से आया हूँ। मैंने कहा क्या मामला है? मैंने सुना कि वह उत्तराखंड से आया है। उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि है। मैंने उसे बड़े प्यार से बैठाया। उसने कहा कि मैं धारीदेवी के प्रोजैक्ट से आया हूँ, उस पर कुछ बात करनी है। मैंने पूछा कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि धारीदेवी का जो प्रोजैक्ट है, हम चाहते हैं कि धारी देवी के उस स्थान को हम किसी पिलर से ऊँचा उठा देंगे और स्थान तो वैसे ही रहेगा, पिंडी स्थापित होनी है धारीदेवी की, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप लोग आंदोलन बंद करवा दीजिए, हम लोग वहाँ पर जैसे लोग कहेंगे, उस ढंग से वहाँ की योजनाओं को

बना देते हैं। मैंने कहा कि मुझे एक बात बताइए। अगर तुम्हारे सिर को तुम्हारे धड़ से अलग करके तुम्हारे सिर को एक बड़े से डंडे पर टांगकर खड़ा कर दिया जाए तो क्या यह कहा जाएगा कि तुम यही हो? उसने कहा कि क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा, यही बात है। वह स्थान धारीदेवी का सिद्धपीठ पिन्डी है, जिसकी पूजा होती है और वह पूजा वहीं पर होगी, स्थान नहीं बदला जा सकता है। तुम अनावश्यक रूप से विकास के नाम पर यहाँ विनाश लाना चाहते हो। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यह आंदोलन अचानक नहीं हो रहा है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : योगी आदित्यनाथ जी, अब आप समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो गया है। आपकी पार्टी से और माननीय सदस्य भी बोलने वाले हैं।

योगी आदित्यनाथ : मैं अंतिम मुद्दे पर आ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदया : फिर वे नहीं बोल पाएँगे। अब आप समाप्त करिये। आप उनका समय ले रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ : महोदया, मुझे केवल यह कहना है कि जिस कार्य को अंग्रेज़ नहीं कर पाए थे, हरिद्वार में 1916 में अंग्रेज़ों ने गंगा की धारा को मोड़ने और रोकने का प्रयास किया था। लेकिन उस समय देश के धर्माचार्यों ने आंदोलन किया था, देश के राजा-महाराजाओं ने उस आंदोलन में सहयोग किया था और पंडित मदनमोहन मालवीय जी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों को बातचीत करने के लिए सामने आना पड़ा था और यह तय हुआ था कि गंगा की अविरलता और निर्मलता को बाधित नहीं किया जाएगा, लेकिन आज गंगा की अविरलता और निर्मलता को क्यों खंडित किया जा रहा है? क्या इसके पीछे साजिश नहीं है? इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, इन सारे तीर्थ स्थलों की महत्ता गंगा के कारण है। गंगा नहीं रहेगी तो ये तीर्थ स्थल नहीं रहेंगे, भारत नहीं बचेगा, भारत की संस्कृति नहीं बचेगी। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब हो गया। आप कितना सुन्दर बोले हैं। अब आप समाप्त कीजिए।

योगी आदित्यनाथ : महोदया, मैं अंतिम बात बोल रहा हूँ। आप केवल दो मिनट का समय दीजिए। ...(व्यवधान)

मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यह नदी केवल हमारे लिए जल का ही स्रोत नहीं है, अपितु इससे हमारा एक आत्मीय संबंध है। यह हमारी आस्था है, हमारी संस्कृति है, हमारे जीवन और इस देश की आजीविका का आधार भी है। आज गंगा का अस्तित्व संकट में है। देश का धार्मिक जगत ही नहीं, देश का कृषि जगत भी इसके लिए आंदोलन कर रहा है, इसके खिलाफ लगातार आंदोलन हो रहे हैं। हम माननीय प्रधान मंत्री से इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने की अपील करते हैं। हमारी मांग है कि हम विकास की

किसी योजना के विरोधी नहीं हैं, लेकिन गंगा की अविरलता और गंगा की निर्मलता या उसकी सहायक नदियों की अविरलता और निर्मलता में जो भी विकास बाधक बनेगा, हम उस विकास के विरोधी हैं। इसलिए हम अनुरोध करना चाहेंगे कि सरकार प्रभावी कदम उठाकर इस सदन को और देश को अवगत कराए कि गंगा की अविरलता और निर्मलता में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की अनुमति सरकार किसी को नहीं देगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस विषय को यहाँ पर चर्चा के लिए लिया और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने मार्गदर्शन में ही चर्चा करा रही हैं। मैं यह आशा करता हूँ कि इस विषय का ठोस परिणाम सामने आएगा, इस विश्वास के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

अध्यक्ष महोदया : श्री विजय बहादुर सिंह।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदया, मेरा संख्या 295 है, कृपया मुझे यहाँ 290 से बोलने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया : यहाँ क्या खासियत है?

श्री विजय बहादुर सिंह : नहीं, यहाँ ये बैठे हैं, ये भी बोलना चाहते हैं। हम लोग हाफ-हाफ टाइम देना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: I do not understand. You go back to your seat. Which is your seat? You please go back to your seat.

...(व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह : मैडम एक मिनट का टाइम लगेगा। ...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): आप वकील होकर ऐसा करते हैं? ...(व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह : हम क्या हैं, हम अभी बताएँगे । ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब ठीक है। उनको बोलने दीजिए। आप बोलिये।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदया, मैं इसका कॉम्पलीकेटिड विशलेषण नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इलाहाबाद में वकालत करता था और पिछले 30-40 साल से गंगा का हाल देख रहा हूं। गंगा के प्रदूषित होने के तीन रीज़न मुझे समझ में आते हैं। पिछले पचास साल में बड़ी संख्या में अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रीलाइजेशन हुआ है। इसके कारण सारा सीवेज गंगा में जा रहा है। इसके कारण गंगा देश की भोली नदी न होकर देश का सबसे बड़ा ड्रैनेज बन गई है। मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की थी, वह पिछले आठ साल से चल रही है। कानपुर से जब गंगा आती है तो फतेहपुर के बाद गंगा में 80 प्रतिशत पानी कानपुर की टैनरी से आता है। इसके कारण मछलियां जिंदा नहीं रह पाती हैं। कई पोइट्स ने लिखा है कि गंगा का कलर व्हाइट था और जमुना का कलर ब्लू था। Blue stands for romanticism and white stands for spiritualism. लेकिन अब व्हाइट स्प्रीचुअलिज्म ब्लैक स्प्रीचुअलिज्म हो गया है। इस पर मैं जायसी की एक पोयटरी भी बताऊंगा। हमने कल आपका भाषण प्रारम्भ और अंत में सुना। पिछले तीस साल में इतना बढ़िया भाषण मैंने नहीं सुना। यह सही बात है।

MADAM SPEAKER: Thank you.

श्री विजय बहादुर सिंह : हम हकीकत बता रहे हैं। इतना बढ़िया आपने विश्लेषण किया है, अगर उसका पांच परसेंट भी कोई समझ जाए तो भारत की संस्कृति और पार्लियामेंट ठीक हो जाए।...(व्यवधान) अब बोलने नहीं देंगे।...(व्यवधान) वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान बना। 418 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उसके बाद जीएपी-2 बना और अब तक साढ़े दस सौ करोड़ खर्च हुए, जैसा कि योगी जी ने कहा। वर्ष 1985 से यह रिपोर्ट आ रही है कि गंगा और डर्टी गई है। नेशनल गंगा रीवर बेसिन एथॉरिटी बनी, जिस पर 22 सौ करोड़ रुपए का खर्च आया। लेकिन गंगा की पोजीशन लगातार खराब होती गई। इसके तीन कारण हैं। पहला, सरकारी उपेक्षा; दूसरा कारण, सामाजिक और तीसरा, व्यक्तिगत। आजकल गांवों में दशहरा नहीं होता है, सिर्फ दुर्गा पूजा होती है। हजारों मूर्तियां दुर्गा पूजा की समाप्ति पर गंगा में बहा दी जाती हैं। किसी समाज ने, न हमने, न किसी ने अपना हाथ उठाया कि इन सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया जाना चाहिए। जितने जानवर मरते हैं, सब उसमें बहाए जाते हैं। लेकिन समाज उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता है। एक नया फैशन अपने भारत में आ गया है कि हर बुराई को भारत सरकार या प्रदेश की सरकार पर डालना। इसको छोड़ना पड़ेगा।

जब कुम्भ मेला आता है तो हम लोग रिट फाइल करते हैं। रिट फाइल में क्या होता है? इसमें यह होता है कि दो-चार डैम का जो सिंचाई का पानी है, उसे छोड़कर उसका जल स्तर ऊपर कर देते हैं। लेकिन, भारत में किसी साधु-सन्त ने यह आवाज नहीं उठायी कि कोई भी मरा हुआ जानवर हम गंगा में

नहीं फेंकेंगे, कोई भी फूल-पत्र जो फेंकते हैं, वह नहीं फेंकेंगे, और कोई शव नहीं फेंकेंगे। ऐसी कोई आवाज उठती ही नहीं है। अगर उठती भी है तो समाज का उस पर रिएक्शन नहीं आता।

मैं यह चाहता हूं कि यह थ्री-एक्शन प्लान होना चाहिए, सिर्फ़ रुपया दे देने से नहीं होगा। अब जैसे इलाहाबाद की बात मैं बताता हूं। जब मैं इसमें अधिवक्ता के रूप में नहीं था तो गंगा की ऑथोरिटी का कोई दफ्तर ही नहीं मिलता था। रेवती रमण सिंह जी बिल्कुल सही बता रहे थे कि उनका कार्यालय ही नहीं मिलता था। वह तो नयी-नयी गाड़ियां दिखाई पड़ती हैं, तब लगता है कि गंगा प्रदूषण की कोई ऑथोरिटी जा रही है। उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक समाज व्यक्तिगत रूप से और सरकारीकरण का सामंजस्य नहीं होगा, तब तक यह नहीं होगा।

महोदया, वर्ष 1910 से आई.आई.टी. को यह प्रोग्राम दिया गया। हिन्दुस्तान की सबसे इंटेलेक्चुअल संस्था आई.आई.टी. है। पर, इसके तीन-चार साल हो गए हैं, मगर, अभी आई.आई.टी. की कोई रिपोर्ट ही नहीं आयी है। अगर आयी भी है तो हमें नहीं मालूम। हो सकता है कि मंत्री जी को मालूम हो। यह टेक्नीकल बात है।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर इसको ठीक करना है तो समाज को भी आगे आना होगा। अब जैसे आज रिपोर्ट में आया है कि 3000 बिलियन लीटर सीवेज कानपुर में आ रहा है और अभी तक एक हजार मिलियन लीटर सीवेज का ट्रीटमेंट हो रहा है। दो हजार मिलियन प्रदूषण रोज गंगा में जा रहा है।

महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुंवर साहब गवाह है, इलाहाबाद में अगर पानी प्लेट या बीकर में रखें तो यह बिल्कुल ब्लू वाटर है। इतना गंदा पानी है कि वह क्लियर दिखाई पड़ता है। हमारे हाई कोर्ट में रिट पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी उसमें डेट लगी हुई थी। उसमें यह रिपोर्ट आयी है कि 87 प्रतिशत पानी गंदा और प्रदूषित है, उसका ट्रीटमेंट ही नहीं होता।

मैं अपना समय कम कर रहा हूं क्योंकि हमारे सांसद श्री गोरख नाथ पांडेय गंगा जी के किनारे रहते हैं तो इन्होंने कहा कि मैं बोलूंगा। इनके गांव से गंगा बहती है। मैडम, यह सुन लीजिए, शायद आप इसे अप्रेशिएट करें।

उम्र भर गालिब यह भूल करते रहे,
कि धूल चेहरे में थी और आईना साफ करते रहे

अगर गलती है तो इस प्रदूषण की गलती समाज की है, समाज के व्यक्ति की है। अगर हम लोग अपने यहां का सीवेज प्लांट और अपने यहां की गंदगी गंगा में न डालें तो 80 प्रतिशत गंगा प्रदूषण मुक्त हो सकती है। धार्मिक श्लोक पढ़ने से यह प्रदूषण दूर नहीं हो सकता है।

मैं ज्यादा बात न करके यह कहना चाहता हूं कि इन तीनों स्ट्रैटजी को देखा जाए। आप एक टास्क फोर्स बना दीजिए। उस टास्क फोर्स की रिपोर्ट में छः महीने के अन्दर जो भी गंगा के लिए एक्शन हो, यहां पार्लियामेंटरी कमेटी में दाखिल कर दिया जाए और फिर उस पर बहस की जाए।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मेरा बाकी समय श्री गोरख नाथ पांडेय जी को दे दिया जाए।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, यह बहस गंगा की जो दुर्दशा है, उससे शुरू हुआ है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस देश में दो हिस्से हैं। एक विंध्य के नीचे हैं जहां कृष्णा, कावेरी, सरस्वती और तुंगभद्रा है। जो विंध्य के नीचे नदियां हैं वहां भी आबादी रहती हैं और वहां के जो घाट हैं, वे सभी आज भी दर्शनीय हैं। विंध्य के ऊपर जो भाग है, उसमें नर्मदा और दक्षिण की कुछ नदियों को छोड़ कर सबका पानी अरब सागर में ही जाता है।चम्बल का हो, यमुना का हो और जो हिमालय है, सतपाल महाराज जी, वह दुनिया का सबसे ज्यादा कम उम्र का पहाड़ है। हिन्दुस्तान की सारी बड़ी नदियां पाकिस्तान से लेकर बंगलादेश तक सब को अगर आप मिला देंगे तो लगभग 90 करोड़ से कम आबादी नहीं होगी, इन सारी नदियों का स्रोत हिमालय है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि जो प्रकृति है और एनवायर्नमेंट पर जो बहस चली हुई है, यह दुनिया खतरे में है। इतने खतरे में है कि जब सतपाल महाराज जी बोल रहे थे, मुझे तो रेवती रमण सिंह जी ने आज बताया कि ये प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं तो इन्होंने जिस तरह से अभी बोला, यह तरक्की, विज्ञान और आविष्कार, इनसे दुनिया बढ़ी जरूर है, इन्सान के सुख जरूर बढ़े हैं, लेकिन आने वाली दुनिया बचेगी नहीं। जो आप कह रहे हैं, हिमालय तो कच्चा पहाड़ है, यह पूरा का पूरा पाकिस्तान से लेकर बंगलादेश तक सारा हिमालय का इरोज़न है, हमने यह अध्ययन किया हुआ है, हम राजनीति में तो थे नहीं, हम तो बेसीकली इंजीनियर हैं तो हमको मालूम है कि यह कैसे बना है और कब बना है, लेकिन वह आज की बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन हिमालय का सीना ही रास्ता है, तभी 90 करोड़ लोग, यानि छठा हिस्सा आबादी दुनिया की हिमालय के गर्भ से निकले पानी पर पलती है। चीन की तरफ कितना पानी जाता है, इसका कोई हिसाब मेरे पास नहीं है, लेकिन अभी रेवती रमण जी ने और योगी जी ने जो बात कही, गंगा के साथ उन्होंने काफी जूझने का काम यहां किया है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्सान की सबसे बड़ी जरूरत पल-पल की सांस है, पानी की भी जो तासीर है, उसे भी प्राणवायु चाहिए उसके बगैर वो नहीं है, सतपाल महाराज जी। उसकी जो निर्मलता बढ़ती है, वह धरती से भी और आकाश से जो आक्सीजन है, उन दोनों के मेल से बढ़ती है। बड़े पैमाने पर

गंगा, चम्बल, यमुना और बाकी नदियों का नाम योगी आदित्यनाथ जी ले रहे थे, आपके उत्तर भारत की बहुत सी नदियां हैं, लेकिन नर्मदा जो है, वह आज भी सारी नदियों से ठीक है। बिल्कुल ठीक है, वह नहीं है। हां, वह गंगा और हिमालय से भी पुरानी है, वह अमरकंटक से निकलती है, लेकिन बिल्कुल ठीक है, मैं यह नहीं कह रहा हूं, लेकिन बाकी जो सब नदियां हैं, आपकी सिन्धु और कुछ नदियां साउथ की हैं, जो आपकी अरब की खाड़ी की तरफ जाती हैं, हिन्दुस्तान तो अरब सागर की तरफ टिल्टेड है। इन्सान की पल-पल की जरूरत सांस है, लेकिन दिल्ली में वह सांस भी खराब हो गई है और प्रकृति जल्दी किसी को छोड़ती नहीं है। आप सासाराम चले जाइये, मैं जब मधेपुरा जाता हूं तो मेरी भूख बढ़ जाती है, सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है और जब मैं दिल्ली में आता हूं तो पूरा का पूरा स्वाद बदल जाता है।...(व्यवधान) पेट खराब नहीं, खाने की तबियत ही नहीं होती। प्रकृति से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। गांधी जी का कोई अर्थ नहीं है, एक ही अर्थ है, वे कहते थे कि जो प्रकृति है, नेचर है, उसके साथ दोस्ती रखो, वही दुनिया बनाएगी, वही दुनिया बढ़ाएगी।

इंसान को हवा पल-पल चाहिए, पानी के बिना भी आदमी दो-तीन घंटे से ज्यादा नहीं रह सकता है। यह जो धरती है, इसे बड़े पैमाने पर हिमालय ने बनाया। जिसे आप कह रहे हैं कि सबसे उपजाऊ जमीन है, यह हिमालय के गर्भ से ही निकली है। 5-6 घंटे से ज्यादा की भूख हड़ताल मत करो, गांधी जी करते थे, वह छोड़ दो, भूख हड़ताल करोगे, तो पांच-दस दिन बाद हर चीज बिगड़ जाएगी। आदमी को हर 6 घंटे में पेट पूजा चाहिए। जल, जंगल और धरती, इनके लिए बहुत लोगों ने आंदोलन किए। गंगा का यह हाल है। आप कहते हैं कि इसे मिलाकर करना चाहिए, मैं योगी जी की बात सुन रहा था और कुंवर साहब की बात सुन रहा था, आज इन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं जरूर उपस्थित रहूं। इस मामले में इन दोनों का ज्यादा गहरा अध्ययन है। मेरा इसमें ज्यादा गहरा अध्ययन नहीं है। यह पहाड़ के आदमी हैं और यह संगम के स्थान प्रयाग के हैं, ये दो गंगा के बड़े ठिकाने हैं। फिर काशी का नंबर आता है, फिर पटना का नंबर आता है और फिर गंगा सागर में बिला जाती है। ...(व्यवधान) साउथ में सरस्वती अभी जीवित है। साउथ में सरस्वती बड़ी नदी है। यह मेरी विनती है कि जिन लोगों ने चिंता व्यक्त की है तो मैं सोचता हूं कि इस पर बहुत विवाद हो चुका। जो कई सूबे बने, वह लोगों की इच्छा थी, इसलिए बने। भाषाई सूबे बन गए। उत्तर भारत में तो कोई सूबा बनने का सवाल नहीं था, यहां तो हमने बंटवारा किया। बंटवारा हो गया, उस पर मैं ज्यादा नहीं जाता। मैं इतना कहना चाहता हूं कि सारे देश में कई समस्यायें हैं, कई चुनौतियां हैं, लेकिन यह बड़ी चुनौती हो गयी है, क्योंकि नदी कोई सीमा नहीं पहचानती है, उसके खंड-खंड नहीं किए जा सकते हैं। दुनिया भर में यह प्रचालन है लेकिन हमारे देश में ऐसी हालत है, पाकिस्तान-हिंदुस्तान के बीच में जो झगड़ा है, उस पर तो मैं नहीं जाता, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पास, हमारे

पीछे है और सबसे बढ़िया इस देश की कोई चीज मुझे पसंद आती है, तो नदियों के नाम इतने खूबसूरत हैं, स्वर्णरेखा, कावेरी, गंगा, आदि ये नाम इतने अच्छे हैं, जिन नामों को लेकर ही आदमी के अंदर स्फूर्ति आ जाए, ऐसे इनके नाम हैं। ...(व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करूंगा, यहां सब सूबों के लोग बोल रहे हैं, सतपाल महाराज जी आपके सूबा जो है, वह बन तो गया, लेकिन उसकी इकॉनामी का बड़ा भारी काम पानी से जुड़ा हुआ है। इसके कारण आप चिंतित हैं। नदी जो है, उसका कोई उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल से वास्ता नहीं है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा बाकी लोगों का भी है। चंबल जो है, वहां आप जाएंगे तो देखेंगे, वह आपके पास भी जाती है, चंबल में पैसा डाल देंगे, तो उस पैसे की झलक दिखायी पड़ती है। जो मगर है, उसे देखने का मजा ही चंबल में अलग है। लोग कहते हैं कि चंबल का पानी पीने के बाद आदमी पुरूषार्थी हो जाता है।

मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सी बातें, बहुत से सूबे के लोग बोल रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि जल जीवन है, इससे बड़ा सत्य कोई नहीं है, जो हवा है, आक्सीजन से बड़ा सत्य कोई नहीं है और धरती से बड़ा कोई सहारा नहीं है, जो हर चीज देती है। हमने जंगल काट दिए। हमने सारे देश की जमीन को, जो सबसे उपजाऊ है, उसको कंक्रीट का जंगल बना दिया। नदियां जिनके लिए लोगों का पूजा और इबादत का मन है। यदि नदियों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तो मैं आपको कहता हूं कि इन नदियों को कोई बचाने वाला नहीं है। इस देश को आगे कोई तारने वाला नहीं है। हाथ में शक्ति होनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जो दुनिया बचा कर रखती हैं उनमें से नदी एक चीज है। हमारे यहां तो नदी किनारे ही सभ्यता और संस्कृति हैं। जितनी तरह की चीजें हैं सब नदी के किनारे हैं। आप के सारे लोक गीत नदियों से ही खड़े हुए हैं। वे नदियों के किनारों से ही बने हैं। मैं आप से अंत में यही निवेदन करना चाहता हूं।...(व्यवधान) *जयराम रमेश जी थोड़ा-बहुत काम किए थे। यानी थोड़ी-सी हवा फेंकी थी। उस हवा से बाल भी नहीं छुए गए थे। बाजार के प्रति ऐसी मोह-माया है, अब इस जमाने में लोग कहते हैं कि मेट्रो में बड़ी ईमानदारी होती है। मैं आपसे यह कहूं कि मेट्रों में इसलिए ईमानदारी है कि हम तो सारी सभ्यता, मक्का-मदीना और सारी चीज यूरोप को मान रहे हैं। आक्सफोर्ड तो ऐसा लगता है कि इस देश के जो पढ़े-लिखे लोग हैं जिनकी जिंदगी अजीब तरह की हो गई है वे मानते हैं कि वह हमारा तीर्थ है। वहां मेट्रो है तो यहां का आदमी मेट्रो के लिए ठीक भी हो जाता है क्योंकि मेट्रो की ललक इस सभ्यता की ललक नहीं है। बाकी चीज आप कह रहे हैं कि ये बहुत ठीक बनेंगे। सतपाल महाराज आप भ्रष्टाचार को जानते हैं कि देश में कदम-कदम पर पानी है और कदम-कदम पर सब चीज है। कदम-कदम पर भ्रष्टाचार है। यह ऐसी चीज है

* Not recorded.

कि इस पर आज बहस करने की जरूरत नहीं है। कोई डैम ठीक नहीं बनेगा। जो डैम बने भी हैं वे अजीब-अजीब बने हैं। हिमालय कच्चा पहाड़ है उसमें डैम बनाना और उसको छेड़ना अच्छा नहीं होगा। इसको छेड़ने में गंगा सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। उत्तराखंड में इतनी सहायक नदियां हैं, आपने ठीक कहा कि प्रयाग पर और आप जो नाम ले रहे थे वहां गंगा बनती है। मैं इतनी गहराई से गंगा के पूरे इलाके को नहीं जानता हूं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सदन में जो एक राय है, रेवती रमण जी सभी नदियां एवं गंगा बचाना है तो पानी का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए तभी सदन के हाथ में आएगा और तभी बात बनेगी ऐसे बात नहीं बनेगी। गंगा ऐक्शन प्लान सफल नहीं होगा। भारत सरकार कहेगी कि राज्य सरकारें कर रही हैं और राज्य सरकारें कहेंगी कि भारत सरकार कर रही है। कहीं एक जगह एकाउंटिबलिटी करनी पड़ेगी। एक जगह शक्ति हाथ में देनी पड़ेगी, पावर देना पड़ेगा। इससे भी बड़ा कोई सवाल है। इस सवाल के लिए सब लोग तैयार हो कि इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। हमने रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। हमने बहुत-सी चीजों का राष्ट्रीयकरण किया है। यह कंक्रीट लिस्ट में और सुबों के हाथ में नहीं रहना चाहिए। तब तो आपके भाषण का मतलब है। वह कर्म से जुड़ता है और नहीं तो गाल बजाओ, खुब चिल्लाओ, कुछ नहीं होगा। जब गंगा ऐक्शन प्लान बन रहा था तो मैंने बड़े इंजीनियर, जो मेरे साथ पढ़ता था से कहा था कि तुम्हारी ये सब बकवास नहीं चलेगी इससे कुछ नहीं होगा। कुछ ऑफिसर नियुक्त हो जाएंगे और दफ्तर खुल जाएंगे। ये दफ्तरों के बारे में पोल बताएं। गंगा को बचाने वाले कुछ लोग घूम रहे हैं। आप आंदोलन कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साधु बैठे हैं। ...(व्यवधान) इस देश के आदमी हैं। आपको पता नहीं है। इसमें आपकी जो खराबी है उसको बोलने का काम करो तो कान खड़े हो जाएंगे जैसे हिरण के कान खड़े होते हैं। लेकिन अच्छी बात करो तो इनके कान लंबे हो जाते हैं। यदि आपको इस देश की नदियों को बचाना है तो सीधी-सीधी बात है कि इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया जी, ...(व्यवधान) * जयराम रमेश जी थोड़ा-बहुत हलचल वाला आदमी था।..(व्यवधान) यह भली महिला हैं। प्रधानमंत्री, गंगा प्लान की जो मीटिंग हुई थी उसमें आपको पता नहीं है कि जो लोग गंगा के लिए गए थे वे चुप ही बैठे रहे।...(व्यवधान) वे मौन बैठे रहे।...(व्यवधान)

श्रीमती जयंती नटराजन : इन्हें बोलने दीजिए। He is anti-women....(व्यवधान)

* Not recorded.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उन बेचारी का कोई दोष नहीं है। उनकी जगह बहुत मजबूत आदमी रख दीजिए, कुछ नहीं होगा।...(व्यवधान) मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि यदि इस देश की सारी नदियों को बचाना चाहते हैं तो राष्ट्रीयकरण के सिवाए कुछ नहीं होगा। उसके बाद यह सदन के हाथ में जाएगा और सदन उसकी रक्षा करने का काम करेगा।

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी पर जो टिप्पणी की गई है, वह रिकार्ड में नहीं जाएगी।

लालू प्रसाद (सारण): मैडम, मैं रेवती बाबू को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने गंगा की पवित्रता, और गंदगी के मामले में बहुत पहले सवाल उठाया था। आपने उसका संज्ञान लिया और सदन को आश्वस्त किया था कि हम इस पर अलग से बहस करवाएंगे। आज आप स्वयं यहां बैठी हैं। कल आपका यहां, वहां जो भाषण हुआ, आपसे अनुरोध है कि आप आगे से हिन्दी में बोला कीजिए। जहां कलाकारों में मुद्गल जी फर्स्ट हुईं, वहां बोलने में आप फर्स्ट हुईं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : बहुत-बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : मैं आपको चैम्बर में धन्यवाद देने गया था, लेकिन आप आई नहीं थीं। आप सबकी बात सुन रही थीं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : लालू जी, आपका बहुत धन्यवाद। मगर वहां हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी उपस्थित थीं, उप राष्ट्रपति जी थे।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : वे तो राष्ट्रपति हैं। लेकिन आपका जो भाषण हुआ, हम इसमें कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। आपने काम शुरू किया, इसलिए सबने हिन्दी में बोलना शुरू किया।

गंगा को हम मां बोलते हैं। आप हमारे राज्य से आती हैं और गंगा मैया की आराधना खासकर महिलाएं, ईस्टर्न यूपी से लेकर दक्षिण भारत के लोग भी हरिद्वार आते हैं। गंगा नैशनल रिवर है। गंगा दुनिया में लॉगैस्ट है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिए। इसमें कोई बात नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : महोदया, हमारे धर्म ग्रंथों में देवताओं के महादेव, उत्तर दिशा में सब देवी-देवता हैं, शंकर भगवान की जटा से गंगा निकली है। यह मामूली बात नहीं है। गंगा को हम मां बोलते हैं। यह सबके लिए जीवन धारा है। यह अमृत जल है और हमने गंगा मां को क्या बना दिया है। गंगा को हमने तीन खंड में

खंडित कर दिया। गंगा नदी उपनी गंगा हिमालय और मध्य और निचली में फरक्का, बिहार से लेकर हम गंगा मां को तीन खंड में देखते हैं। हमने मां को तीन जगह बांट दिया है। जल को बांधकर रख दिया है।

हमारे राज्य में एक कलाकार श्री रामायण तिवारी थे। शत्रुघ्न सिन्हा जी जानते होंगे। आपको याद होगा। उन्होंने गंगा मां पर एक फिल्म बनाई थी - गंगा मैया तोहे पिहरी चढ़इबो। सैंया से कब रे मिलनवा हो रहा। मायने यह है कि महिला का पति कहीं गायब हो गया, तो उसने मां गंगा से प्रार्थना की कि आपको हम पियरी चढ़ायेंगे। आप हमारे पति से मिलन करा दीजिए, खोज कर पहुंचा दीजिए और उस महिला की सब इच्छा पूरी हुई। ...(व्यवधान)

श्री शत्रुघ्न सिन्हा (पटना साहिब): श्री विश्वनाथ शाहबादी जी ने वह फिल्म बनायी थी कि हे गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ावे। ...(व्यवधान) श्री रामायण तिवारी उसमें काम कर रहे थे। ...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : वे काम कर रहे थे, तो हम उन्हीं का नाम लेंगे। ...(व्यवधान) डायरेक्टर कोई भी हो, लेकिन काम तो तिवारी जी ने किया। ...(व्यवधान) ठीक है, काम किया था। गंगा और यमुना, दोनों तीज की हम बात करते हैं, लेकिन आज गंगा को तीन खंड में बांटकर रखा गया है। ऊपर की गंगा को हिमालय रीजन में बांध लिया। एकदम ऊंचा स्थान बना दिया, बांध बना दिया। रेवती बाबू बोल रहे थे कि कई बांध फिर नीचे नरोढ़ा तक बन गये। उत्तर प्रदेश के नरोढ़ा तक गंगा के पानी को बांध कर रखा गया है। हम कहना चाहते हैं कि शरद जी, आपको जयंती नटराजन जी को कम आंकना नहीं चाहिए कि यह हलचल नहीं करेंगी। ...(व्यवधान) जयंती नटराजन जी हलचल से पैदा हुई हैं। ...(व्यवधान) हम लोगों की जो अपेक्षा है कि गंगा मैया को ...(व्यवधान) I am appreciating you Madam.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: He does not like women. I know he is anti-women.

SHRI LALU PRASAD : I am a convenor of women. ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : लालू जी, आप गंगा मैया पर बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, हमने आज दो संतों का भाषण सुना--एक गोरखपुर वाले सांसद योगी आदित्यानाथ जी का और दूसरा सतपाल महाराज जी का। वे कल दूसरी पगड़ी पहने हुए थे, आज केसरिया रंग की पहन कर आये हैं। ...(व्यवधान) भारत का रंग है, तो अच्छा है। ऐसे रंग आप बदलते रहिए। ...(व्यवधान)

महोदया, दोनों संतों से हमें उम्मीद थी कि गंगा के विषय में इन्होंने अध्ययन किया होगा, लेकिन ये कहीं से कहीं चले गये। पता नहीं ये लोग क्या प्रवचन देते हैं?

मैडम, आज हमारी गंगा मां सूख रही है। आज युमना मां, कंस की राजधानी मथुरा, 'कंस मार विध्वंस किया, गोकुल-मथुरा राज किया'। कृष्ण की भूमि मथुरा में चले जाइये, आज यमुना हमारी मां, जब वासुदेव जी का आठवां पुत्र पैदा हुआ, तो यमुना हमारी मां इंतजार कर रही थी कि कब कृष्ण के चरण यहां पधारेंगे। वह इंतजार कर रही थी। जब कृष्ण को छिपाने के लिए ले जाया जा रहा था, तो कृष्ण भगवान ने हंसते हुए अपना पैर आगे कर दिया, तो यमुना धन्य-धन्य हो गयी। आज उसकी क्या हालत है? देश भर से हिन्दू धर्म को मानने और समझने वाले लोग यहां आते हैं। मैं कई बार गया। उसके अंदर नौ-नौ नाले बह रहे हैं। आप यहां से लेकर 22 किलोमीटर तक जाकर देखिये कि यमुना की क्या स्थिति है? उसे देखकर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। आपको मालूम होगा कि अगर यमुना का पवित्र जल नहीं होता, तो शाहजहां उस किनारे पर ताजमहल नहीं बनाते। हमारे जो पुराने राजे-महाराजे थे, वे गंगा-यमुना का जल पीते थे। लेकिन जब औरंगजेब, शहजहां के चार बेटे--दारा, शुजा, औरंगजेब, मुराद--जब शाहजहां बुजुर्ग हुए, तो वहां पर उन्हें गद्दी के लिए कैद कर लिया। उनका बेटा औरंगजेब, जिसे हम भारतीय इतिहास में निर्दयी कहते हैं। उसने बाप को कैद किया और यमुना के पानी के लिए भी तरसता रहा। हम लोग विद्यार्थी रहे हैं। हमने पोलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को पढ़ा है। यमुना के पवित्र जल की खातिर औरंगजेब तड़पा रहा था। शाहजहां ने क्या कहा था, उसने कहा था हिन्दू लोग गंगा का जल पीते हैं और एक मेरा बेटा औरंगजेब है कि जिस यमुना के पानी को सियार और कूकुर पीकर अघाते हैं, पेट भरते हैं, मेरा बेटा यमुना के एक बूंद पानी के तरसा रहा है। यह इतिहास है, यमुना-गंगा का इतिहास है। आप बक्सर से आती हैं, लोगों की अपेक्षा है। बिहार के बाद सारी गंगा सूख गई है। मैंने यही मांग की है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि गंगा राष्ट्रीय नदी है, गंगा पर सबका हक है, उसके इर्द-गिर्द में रहने वाले लोगों का, इस पानी का इस्तेमाल मछुआरे से लेकर सब कोई करते हैं। जब बांग्लादेश से पानी का बटवारा हुआ, उस समय कहा गया था कि बिहार को पानी के लिए हम तकलीफ नहीं होने देंगे। लेकिन बिहार में, गंगा पर आप जाइए। जहां दुनिया में दुर्लभ है, सिंगापुर हम जाते हैं देखने, डॉलफिन फिश को देखने जाते हैं, आपके यहां पटना में हजारों सैलानी दुनिया से आए, पटना कॉलेज के सामने डॉलफिन मछली का स्टॉक हमारे पास है। भागलपुर में है। आज वहां नाले बह रहे हैं जिससे आज हमारा डॉलफिन धीरे-धीरे खतरे में हैं। यह दुर्लभ प्राणी हमारे बीच से खत्म हो रहा है। हम लोगों ने क्या इंतजाम किया, क्या हालत बना दी है? यह कहा गया था कि फरक्का बांध के बाद बिहार को हम तकलीफ नहीं होने देंगे। इस गंगा में बागमती, अघवारा,

गण्डक आदि विभिन्न नदियां पहाड़ों से आकर मिलती हैं। ...(व्यवधान) वह पानी गंगा मैया कंज्यूम करके आगे देती थीं और मछली आती थी। हजारों-लाखों मछुआरे हैं। आज लोग आंदोलन कर रहे हैं, हमारे देहात के मछुआरे आंदोलन कर रहे हैं। जब फ्लड सीजन में यह फिश उल्टा चढ़ती है, क्रॉस करती है, ब्रीडिंग करती है, करोड़ों अंडे देती है, मछली से भरा रहता था और अंतराष्ट्रीय पक्षी आते थे हमारे यहां, गोता लगाते थे गंगा में। आज हालत क्या है? पैदल जाइए, कहीं से हिल जाइए। आज हमारी मां गंगा सूख रही है। यह राष्ट्रीय नदी है, पानी का बंटवारा सही ढंग से होना चाहिए, बिहार को भी हक है और हमको रोका नहीं जाना चाहिए। पहले जो पानी आता था, सब चला गया बांग्लादेश में। हमने रोका था मुख्यमंत्री को, हमने कहा था कि बिहार के पानी का क्या होगा, कहा गया था कि हम बिहार को तकलीफ नहीं होने देंगे। हम यह नहीं कहते, हमारी ही सरकार थी, देवगौड़ा जी थे, उस समय यह हुआ। इन चीजों को देखना चाहिए। हमने पवित्र जल को दे दिया, मछुआरों के पेट पर लात मार दिया और डॉलफिन का हम नाश कर रहे हैं। नाले हर-हर करके नदी में जा रहे हैं, जितना मल-मूत्र है, यह सब वहां पहुंचा रहे हैं। ठीक कहा हमारे साथी ने, साधु-सन्त बोलते रहते हैं। यह इन्हीं का बनाया हुआ है।

गंगा के किनारे जब हम लाश को लेकर जाते हैं, प्रवाह करने जाते हैं, यमुना के किनारे जाते हैं, तो हमारे शरीर का यह जो पोर्शन है - हार्ट और लीवर, यह जलता नहीं है जल्दी। इसको कफन में बांधकरके नदी में प्रवाहित कर देते हैं। यह हम लोग करते हैं। जहां गंगा है, यमुना है, यह सारा बिल्कुल आज नरक हो गया है। इलाहाबाद में नरक हो गया है और उसी में साधु-सन्त, नागा, साउथ इंडिया से आने वाले लोग, मथुरा में हमारे कृष्ण भगवान का स्थान है, जहां कंस को मारकर, भगाकर अपनी राजधानी कायम की थी यमुना मां की कृपा से। आज वहां नौ-नौ नाले बह रहे हैं, कोई उसे देखने वाला नहीं है। लगता है कि इस देश में कोई सरकार ही नहीं है। ग्लैशियर गल रहा है।पहाड़ गल रहे हैं और पानी को रोक कर रखा जा रहा है। शरद जी, यह बहुत बड़ा खतरा हम मोल ले रहे हैं। समय-समय पर प्रकृति का मन और मिजाज़ बिगड़ रहा है, थ्रैट होता है। टिहरी बांध इतनी ऊंचाई पर बना दिया, अगर किसी दिन वह टूटेगा तो उस दिन न जाने कितने लोगों का विनाश हो जाएगा और आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर हम यह नहीं समझेंगे कि क्यों प्रकृति का मन और मिजाज़ बिगड़ रहा है, क्योंकि हम लोग ही उसके लिए जिम्मेदार हैं और उसे नष्ट करने में लगे हुए हैं तो बहुत नुकसान हमें उठाना पड़ेगा, उठा भी रहे हैं। जब स्कूल में पढ़ते थे तो मालथस थ्योरी पढ़ते थे। वह चीज यहां भी लागू होती है। प्रकृति खुद अगर कार्यवाही करने लगेगी तो सब सोते के सोते रह जाएंगे, लोग छिपकली की तरह बराबर हो जाएंगे। ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों को सब काम छोड़ कर, सरकार को प्राथमिकता देकर गंगा के पानी को सही ढंग से बंटवारा करना चाहिए। साधु,संत, गोरखपुर वाले लोग, प्रवचन करने वाले लोग भी इसके बारे में

बात करने लगे हैं। इन लोगों की रोजी-रोटी भी गंगा की पवित्रता से चलती है। इसलिए साधु-संतों के हितों का भी ध्यान रखना होगा...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, बैठ जाएं। लालू जी, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री लालू प्रसाद : हम सही कह रहे हैं। रंजन जी ने शायद कान ठीक से साफ नहीं कराए होंगे। उत्तराखंड के बाद गंगा में पानी है ही नहीं, बिहार में तो और भी हालत खराब है। गंगोत्री से लेकर हावड़ा और गंगा सागर तक पानी जाना चाहिए। गंगा में इसलिए गंदगी है, क्योंकि करंट ही नहीं है, पानी रोक दिया गया है ऊपर ही तो फिर बहाव कैसे आएगा। हम मानते हैं, हम नमन करते हैं और सभी धर्मों का आदर करते हैं। हमारे हिन्दू भाइयों के कई मंदिर गंगा किनारे हैं। हम वहां जाते हैं और स्वाभाविक है कि साधु-संत जब फूल-पत्ती और मिठाई से पूजा कराते हैं तो देवता को चढ़ाकर ये लोग भी पान करते हैं। गंगा हमारी मां है और गंगा सूख रही है इसलिए इसे बचाने का उपाय करना चाहिए। रेवती रमन सिंह जी ने जो यहां विषय रखा है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदया: पूरे सदन की यह भावना है कि गंगा को बचाया जाए। उसकी निर्मलता, उसकी पवित्रता, उसकी स्वच्छता और उसकी अविरल धारा को अक्षुण्ण रखा जाए। हमें पूरा विश्वास है कि जयंती नटराजन जी इस कार्य को अंजाम देंगी। मेरा विश्वास इसलिए भी इतना प्रबल है, क्योंकि हम गंगा माता की बात कर रहे हैं और यह स्त्री शक्ति का प्रतीक है।

17.58 hrs (Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Sir, I would like to express my thanks for giving me the opportunity to speak on the discussion under Rule 193 to prevent river Ganga from pollution and Himalayas from ruthless exploitation.

There cannot be two opinions about making Ganga, the lifeline of our country, pollution-free. It is our major river. We cannot afford to destroy this irreparably. We have to protect and safeguard it for our own benefit.

Ganga and Himalayas have been exploited beyond imagination. In spite of efforts taken by the Government, exploitation is going on unabated. For example, a Memorandum of Agreement has been signed on July 6, 2010 by the Ministry of

Environment and Forests with seven IITs for the development of Ganga River Basic Management Plan. There is no dearth of efforts from time to time.

The only reason behind over exploitation of Ganga and Himalayas is that we take them for granted.

18.00 hrs.

In spite of numerous losses, polluters and exploiters are at large and mostly go scot-free. This has been the situation over the decades. There is an urgent need for planning conservation of Ganga and Himalayas. Mission Ganga should be taken seriously by each one of us; each Member of Parliament should ensure that he or she brings awareness among their constituents about the ill-effects of over-exploitation of Ganga and Himalayas. Areas around Ganga and Himalayas should be declared eco-sensitive zones and the same should be implemented very strictly.

We often find in the newspapers that Ganga is being polluted by industrial waste which is being dumped, in spite of the tall claims by the Government.

MR. CHAIRMAN : Please wait.

The discussion on this subject may be continued later. You can continue later. We are now taking up 'Zero Hour'.

… (*Interruptions*)

DR. RATNA DE : Sir, let me finish this.

MR. CHAIRMAN: You can continue this later. There is no problem.

DR. RATNA DE : When?

MR. CHAIRMAN: They will let you know afterwards.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY): Sir, let us be clear. Are we continuing this after 'Zero Hour'?

MR. CHAIRMAN: Not today, after the 'Zero Hour'. About tomorrow, it is not yet finalized. The date will be announced later. She could continue whenever this is taken up.

SHRI RUDRAMADHAB RAY (KANDHAMAL): Sir, I want to mention about the faulty policy of the Government with regard to recruitment to the IPS.

Till now, as per the Indian Police Service Recruitment Rules, 1954, there are two methods for recruitment to IPS – that is, two-third candidates by a competitive examination which is from the open market, through the UPSC Civil Services Examination, and second, one-third candidates by promotion from substantive members from the State Police Service. Now, the Central Government has framed new rules and added a third method of recruitment by Limited Competitive Examination. All the Assistant Commandants of Central Paramilitary Forces like BSF, CRPF, SSB, CISF and ITBP, and Captain and equivalent rank officers from the Defence Services like Army, Navy and Air Force, and DSP of the State Police services who have put in five years of service up to the age of 35 years, which will be 36 years or 37 years for the reserved categories, are eligible for this Examination. This Examination will be very soft and much below the standard of UPSC Examination.

In accordance with article 320 of the Constitution of India, the Central Government is bound to consult with the UPSC in the matter of principles to be followed in making appointments to the IPS and as such, action of the Central Government in this regard is illegal, unconstitutional and violative of articles 320 of the Constitution of India. Hence, I urge upon the Government not to proceed further in the execution of the new recruitment policy..

श्रीमती अन्नू टण्डन (उन्नाव): सभापति महोदय, आज सुबह भी मैंने इस विषय पर माननीय मंत्री महोदया से सवाल किया था। यह बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या मेरे क्षेत्र की है। प्रदूषण के मामले में मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं। मेरे लोकसभा क्षेत्र उन्नाव में भूमिगत पानी दिन-प्रतिदिन जहरीला और प्रदूषित होता जा रहा है। यहां के जो टैनिंग यूनिट्स हैं, स्लाटर हाउसेस हैं, वे बेधड़क जो हैजार्डस वेस्ट को आस-पास के इलाकों में फैंक देते हैं या रिवर्स बोरिंग कर देते हैं और अनट्रीटेड इफ्लुएंट्स को हमारे जल स्रोतों में छोड़ रहे हैं। इस बात की पुष्टि मार्च 2012 की एक रिपोर्ट जो सैंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की तरफ

से आई है और वर्ष 2009 में भी यह रिपोर्ट आई थी, इसे इस रिपोर्ट में कंफर्म किया गया है कि यहां पानी में अत्यधिक प्रदूषण है। इस रिपोर्ट के अनुसार उन्नाव के जल स्रोतों में टोटल क्रोमियम, हैक्सावेलेंट क्रोमियम, सैलिनिटी की मात्रा बीआईएस द्वारा निर्धारित मानकों से काफी अधिक पाई गई है। यह पाया जाना कोई प्राकृतिक मामला नहीं है, बल्कि यह इंसान की लापरवाही अथवा जानबूझ कर प्राकृति से खिलवाड़ करने का नतीजा है।

मैं जानती हूं, मैं चाहती भी हूं और मानती भी हूं कि अपने क्षेत्र में मुझे रोजगार की आवश्यकता है। यहां उद्योग की आवश्यकता है, लेकिन उद्योग केवल अपने मुनाफे को ध्यान में रखकर अगर प्रदूषण संबंधी नियम-कायदों का खुला मज़ाक करें, तो यह हमें मंजूर नहीं है। अब तो यह स्थिति आ गई है कि सैंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा उन्नाव प्रशासन को पानी के कई जल स्रोतों को सील करने के लिए कहा गया है, जो कि ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में ऐसे हैंड पम्प हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार और वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टरी, एनवायरमेंट एंड फारेस्ट मिनिस्टरी तथा कामर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री सभी संबंधित अधिकारियों से हाथ जोड़ कर आग्रह करना चाहती हूं कि अब समय आ गया है कि ऐसी औद्योगिक इकाइयों को देश के किसी भी कोने में उनके खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। हमारे उन्नाव क्षेत्र में ऐसे कड़े कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब उन्नाव का भविष्य इनके हाथों में है।

मैं उत्तर प्रदेश की नई सरकार से भी अनुरोध करना चाहती हूं कि इस समस्या को गंभीरता से ले, क्योंकि इसमें बहुत राजनीति हो चुकी है। हमें राजनीति से ऊपर उठकर अपने क्षेत्र को अवश्य बचाना चाहिए। आज मेरे सवाल के उत्तर पर माननीय मंत्री महोदया ने यह भी कबूल किया कि सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनकी मिनिस्टरी द्वारा एक नई टेक्नोलोजी को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हुई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि अगर वह टेक्नोलोजी कामयाब नहीं हुई, तो काई और टेक्नोलोजी के लिए प्रयास करना चाहिए। आधुनिक युग है, टेक्नीकल युग है, लेकिन इस प्रदूषण को रोकना बहुत आवश्यक है। मैं कई बार इस विषय को उठा चुकी हूं और मैं चाहती हूं कि सदन मेरी बात को पूरी तरह से समझे।

SHRI K. P. DHANAPALAN (CHALAKUDY): Thank you for giving me this opportunity to raise a very serious issue of urgent importance.

In Kerala monsoon is about to start in the first week of June. For the past few years the State of Kerala has succumbed to a series of diseases during the period of monsoon. The basic reason seems to be insufficient sanitation facilities. Garbage problem is increasing in cities as well as in rural areas. Besides multiple

increases of mosquitoes and rats, which spread diseases like Dengue fever, Chikungunya, H1N1, Malaria and other communicable diseases, it is seen that the systems installed for the treatment of waste are not functioning properly in most of the areas.

Action for controlling mosquitoes and rats and sanitation activities after the outburst of diseases is a waste exercise. The Government of India has wide amenities for ensuring public health and sanitation through its schemes and machineries like National Rural Health Mission which aims at effective integration of health concerns with determinants of health like sanitation and hygiene, nutrition and safe drinking water, through a District Plan for Health.

Hence, I would request that necessary scheme with sound financial assistance may be provided by the Government to the State of Kerala for proper maintenance of public health. I would also request the Government to have a Total Sanitation Programme for supporting the local self-Government authorities in their effort of treatment of waste thereby avoiding occasional outburst of diseases. It is essential to ensure proper availability of essential medicines at reasonable prices by keeping an eye on the actions of the drug companies and stockists as this only can enable the people of the lowest strata better treatment facilities.

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): सभापति महोदय, आदिवासी जनजाति के भूमि अधिकार को अन्य अनेक प्रावधानों की सहायता से एवं कई षड्यंत्र रच कर वंचित किया जा रहा है। वर्ष 2006 में वन अधिकार कानून बना, जिससे आदिवासियों का वन भूमि पर रहने एवं विकास कार्य करने का अधिकार मिला हुआ है। परन्तु राष्ट्रीय अभ्यारणय और फारेस्ट एक्ट के कारण इस कानून का पालन समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा है। अगर ईमानदारी से इस कानून का पालन किया जाए तो जनजातियों की आधी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। जनजातियों की सामूहिक हकदारी, जमीन के पट्टों पर कब्जा, पशु रखने एवं चराने जैसे जीवन यापनजैसे कार्य नहीं हो पा रहे हैं। भारत सरकार का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय आज जनजाति मंत्रालय पर भारी पड़ रहा है। आदिवासी समाज वन एवं पर्यावरण के कानूनों को काला कानून कहकर संबोधित करता है। गुजरात में मेरे संसदीय क्षेत्र में नर्मदा जिले के अभ्यारण्य क्षेत्र और रिजर्व फोरेस्ट

एक्ट के अंतर्गत कंजाल, फूलसर, गढ़, बेबार, गढ़ीजंतर, बाघउमर, कणजीवांदरी, जुनाराज, कमोदिया, झरवाणी, आंबागांव, सुकवाल जैसे 50 से 60 गांव समाविष्ट हैं। यहां पक्की सड़कें, पुल, नाले, बिजली, सिंचाई, शुद्ध पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था नहीं है। इस क्षेत्र के आदिवासी लोग आज भी आदि मानव जैसा जीवन जी रहे हैं।

मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वन एवं पर्यावरण कानून, जो जनजातियों के विकास में बाधक है, उनकी समीक्षा की जाए और समाज के अन्य वर्गों की तरह आदिवासियों का संपूर्ण विकास किया जाए।

श्री प्रभातसिंह पी. चौहान (पंचमहल): महोदय, मैं अपने आपको इस विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, the country has been committed to deliver opportunities to all sections of the people of our society since Independence. We have enshrined in our Constitution reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We have initiated a plethora of schemes in order to upgrade the lives of those people, especially, who are vulnerable. It is striking to note that still the rate of poverty is declining in India, but in the same tone I have to acknowledge that the rate of poverty which is declining has demonstrated a lower percentage among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in comparison to the upper caste people. It means that still there is a serious mismatch of poverty between Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the upper caste population in our country. It needs to be corrected.

Insofar as Scheduled Tribes are concerned, Scheduled Tribes are worst off in Madhya Pradesh. There are 40 per cent of Scheduled Tribes in Madhya Pradesh who do not own any basic consumer durables.

A number of *Dalit* proponents are expressing their views everyday in this House. But it is also intriguing to note that *Dalits* are worst off in Bihar, Madhya Pradesh, Jharkhand and Orissa, where a third do not own any such asset.

I also appreciate the endeavour of other States, especially, Kerala, Tamil Nadu and Punjab where the asset owning of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is much higher than the other sections of the population.

MR. CHAIRMAN : What do you like to tell me? You should come to the point. What do you want from the Government?

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, first of all, I have to draw the attention of this House.

MR. CHAIRMAN : During 'Zero Hour', you cannot just go on speaking.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, there is a serious mismatch in the distribution of wealth. There is a regional disparity insofar as ownership of assets is concerned. It is all evident that Scheduled Castes and Scheduled Tribes are lagging behind in owning the assets and minimum consumer durables. Only three or four States are recongnised as exceptional in upgradation of the people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Therefore, I would urge upon this Government to take serious measures so as to minimize the disparity which has been prevalent. Otherwise, the goals of this Government will remain evasive.

MR. CHAIRMAN: You have already mentioned all these things.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, the newly released Census 2011 data shows that while 17.8 per cent of households across India do not own a phone, a computer, TV, radio, bicycle or any vehicle, this proportion is 22.6 per cent for Scheduled Castes, 37.3 per cent for Scheduled Tribes and 14 per cent for "others".

Sir, I would appreciate your State which has provided more and more opportunities to the backward people of our society. I would urge upon the Government to take special measures so as to minimize these disparities.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रति वर्ष व्यास पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक दो माह तक श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा चलती है। इसमें देश-विदेश से हिन्दू श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ की गुफा में भगवान के दर्शन करते हैं। इस वर्ष लगभग आठ से दस लाख श्रद्धालुओं के अमरनाथ जाने की संभावनाएं हैं। इस वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, 4 जून को है और श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन दो अगस्त को पड़ रही है। नियमतः यह यात्रा चार जून से दो अगस्त तक होनी चाहिए। लेकिन श्री

अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष के नाते जम्मू-कश्मीर के महामहिम राज्यपाल ने दो महीने की यात्रा की इस अवधि को घटाकर मात्र 39 दिन कर दिया है। 2009 से पहले यह यात्रा साठ दिनों की होती थी और इस संबंध में 2004 में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश जस्टिस कोहली ने भी यह निर्णय दिया था कि यह यात्रा कम से कम साठ दिन होनी चाहिए। आखिर आठ से दस लाख श्रद्धालु मात्र 39 दिन में इस यात्रा को कैसे कवर कर पायेंगे, जबकि श्राइन बोर्ड एक दिन में मात्र दस हजार श्रद्धालुओं को बमुश्किल यात्रा कराने की सुविधा उपलब्ध करा पाता है। इसलिए जम्मू-कश्मीर की सरकार सीधे-सीधे हिन्दुओं की धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसके संवैधानिक अधिकार से उसे वंचित करके उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। जब हम अमरनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं तो दो उसके लिए दो मार्ग हैं। प्रथम पहलगाम से चंदनबाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी होते हुए 32 किलोमीटर का पैदल मार्ग जाता है और दूसरा मार्ग सोनमर्ग, बालटाल होते हुए है, जिसमें लगभग 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। जब मानसरोवर की यात्रा मई माह में प्रारम्भ हो सकती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 22 हजार फीट है। केदारनाथ की यात्रा अप्रैल माह में शुरू होकर छः माह तक चल सकती है तो फिर 13500 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीअमरनाथ जी की पवित्र गुफा के दर्शन करने की अनुमति दो माह के लिए सरकार क्यों नहीं देती है, कहीं न कहीं सरकार के मन में एक खोट है।श्राइन बोर्ड की अकर्मण्यता है या फिर एक खोट है जो हिंदुओं की भावनाओं के साथ कुठाराघात है। ऐसा नहीं है कि यात्रा पूर्व में जून में प्रारंभ न होती रही हो। लगातार सरकार अपनी मर्जी से तिथि तय करती है। हमारे यहां पर्व और त्योहारों की तिथि हिंदु धर्माचार्य करेगा, उसके मुहूर्त और लग्न तय करेगा। यह श्राइन बोर्ड का अधिकार नहीं है। श्राइन बोर्ड को यात्रा की सुरक्षा, यात्रा की व्यवस्था का अधिकार है। उसके मुहूर्त और लग्न हिंदू धर्माचार्य तय करेंगे और जब व्यास पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक तिथि तय है तो फिर इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप उचित नहीं है।

इससे पहले भी जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के कारण सन् 2008 में श्राइन बोर्ड की जमीन को वापस करने के मुद्दे को ले कर के वहां के हिदू श्रद्धालुओं को आक्रोशित किया गया था। लोगों में बड़ा आक्रोश था और वहां पर बड़ा तीव्र आंदोलन हुआ था। इससे पहले सन् 2009 में अलगावादियों ने भी इस बात को कहा था कि यात्रा के दिन कम किए जाएं। अगर आज यह शंका पैदा हो रही है कि राज्यपाल उन अलगावादियों के दबाव में काम कर रहे हैं, जो अनावश्यक नहीं, क्योंकि पूर्व में इस प्रकार का कार्य उनके द्वारा किया जा चुका है।

मैं, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि यात्रा को यथावत रखा जाए। दूसरा, अमरनाथ श्राइन बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए। इसमें सत्तर प्रतिशत कर्मचारी हिंदू धर्मावलंबी नहीं हैं। किसी भी धार्मिक बोर्ड में उस धर्म से जुड़े हुए अनुयायी, उस बोर्ड के मेंबर होते हैं। कोई अन्य मेंबर नहीं होता,

जिनकी उस बोर्ड के प्रति आस्था न हों। लेकिन दुर्भाग्य से अमरनाथ श्राइन बोर्ड में इस प्रकार के सदस्य हैं। उसका पुनर्गठन कर के हिंदू धर्मावलंबियों और धर्माचार्यों को उसमें स्थान दिया जाए। दूसरा, पहलगांव और बालटाल में 15 से 20 हजार यात्रियों को रखने की व्यवस्था के लिए विश्रामालय की व्यवस्था की जाए क्योंकि अक्सर मौसम खराब होने के कारण यात्रियों को वहां पर रूकना पड़ता है और वहां पर विश्रामालय की सुविधा न होने के कारण या बुनियादी सुविधा न होने के कारण श्रद्धालुओं को समस्या होती है।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि बालटाल और पहलगांव में यह सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए।

MR. CHAIRMAN: Shri Mahendrasinh P Chauhan, Dr. Virendra Kumar and Shri Rajendra Agrawal may be allowed to associate with the submissions made by Shri Yogi Aditiyanath.

SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): Mr. Chairman, Sir, Pudukottai, an assembly segment of my parliamentary constituency in Tamil Nadu is one of the largest cities in the State. The city is having a large number of colleges which provide a great platform for quality education in the fields of engineering, arts, social science, commerce and journalism. Moreover, a large number of Central Government offices and Public Sector Undertakings are located in Pudukottai district and a number of families of Defence personnel are also settled there.

The Government of India has started Kendriya Vidyalayas with the objective of providing educational facilities of a unique standard throughout the country to the children of Central Government employees whose jobs are transferable. However, Pudukottai is not having any Kendriya Vidyalaya. There is an urgent need to set up one such Kendriya Vidyalaya in Pudukottai to fulfil the long-pending demand of the people of this district.

I, therefore, urge upon the Union Government to set up a Kendriya Vidyalaya in Pudukottai district of Tamil Nadu at the earliest.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति जी, आज दिन भर देश में रोल मॉडलो की बात होती रही। मैं एक ऐसे ही रोल मॉडल का जिक्र कर रहा हूं। भारत के महान सपूत लाला हरदेव सहाय ने देश की अनेक क्षेत्रों में निःस्वार्थ सेवा की है। उनका जन्म हरियाणा में हिसार जिले के सातरोद नामक गांव में 26 सितंबर 1892

को हुआ था। वह प्रथम हरियाणवी थे, जिन्होंने सन् 1912 में अपने पैतृक गांव सातरोद में हिंदी माध्यम का स्कूल खोला और उसके पश्चात अनेक गांवों में 65 स्कूल व एक शिल्पशाला खोल कर ग्रामीण जनता की अज्ञानता व बेकारी दूर करने का प्रयास किया तथा उनमें राष्ट्रीय जागृति पैदा करने का अभियान चलाया।

लाला जी द्वारा स्थापित विद्यालय तथा लाला लाजपत राय शिल्पशाला का अवलोकन करने नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा पं. जवाहर लाल नेहरू भी सातरोद पहुंचे थे। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलनों में वे सन् 1921 व सन् 1942 में गिरफ्तार हुए तथा दोनों बार उन्हें एक-एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई। समर्पित गोरक्षक के नाते लालाजी ने देश भर में एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया जिसके फलस्वरूप संविधान में धारा 48 सम्मिलित की गई तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, मेवात आदि क्षेत्रों में गोवध कानूनी तौर पर निषेध हुआ।

स्वदेशी के प्रति भी लाला हरदेव सहाय जी का लगाव अनुपम था। सन् 1930 में अपने घर में हथकरघा लगाने वाले वह पहले व्यक्ति थे। 30 सितम्बर 2012 को उनके निधन को 50 वर्ष हो जायेंगे।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि भारतीय संस्कृति के प्रतीक तथा स्वदेशी, स्वभाषा व गोरक्षा का आग्रह रखने वाले महान देशभक्त लाला हरदेव सहाय की स्मृति में डाक टिकट जारी करके सरकार सम्पूर्ण देश की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करे।

MR. CHAIRMAN : Shri Arjun Ram Meghwal and Shri Mahendrasinh P. Chauhan are allowed to associate themselves with the matter raised by Shri Rajendra Agrawal..

SHRI MAHENDRA KUMAR ROY (JALPAIGURI): I would like to raise a matter regarding the pathetic financial condition of tea plantation labourers. Tea industry is a very profitable industry of our country. This industry earns a vast quantity of foreign exchange for our country. Day-by-day the tea plantation owners have become richer to the richest, but the employees of tea gardens have become poorer to the poorest. They are getting only a minimum wage of Rs. 69 to Rs. 90 per day, though in MGNREGS the labourers are getting Rs. 136 and the agricultural labourers are getting Rs. 152 to Rs. 200 per day. So, these tea plantation labourers are getting very negligible rate of wages.

The Union Government is thinking of declaring tea as national drink of our country. I congratulate the Government for this step. But I want to bring to the

notice of this Government the hardships being faced by the workers who are engaged in this industry. More than half a century has passed since the formation of the last Central Wage Board for tea plantation industry. Till date a lot of changes has taken place in tea plantation industry. More than two million workers are engaged in this very important sector of the economy of India, which is continuously growing over the years.

As you know, in absence of any consistent, uniform and resolute approach and intervention on the part of the Government, the structure as well as the rates of wages of these workmen of this industry have failed to evolve a fair standard on all counts keeping pace with the developing economy of the country. As a result, presently the wages of the workmen in this industry is the lowest in comparison to any other organised sector. It varies to a great extent in various regions and even within regions too.

The stand and intention on the part of employers could succeed in frustrating and negating the declared motto of the last Central Wage Board from evolving a fair structure of wages. Having no proper and dynamic link with the rising Consumer Price Index, the real wages of these workmen of this industry have significantly been eroded over the last fifty years, leading to growing distress, malnutrition, backwardness, migration and unrest.

Besides all this, there is no Minimum Support Price or Minimum Retail Price for tea and the price of tea is always decided by auction. In the absence of any effective policy the tea garden owners gave the excuse of huge losses in the name of auction and other unrelated things.

Through this august House, I would request the hon. Minister to intervene in the matter as he deems appropriate and to fix a MSP or Minimum Retail Price for tea and also to form a Central Wage Board for tea plantation industry at the earliest.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): महोदय, एफडीआई जो नया इंट्रोड्यूज किया है, उसके मार्फत बहुत सारी विदेशी कंपनियां हिन्दुस्तान की कंपनियों में पैसा लगा रही हैं। लेकिन कुछ गाइड लाइन्स ऐसी हैं

और जो तकलीफ उनके सामने बहुत जबरदस्त तरीके से आ रही है कि बाहर की कुछ कंपनियां 10-15 परसेंट पैसा लगाती हैं, इक्विटी शेयर खरीदती हैं, उसके द्वारा वे उस कंपनी पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसके प्रोफिट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनके प्रोफिट्स को लोन में बदलने की कोशिश करते हैं। उस पर कंपाउंड इंटरस्ट लगाकर उसे थर्ड पार्टी को बेच देते हैं। फिर उस कंपनी को बेचने की या उस पर पूरी तरह हावी होने की, या कंट्रोल करने की कई कोशिशें हो चुकी हैं और इसके कई मामले सामने आए हैं। हिन्दुस्तान का एक दैनिक पेपर है जिसके ऊपर उन्होंने इस तरह का कुठाराघात किया और जिसकी चिट्ठी भी मैंने प्रधान मंत्री जी को लिखी थी। मैं यह चाहता हूँ कि इसमें कुछ गाइडलाइन्स हैं जो सरकार को ज़रूर बनानी चाहिए।

1. whether the exit price as foreign investors mentioned in their Investment Agreements, i.e., minimum assured return of 25 per cent – 40 per cent compound interest on dollar terms, is in consonance with the RBI guidelines and FIPB approval for FDI for equity investment;

2. whether the same would convert the nature of equity investment to External Commercial Borrowing;

3. whether the affirmative voting rights as Investors mentioned in the Investment Agreements violate sectoral cap of 26 per cent, if any, in that sector;

4. whether they are in contravention of RBI guidelines, FDI policy, the Companies Act and the approval letters of FIPB where no such disclosures and/or permissions sought/given and they control Indian companies through minority shares;

5. whether the in-built options or supported by options sold by third parties in the Investment Agreement would lose their equity character as envisaged in the Companies Act 1956;

6. whether they violate Indian FDI laws and norms;

7. whether the same would convert the nature of investment to debt and what shall be the impact of such equity investments in India that have such fixed returns if they are all treated as debt instead of equity? What shall be the impact of such debt on the sovereign credit rating of the country?

मैं सरकार से दर्ख्वास्त करूँगा कि वह इस पर कदम उठाकर इसकी कुछ गाइडलाइन्स जल्दी से जल्दी बनवा दें ताकि इंडियन कंपनीज़ सेफ रहें।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): धन्यवाद सभापति महोदय। लोक सभा खुदा की इबादत है पर यह उस खुदा की इबादत नहीं है या उस ईश्वर की आराधना नहीं है जो मस्जिदों अथवा मंदिरों में रहता है। यह उस खुदा की इबादत है जो लाखों-करोड़ों की संख्या में अपना शरीर और आत्मा लिए हुए सोते-जागते, भूखे-प्यासे, अँधेरे में, प्रकाश में, गम में, खुशी में रहता है और सच पूछिये, इसी खुदा की बदौलत मंदिरों और मस्जिदों में श्रद्धापूरित आत्माएँ जीवित हैं, उनकी भोग क्रिया भी जीवित है, उनका स्तुति गान भी जीवन्त है। परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि मंदिरों, मस्जिदों में रहने वाली आत्माएँ जिनसे जीवंत हैं, वे स्वयं सुखाड़ से मर्माहत हैं।

मगध प्रमंडल के गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरबल एवं मुंगेर प्रमंडल के जमुई, शेखपुरा, बांका, लखीसराय तथा भोजपुर के आरा, रोहतास, भभुवा आदि पठारी हिस्सों में रहने वाली करोड़ों की आबादी पेयजल, सिंचाई और अपनी पैदावार के रखरखाव के लिए प्रताड़ित, उपेक्षित है और उनकी आर्तनाद अनसुनी है। बिहार सरकार उनकी पीड़ा को सुनकर भी अपेक्षित योजनाओं का कार्यान्वयन निधि के अभाव में सुचारू रूप से नहीं कर पा रही है। बिहार में 67 लाख टन धान की पैदावार हुई है और गेहूँ की पैदावार भी बम्पर हुई, पर इनके रख-रखाव और बोरियों का प्रबंध नहीं होने के कारण हज़ारों करोड़ रुपये का अनाज सड़ जाने की स्थिति में है। ...(व्यवधान) बिहार अपनी अस्मिता के लिए संघर्षरत है और केन्द्र सरकार का यह कर्तव्य है कि बिहार के विकास में भारत के विकास को देखने की प्रवृत्ति अपनाए। मैं सदन के माध्यम से केन्द्र का ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि वह गया, मुंगेर, भोजपुर प्रमंडलों में जो व्याप्त सुखाड़ उपस्थित है, उसमें बड़े पैमाने पर टास्क फोर्स का गठन कर आहर, पईन, ताल-तलैया, पहाड़ी चापाकल आदि का योजनाबद्ध तरीके से प्रबंधन करे ताकि हम लाखों करोड़ों देवताओं की इस सेवा से उनकी आराधना कर सकें।

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दामोदर वेली कॉर्पोरेशन के विस्थापितों की समस्या पर रखना चाहता हूं।

महोदय, दामोदर वेली कॉर्पोरेशन को बने करीब पचास वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इस परियोजना के मैथन पंचेत तथा तिलैय्या डेम के विस्थापितों की आज तक नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायी है। इतने वर्षों से लगातार सीधे नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन विस्थापितों को उचित भागीदारी नियोजन में नहीं दी गई है, जिसकी वजह से विस्थापितों की समस्या ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। विस्थापित परिवार

लगातार आंदोलन कर रहे हैं और हर एक आंदोलन में हजारों की संख्या में परिवार भाग लेते हैं और हमेशा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। पिछले वर्ष तीन-चार बढ़े आंदोलन हुए थे और जून में फिर से बढ़े आंदोलन करने की तैयारी में है। अतः सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि सभी विस्थापितों के परिवारों को मान्य नियम के अनुसार, जो नियम है, उसके अनुकूल अविलम्ब नियोजन की व्यवस्था करे। सरकार उनको नियोजन के बदले एक छोटी सी राशि देने के लिए तैयार है, लेकिन उनको नियोजन देने को तैयार नहीं है। वे लोग उस राशि को लेने को तैयार नहीं हैं, इसलिए सरकार से मेरी मांग होगी कि वह उनको इम्पलॉयमेंट दे, उनका नियोजन करे।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया।

महोदय, मैं पान की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। भारत में लगभग तीस हजार हेक्टेयर पर पान की खेती की जाती है। जिससे करीब दो करोड़ लोगों को रोज़ रोजगार मिलता है। पान एक औषधीय वनस्पति है, जिसका उपयोग औषधि बनाने के साथ-साथ मुख शद्धि तथा पूजा पाठ इत्यादि में किया जाता है। भारतीय पान लगभग तीस देशों में निर्यात किया जाता है। जिससे लगभग 1.55 करोड़ अमरीकी डॉलर विदेशी मुद्रा के रूप में भी प्राप्त होते हैं। पान अत्यन्त कोमल और नाज़ुक होता है और इसकी खेती में आमदनी के साथ लागत भी अधिक होती है। ऐसी स्थिति में यदि फसल किसी प्राकृतिक आपदा, अधिक ठण्ड, अधिक गर्मी, ओलावृष्टि और पाला पड़ने से नष्ट हो जाती है तो किसान का नुकसान भी बहुत अधिक होता है और इसकी खेती पर आंशिक रूप से खराब न होकर पूरी की पूरी एक साथ खराब हो जाती है। खेती को नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति के मानक गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिसमें पान की खेती सम्मिलित नहीं है। जिसके कारण इस खेती में नुकसान होने पर किसानों को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पान की खेती करने वालों को किसी प्रकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है, क्योंकि पान की खेती राष्ट्रीय बागवानी मिशन में भी सम्मिलित नहीं है। पान की फसल को कृषि का दर्जा प्राप्त होने के बाद भी किसान को केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिए जा रहे सहायता अनुदान का लाभ नहीं मिलता है। पान की खेती करने वालों को विशेष प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1980 में एनबीआरआई द्वारा बनथरा लखनऊ और महोबा में पान अनुसंधान केंद्र खोला गया, जिसे वर्ष 2002 में एनडीए सरकार द्वारा बंद कर दिया गया, जबकि इनसे पान किसान लाभांवित हो रहे थे। मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि आप आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा

तैयार की गई स्टेट तथा नेशनल डिजास्टर रिस्पोंस फंड के दिशा-निर्देशों में परिवर्तन करते हुए पान की खेती को भी सम्मिलित करें। मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से भी अनुरोध है कि पान की खेती को राष्ट्रीय बागवानी मिशन में सम्मिलित करें तथा बनथरा लखनऊ और महोबा में बंद पड़े एनबीआरआई के पान अनुसंधान केन्द्र को पुनः खोला जाए।

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच) : महोदय, मैं अपने आपको श्री पुनिया द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करना चाहता हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह (सागर): माननीय सभापति जी, हमारा जो सागर शहर है, पूरे सागर शहर के अन्दर अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों की आबादी अधिकांश संख्या में है। सागर में अगर हम व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो बीड़ी और अगरबत्ती का ही मुख्य रूप से व्यापार है, व्यवसाय है। वहां अशिक्षा है, गरीबी है। इतना बड़ा शहर होने के बावजूद भी सागर शहर को आज तक, भारत सरकार के द्वारा जो जे.एन.एन.यू.आर.एम. स्कीम का फेज-टू शुरू हो रहा है, इसमें उसे सम्मिलित नहीं किया गया है।

माननीय सभापति जी, सागर की हालत यह है कि जब हमारे सागर में पेयजल का गंभीर संकट था और पीने का पानी नहीं था तो लाखा बंजारा नामक एक बंजारा था जिसने सागर की जनता की प्यास बुझाने के लिए अपने बेटे की बलि दी और बलि देकर उस स्थान पर तालाब बनाने का काम किया। वह 400 एकड़ में फैला बहुत बड़ा तालाब है। आज वह पूरा तालाब सिल्ट-अप हो गया। हमारे पूरे शहर का सीवर सिस्टम उस तालाब के अन्दर जा रहा है और कल के दिन ही लगभग एक लाख क्विंटल मछली उस तालाब के अन्दर मर गयीं क्योंकि उस तालाब में सारा सीवर जा रहा है। उसमें ऑक्सीजन खत्म हो गया और उस तालाब के अन्दर से ट्रकों में भर-भर कर मछलियां फेंकने का काम हो रहा है।

अगर हमारे तालाब का गहरीकरण होना चाहिए। वहां पर सीवर सिस्टम के लिए भारत सरकार से पैसा मिलना चाहिए। हमारे यहां सड़कें नहीं हैं। सड़कों के चौड़ीकरण करने की आवश्यकता है। परिवहन की व्यवस्था नहीं है। हमारी पूरी यातायात व्यवस्था बिगड़ी हुई है। वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। ...(व्यवधान) अब मैं खत्म कर रहा हूं। मैं अपनी मांगों पर आ रहा हूं।

माननीय सभापति जी, मैं चाहता हूं कि हमारे यहां रिंग रोड की आवश्यकता है, पार्किंग नहीं है, औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा है, कचरे का प्रबंधन नहीं है। हमारे यहां बस स्टैण्ड नहीं है। वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे सागर के अन्दर कोई पार्क नहीं है, स्टेडियम नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि हमारे सागर शहर को जे.एन.एन.यू.आर.एम. स्कीम के अंतर्गत फेज-टू में सम्मिलित किया जाए।

श्री प्रेमदास (इटावा): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के रेल मंत्रालय का ध्यान एक महत्वपूर्ण बिन्दु पर आकृष्ट करना चाहता हूं। बहुत दिनों बाद रेल मंत्रालय का माल रेल कॉरीडोर दिल्ली से कोलकाता के बीच बनने जा रहा है। यह बड़ी खुशी की बात है। जनसंख्या बढ़ गयी, देश का विकास हो रहा है। नयी रेल लाईन बनाना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन, मैं रेल मंत्रालय से यह मांग करता हूं कि जो शहर के किनारे महत्वपूर्ण जमीन थी, उसका उचित मुआवजा वहां के किसानों को नहीं दिया जा रहा है। जो वर्ष 2006 में रेट थी, वर्ष 2012 में उसी के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। किसान भुखमरी पर है। किसान की पूंजी खेती होती है। जब खेती ही नहीं रहेगी तो किसान क्या करेगा?

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि किसानों की जमीन का उचित रेट दिया जाए। रेल मंत्रालय ने दिनांक 16.07.2010 को एक सर्कुलर जारी किया कि हर परिवार को जिसकी जमीन गयी, उसको एक नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा, मैं कहना चाहूंगा कि किसानों की बगैर सहमति के उनकी जमीन ली जा रही है। किसानों की जमीन पर उनका नाम पृथक् करके उस पर रेल मंत्रालय का नाम दर्ज़ किया जा रहा है। यह बहुत बड़ा अन्याय है। इसे रेल मंत्रालय गंभीरता से ले। अगर यह मामला ठीक नहीं किया गया तो किसान आंदोलन के लिए तैयार है। वह भुखमरी पर आ गया है। इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Mr. Chairman, Sir, I would like to invite the attention of the Government towards the need for immediate consideration of HIV/AIDS Bill. The Bill, which aims to protect the rights of people infected by HIV, continues to be pending for almost six years now. The people living with HIV/AIDS face some of the worst human rights violation in our country. There are more than 20 lakh persons living with HIV/AIDS in India. They are discriminated merely because of their HIV status. The children are refused admission in schools and patients denied treatment in hospitals. In the absence of a comprehensive statute, HIV positive people remain vulnerable to human rights violations. The Bill requires immediate attention and serious consideration. I request the urgent attention of the concerned Ministries in this regard.

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि इस गम्भीर समस्या पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र देवरिया जिले के बरहज विधान सभा क्षेत्र में बरहज गैस सर्विस पर अनेकों समाचार-पत्रों में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के समाचार आने, न्यायालय में इस एजेंसी के खिलाफ मामला चलने, देवरिया जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मामला दर्ज करने के कारण इस एजेंसी को सील कर इसका लाइसेंस रद्द भी कर दिया, परन्तु इंडियन ऑयल कारपोरेशन के भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलीभगत कर देवरिया जिले के डी.एम. का एक जाली पत्र में न्यायालय में कोई मामला दर्ज नहीं है, के आधार पर जल्दी-जल्दी कुछ माह में इस एजेंसी के बन्द रहने के बाद भी इसे दोबारा खोल दिया गया।

MR. CHAIRMAN: If there is any allegation, it will not go on record.

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल : इस सम्बन्ध में मैंने संसदीय प्रश्न भी करवाया, उस प्रश्न के उत्तर में गुमराह करने का प्रयास किया गया। मामले पर नवम्बर, 2011 में विशेषाधिकार के अन्तर्गत कार्रवाई करने का अनुरोध माननीय पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जी से भी किया एवं आई.ओ.सी. के सी.एम.डी. एवं निदेशक, एल.पी.जी. को पत्र देकर इस प्रकरण की जानकारी दी गई और उनके अनुरोध पर फैक्स भी दिया गया।

मुझे सदन को यह बताते हुए खेद हो रहा है कि केन्द्र सरकार ने इस भ्रष्टाचार एवं डी.एम. जाली पत्र लगाने वाले एवं स्वीकार करने वाले के खिलाफ 420 के तहत मामला अभी तक दर्ज नहीं किया, जबकि देवरिया के डी.एम. ने इस गैस एजेंसी को पुनः खोलने पर आपत्ति जताई है। सदन में यह बताते हुए खेद हो रहा है कि सरकार ने इस प्रकरण में डी.एम. के जाली पत्र के प्रयोग पर एवं कालाबाजारी एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि देवरिया जिले कि बरहज गैस सर्विस पर देवरिया जिले के डी.एम. का जाली पत्र का प्रयोग करने एवं उसके द्वारा की गई कालाबाजारी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई जनहित में है, मगर आई.ओ.सी. कम्पनी की मिलीभगत से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इससे तो यही महसूस होता है कि यह दौरे तबाही है और शीशे की अदालतें हैं, पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं भी ऐसी तमसील नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है।

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMRAJANAGAR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to raise an important matter. Two days back, on 12th May a major accident happened in my constituency in which five women died on the spot and nine women were severely injured. These five women who are dead and nine women who are seriously injured, they all belong to a poor

Scheduled Tribe agricultural labour family. So, I would request the Government of India to pay adequate financial assistance to the poor Scheduled Tribe agricultural labour family. I personally visited the site of the accident. The situation is really deplorable and they are in shock. They need financial and other help.

I would request the Government to pay adequate financial assistance to poor agricultural labourer families.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, there are so many Members, who want to speak but their names are not there in the list. This is a problem for me as I cannot accommodate all of them. I have to bring it to the notice of the hon. Speaker before allowing all of them.

… (*Interruptions*)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर) : सभापति महोदय, मैं कई दिनों से नोटिस दे रहा हूं।

MR. CHAIRMAN: Please take your seats. Please understand that there is a ballot system and only those hon. Members can speak whose names are there in the list.

SHRI SATPAL MAHARAJ (GARHWAL): Sir, I wish to raise a very serious and urgent matter… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You should have brought it to the notice of the hon. Speaker and have taken her permission.

… (*Interruptions*)

CHAUDHARY LAL SINGH (UDHAMPUR): Sir, you have to help us… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I can help one or two Members only, but not nine Members who want to speak. I can allow one Member from each Party.

… (*Interruptions*)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : सभापति महोदय, मैं रोज नोटिस डाल रहा हूं।

MR. CHAIRMAN: No, I cannot allow everyone. Please understand. Shri Satpal Maharaj.

चौधरी लाल सिंह : सभापति जी, क्या आप हमें नहीं बुलायेंगे?

श्री सतपाल महाराज : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले श्री मुकेश आर्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। श्री मुकेश आर्य टायकॉन टैंकर लिमिटेड के जहाज पर चीफ आफीसर के पद पर कार्यरत थे और उनका जहाज समुद्र के रास्ते इंडोनेशिया से लीबिया जा रहा था। दिनांक 10 मई, 2012 को सायं 4 बजे ओमान के दक्षिण से श्री मुकेश आर्य गायब हो गए और अभी तक उनका कोई पता नहीं है। उनके गायब होने की खबर के बाद कोटद्वार की जनता में भी बहुत रोष है और वह उनके शीघ्र ढूंढे जाने के लिए धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह श्री मुकेश आर्य को शीघ्र ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करे।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, हम कई दिनों से यह विषय उठाना चाह रहे हैं। मैं कभी जिद्द नहीं करता हूं। अगर आज मैं जिद्द कर रहा हूं तो उसके पीछे वजह है कि भागलपुर के अंदर कहलगांव में जो एनटीपीसी लगी, पिछले मिनिस्टर के एश्योरेंस के बावजूद आज कहलगांव के जो भू-विस्थापित हैं, उनको जमीन के बदले जो नौकरी मिलनी थी, वह नौकरी उनको नहीं मिल रही है, उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए था, वह मुआवजा नहीं मिला। वहां पर पानी से वहां की जमीन पर बड़ा पोल्यूशन फैल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। कहलगांव के जो भू-विस्थापित हैं, उनको लेकर काफी चिंता बनी हुयी है। आज देश में नंदीग्राम और सिंगुर हो गए, उसके बाद भी सरकार जाग नहीं रही है।

सभापति जी, हमारा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जो भू-विस्थापित हैं, उनके ईश्यू को सरकार को एड्रेस करना चाहिए और भागलपुर के कहलगांव में भू-विस्थापितों को तुरंत नौकरी देनी चाहिए और सरकार अगर नौकरी नहीं दे सकती तो आज के रेट के हिसाब से पूरा मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि जिन गरीब लोगों की जमीन ले ली है, वे दूर से टकटकी लगाये देख रहे हैं कि वहां बिजली बन रही है। वह बिजली दिल्ली और पंजाब जा रही है। वहां पर लोगों को उसका कोई फल नहीं मिल रहा है। पूरे कहलगांव के लोग परेशान हैं। इसके लिए वहां आंदोलन हो रहा है। मेरा आपके जरिए अनुरोध है कि तुरंत बिजली मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए और देश में भू-विस्थापितों के मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए।

SHRI K. SHIVKUMAR *ALIAS* J.K. RITHEESH (RAMANATHAPURAM): Thank you, Mr. Chairman Sir. Two days' back, on May 11, five fishermen of Pamban coastal village ventured into the sea in country-boat for fishing. While they were fishing at midnight, an unidentified ship collided with the boat. As the

ship dashed the boat, all the five fishermen on the deck were thrown into the sea and the boat sank.

Sir, out of the five fishermen, one of the crew members, Kalvin Miller, aged 18 years, drowned and rest of the four were rescued by the another fishing boat. They were brought to the Mandapam shore in the morning. The survivors told them that it was a the Naval Ship of the Indian Coast Guard and that soon after the clash the lights in the ship went off and the ship sped away.

Sir, more than 500 provoked fishermen started road-*roko* agitation on the Madurai-Rameshwaram National Highway demanding action against the Indian Coast Guard personnel who were responsible for the incident.

I strongly urge the Government to identify the ship that rammed into the fishing boat and take action against them.

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again tomorrow the 15th May, 2012 at 11 a.m.

18.54 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on
Tuesday, May 15, 2012/Vaisakha 25, 1934 (Saka).